वार्षिक रिपोर्ट 2000-01

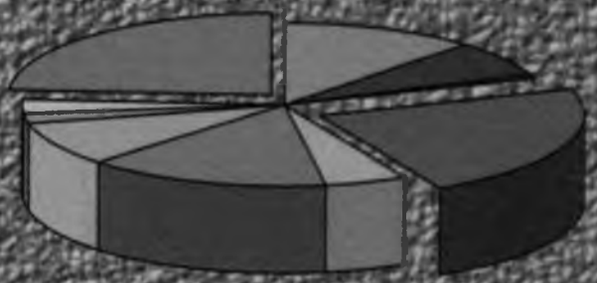

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

विषय वस्तु

			पृष्ठ
अध्याय 1	**भूमिका, गठन और कार्य**		**1**
अध्याय 2	**अर्थव्यवस्था और योजना – सिंहावलोकन**		**5**
अध्याय 3	**योजना**		**8**
अध्याय 4	**प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र**		**13**
अध्याय 5	**योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप**		**27**
	5.1	कृषि प्रभाग	27
	5.2	पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग	33
	5.3	संचार और सूचना प्रभाग	35
	5.4	विकास नीति प्रभाग	37
	5.5	शिक्षा प्रभाग	38
	5.6	पर्यावरण और वन प्रभाग	41
	5.7	वित्तीय संसाधन प्रभाग	43
	5.8	स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण प्रभाग	51
	5.9	आवास और शहरी विकास प्रभाग	68
	5.10	उद्योग और खनिज प्रभाग	70
	5.11	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग	71
	5.12	श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग	73
	5.13	एमएलपी प्रभाग	81
	5.14	योजना समन्वय प्रभाग	82
	5.15	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	86
	5.16	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	90
	5.17	भावी योजना प्रभाग	93
	5.18	ग्रामीण विकास प्रभाग	97
	5.19	विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग	100
	5.20	समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग	101
	5.21	सामाजिक विकास और महिला कल्याण	103
	5.22	समाज कल्याण प्रभाग	109
	5.23	राज्य योजना प्रभाग	113

	5.24	परिवहन प्रभाग	117
	5.25	पर्यटन प्रकोष्ठ	119
	5.26	ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग	120
	5.27	जल संसाधन प्रभाग	122
	5.28	प्रशासन व अन्य सेवा प्रभाग	124
	5.28.1	– कैरियर प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकलाप	124
	5.28.2	– हिन्दी अनुभाग	125
	5.28.3	– आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक	127
	5.28.4	– पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र	128
	5.28.5	– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन यूनिट	130
	5.28.6	– योजना आयोग क्लब	144
	5.28.7	– योजना आयोग अधिकारी एसोसिएशन	144
		संलग्नक 5.1–5.8	**145**
अध्याय 6		**कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन**	**163**
अध्याय 7		**सतर्कता कार्यकलाप**	**174**
		योजना आयोग का संगठनात्मक चार्ट	

अध्याय 1

भूमिका, गठन और कार्य

योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के अधीन मार्च 1950 में किया गया था और यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

कार्य

2. कार्य आबंटन नियमों के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए, जो कम पाए जाएं, प्रस्तावों का निर्माण करना;

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे चरणों को तय करना जिनमें प्राथमिकताओं के निर्धारण के आधार पर योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए तथा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए संसाधनों का आबंटन;

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तंत्र की प्रकृति का निर्धारण कारना;

(ड.) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन;

(च) राष्ट्रीय विकास में जनता का सहयोग;

(छ) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम;

(ज) भावी योजना;

(झ) जनशक्ति निदेशालय।

आयोग का गठन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री	–	अध्यक्ष
श्री के.सी. पन्त	–	उपाध्यक्ष
श्री जसवन्त सिंह विदेश मंत्री	–	सदस्य
श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री	–	सदस्य
श्री अरुण शौरी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन, सांख्यिकी, विनिवेश और प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री	–	सदस्य
श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया	–	सदस्य
डा0 एस.पी. गुप्ता	–	सदस्य
श्री कमालुददीन अहमद	–	सदस्य
श्री सोम पाल	–	सदस्य
डा0 के वेन्कटासुब्रमण्यन	–	सदस्य

3. योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधान मंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

4. योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संहत निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों में आयोग के विषय प्रभागों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के मानीटरन और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

5. योजना आयोग अनेक तकनीकी/विषय प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का अध्यक्ष एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसका पदनाम प्रधान सलाहकार/ सलाहकार/ संयुक्त सचिव/ संयुक्त सलाहकार है।

6. आयोग के विभिन्न प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(I) सामान्य प्रभाग जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; और

(II) विषय प्रभाग जो विकास के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत सामान्य प्रभाग इस प्रकार हैं:

(i) विकास नीति प्रभाग,

(ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग,

(iii) केन्द्रीय संसाधन प्रभाग,

(iv) अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग,

(v) श्रम, रोज़गार और जनशक्ति प्रभाग,

(vi) भावी योजना प्रभाग,

(vii) योजना समन्वय प्रभाग,

(viii) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग,

(ix) सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान प्रभाग

(x) राज्य योजना प्रभाग,

(xi) बहु–स्तरीय योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित और

(xii) सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग।

विषय प्रभाग इस प्रकार हैं:

(i) कृषि प्रभाग,

(ii) पिछड़ा वर्ग प्रभाग,

(iii) संचार और सूचना प्रभाग,

(iv) शिक्षा प्रभाग,

(v) पर्यावरण और वन प्रभाग,

(vi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग,

(vii) आवास, शहरी विकास प्रभाग,

(viii) उद्योग प्रभाग,

(ix) खनिज प्रभाग,

(x) विद्युत और ऊर्जा प्रभाग (ग्राम ऊर्जा, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा नीति प्रकोष्ठ सहित)

(xi) ग्राम विकास प्रभाग,

(xii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग,

(xiii) समाज कल्याण और पोषण प्रभाग,

(xiv) परिवहन प्रभाग,

(xv) ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग,

(xvi) जल संसाधन प्रभाग, और

(xvii) पश्चिम घाट सचिवालय प्रभाग।

7. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, चुनिन्दा योजना कार्यक्रमों/ स्कीमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि उपलब्ध हो सके।

अध्याय 2

अर्थव्यवस्था और योजना – सिंहावलोकन

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा 19 फरवरी 1999 को यथाअनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के संबंध में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत संवृद्धि दर और कृषि क्षेत्रक के सम्बन्ध में 3.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिकल्पित मुख्य नीतियां, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 28.2 प्रतिशत की ऊंची निवेश दर और जीडीपी की 26.1 प्रतिशत की देशज बचत दर पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप नौवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 2.1 प्रतिशत का चालू खाता घाटा होगा। नौवीं योजना प्रलेख में विनिर्दिष्ट लक्ष्य और प्रतिमान पूर्व–संशोधित राष्ट्रीय लेखों (आधार 1980–81 = 100) पर आधारित हैं और संशोधित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (आधार 1993–94 = 100) से फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के साथ सीधे ही तुलनीय नहीं हैं। इसलिए, योजना निष्पादन के किसी सार्थक मूल्यांकन के लिए योजना प्रतिमानों का पुनर्निर्धारण करना तथा योजना लक्ष्यों की व्यवहार्यता का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि उन्हें संशोधित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) के अनुरूप बनाया जा सके।

2. अन्तर–क्षेत्रकीय अनुरूपता बनाए रखते हुए, नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में योजना लक्ष्यों को एनएएस की नई श्रृंखला के अनुरूप, संशोधित और आर्थिक प्रतिमानों का पुनर्निर्धारण किया गया हैं जिस पर पूर्ण योजना आयोग की 30 सितम्बर 2000 की हुई बैठक में विचार किया गया था। योजना लक्ष्यों और मेक्रो–आर्थिक प्रतिमानों के पुनर्निर्धारण में, पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर और 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कृषि संवृद्धि दर को बनाए रखा गया है जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्देशित है। संशोधित क्षेत्रकीय संवृद्धि दर, अन्यों के अलावा, खनन और उत्खनन के सम्बन्ध में 5.1 प्रतिशत, विनिर्माण के सम्बन्ध में 7.1 प्रतिशत, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में 8.4 प्रतिशत निर्माण के संबंध में, 6.8 प्रतिशत और संचार के सम्बन्ध में 11.9 प्रतिशत है। संशोधित आचरणात्मक प्रतिमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की 25.7 प्रतिशत की निवेश दर और 24.27 प्रतिशत की घरेलू बचत दर पर हैं जिससे चालू खाता घाटा 1.43 प्रतिशत तक कम हो गया।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के निष्पादन का उल्लेख निम्नलिखित खण्डों में किया गया है।

संवृद्धि और क्षेत्रकीय उत्पादन

4. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुल मिलाकर निष्पादन में मामूली सी कमी आई। राष्ट्रीय आय के तुरत अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 1998–99 के दौरान वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी।

5. वर्ष 1999–2000 के दौरान जिन क्षेत्रकों में गति धीमी रही है, वे हैं: कषशि, वानिकी और मत्स्य पालन (1.3 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन और संचार (6.7 प्रतिशत), विद्युत, गैस और जल आपूर्ति तथा सामुदायिक, सामाजिक व वैयक्तिक सेवाओं में मामूली सी कमी हुई। जिन क्षेत्रकों में ऊंची वृद्धि दर रही है, वे हैं: विनिर्माण (8.5 प्रतिशत), वित्त, बीमा, वास्तविक सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं (10.6 प्रतिशत)।

बचत और निवेश

6. वर्ष 1998–99 में सकल घरेलू बचत (स.घ.ब.) बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की 22.3 प्रतिशत थी। यह 1997–98 में प्राप्त 24.7 प्रतिशत की बचत दर से कम है। इसी प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू निवेश जो 1997–98 में 26.2 प्रतिशत था, घटकर 1998–99 में 23.4 प्रतिशत रह गया। ये दरें, नौवीं योजना के लिए निवेश दर और बचत दर के संशोधित प्रतिमानों से भी कम हैं।

राजकोषीय स्थिति

7. राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर नीति नियोजकों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। जिस समय से आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, तब से सतत प्रयास एक स्थिर राजकोषीय स्थिति प्राप्त करने का रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति अभी भी कम है।

8. केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे का परिकलन करने की पद्धति में 1999–2000 के बजट में परिवर्तन हुआ है। नई पद्धति के अन्तर्गत, राजकोषीय घाटे में निवल लघु बचत संग्रह के हिस्से के अन्तरण को अलग रखा गया है जिसे अब सरकारी खातों से अदा किया जाता है। इस आधार पर केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो 1997–98 में सकल घरलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत और 1998–1999 में 5.1 प्रतिशत से 1999–2000 में और बढ़कर 5.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

9. राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर गम्भीर दबाव है और कोई स्थिर राज्यकोषीय स्थित प्राप्त करने से पहले काफी समायोजन करना होगा। वर्श 1999–2000 में केन्द्र और राज्यों की मिली–जुली राजकोषीय

स्थिति 8.8 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे और 6.2 प्रतिषत के राजस्व घाटे से इंगित होती है, फलतः प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत है।

10. चिन्ता का मुख्य विषय कर राजस्व की धीमी वृद्धि है। नौवीं योजना में पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में लगभग एक प्रतिशतांक वृद्धि की परिकल्पना की गई है। किन्तु, वर्ष 1996–97 से केन्द्र तथा राज्यों का मिला–जुला कर राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 14.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, सिवाय वर्ष 1998–99 के जिसमें 13.46 प्रतिशत का बहुत निम्न कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात प्राप्त हुआ।

11. केन्द्रीय सरकार के व्यय पक्ष में, जिन घटकों में तेजी से वृद्धि हुई, वे हैं: ब्याज अदायगियां, रक्षा सेवाएं और पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। वर्ष 1993–94 से कुल राजस्व व्यय में 14 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक मिश्रित दर से वृद्धि हो रही है। राज्य सरकारों का व्यय 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है जबकि गैर–विकासात्मक व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की ऊंची दर से वृद्धि हो रही है।

12. नौवीं योजना में एक उचित मात्रा में कीमत स्थिरता की परिकल्पना की गई है। थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में (वर्ष 1993–94 के आधार के साथ नई श्रृंखला) परिवर्तनों द्वारा मापित औसत मुद्रास्फीति दर वर्ष 1997–98 में 4.4 प्रतिशत थी। 1998–99 में मुद्रास्फीति दर बढ़ कर 5.95 प्रतिशत हो गई किन्तु 1999–2000 में यह घटकर लगभग 3.27 रह गई। मुद्रास्फीति की दर में यह नियमन, वर्श 1997–98 और 1998–99, दोनों वर्षों में लगभग 18 प्रतिशत के मुद्रा विस्तार की अपेक्षतया ऊंची दर के चलते तथा 1999–2000 में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राप्त किया गया।

भुगतान संतुलन

13. सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की दृष्टि से निर्यात में मामूली सी वृद्धि हुई जो 1998–99 में 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 1999–2000 में 8.5 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से आयात जो 1998–99 में 11.3 प्रतिशत था, 1999–2000 में बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया। अमरीकी डालर की दृश्टि से निर्यात में 1998–99 में 5.1 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 1997–98 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा 1998–99 में आयात में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1999–2000 के दौरान आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

14. चालू खाता घाटे में सुधार हुआ है, जो सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 1998–99 में 1.0 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 0.9 प्रतिशत हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार जो मार्च 1999 के अन्त में 32490 मिलियन अमरीकी डालर था, मार्च 2000 के अन्त तक बढ़कर 38036 अमरीकी डालर हो गया।

अध्याय 3

योजना

वार्षिक योजना 2000–2001

वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना, अनुमोदित बजटीय सहायता की तुलना और नौवीं योजना में इसे क्रमिक रूप से समाप्त करने की प्रत्याशा में, पूर्ववर्ती तीन वर्षों (1997–98, 1998–99 और 1999–2000) में प्रत्येक वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण कमियों की पृष्ठभूमि में, तैयार की गई थी। इसलिए, एक उचित स्तर बनाए रखने और वार्षिक योजना 2000–2001 में आबंटन की वांछित क्षेत्रकीय पद्धति की आवश्यकता का सरकार की प्राथमिकता के साथ तालमेल बिठाना पड़ा जैसा कि प्रधान मंत्री की विशेष कार्य योजना (एसएपी) व अन्य उपायों में, विशेष रूप से आधारभूत क्षेत्रक के मामले में तथा केन्द्र व राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की जरूरत में भी, परिलक्षित है।

2. केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से उनकी वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित करते समय यह उल्लेख किया गया था कि सरकार की संसाधन स्थिति को देखते हुए ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना कठिन है जिसमें नौवीं योजना के शेष वर्षों के लिए परिकल्पित बजटीय सहायता को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की योजनाबद्ध परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने की तत्काल जरूरत है ताकि बजटीय समर्थन के आधार पर, जो वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए आबंटन से अधिक न हो, प्रत्येक क्षेत्रक के सम्बन्ध में 'प्रमुख योजनाएं' तैयार की जा सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि नई स्कीमों के सम्बन्ध में व्यय को रोकने की जरूरत है जिससे कि चालू स्कीमों के लिए पूरी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

3. योजना आयोग ने 88,100 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ वर्ष 2000–01 की वार्षिक योजना तैयार की तथा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 36,824.40 करोड़ रुपए है। बजटीय केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,17,333.78 करोड़ रुपए है जिसमें 66,058.18 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) शामिल हैं।

4. वार्षिक योजना 2000–01 में 117333.78 करोड़ रुपए के कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए 103520.93 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 13 प्रतिशत और

वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए 96309.94 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 22 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। वार्षिक योजना 2000–01 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को 51275.60 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता (43.7 प्रतिशत) तथा 66058.18 करोड़ रुपए (56.3 प्रतिशत) के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के आईईबीआर द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्श 2000–01 के लिए केन्द्रीय योजना के वित्तपोषण के लिए आईईबीआर के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि में वार्षिक योजना 1999–2000 में 59520.93 करोड़ रुपए के तदनुरूपी आंकड़ों की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5. केन्द्रीय क्षेत्रक वार्षिक योजना 2000–01 के लिए 51275.60 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता, वार्षिक योजना 1999–2000 में व्यवस्थित 44000 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 16.5 प्रतिशत और वार्षिक योजना 1999–2000 के 43660.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.4 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2000–01 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्ययों के प्रमुख शीर्षों के विकास–वार ब्यौरे संलग्नक 3.1 में दिए गए हैं।

राज्य योजनाएं (2000–2001)

6. विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना आकार को अन्तिम रूप देने के वास्ते वार्षिक योजना (2000–01) चर्चाएं मई–नवम्बर 2000 के दौरान आयोजित की गई थी तथा वर्ष 1999–2000 के लिए अनुमोदित 88741.96 करोड़ रुपए के परिव्यय (जम्मू और कश्मीर सहित) के प्रति सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) 87265.30 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना 2000–01 के लिए परिव्यय में 5000 करोड़ रुपए की आधार राशि प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के लिए (2500 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों को जोड़ने और 2500 करोड़ रुपए पांच अनिवार्य सेवाओं, यथा पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास और पोषण के लिए) तथा 365.81 करोड़ रुपए मलिन बस्ती विकास के लिए शामिल हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पांच सेवाओं के लिए व्यवस्थित राशि को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, पीएमजीवाई के प्रत्येक घटक के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत की शर्त पर (ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत आबंटित राशि को छोड़कर), आबंटित करने का विकल्प दिया गया है। वर्ष 2000–01 के दौरान उत्तर–पूर्वी परिषद की योजना के लिए 450.00 करोड़ रुपए का पृथक प्रावधान किया गया है।

7. योजना उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्रकों में निवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, चुनिन्दा स्कीमों/ परियोजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय विनिर्धारित करने की प्रथा को

जारी रखा गया। राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं, पीएमजीवाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्राम सड़क कार्यक्रम की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा कुछ सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं के चुनिन्दा क्षेत्रकों में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत परिव्यय विनिर्धारित किए गए।

वार्षिक योजना 1999–2000 की समीक्षा

8. संशोधित अनुमानों में वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए परिव्यय कम होकर 170856.80 करोड़ रुपए हो गया जो 192262.89 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। बजट अनुमानों में 103520.93 करोड़ रुपए का केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय कम होकर संशोधित अनुमानों में 96309.94 करोड़ रुपए हो गया, जो 7 प्रतिशत कम है। वार्षिक योजना के सम्बन्ध में योजना परिव्ययों के ब्यौरे केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक के सम्बन्ध में विकास के प्रमुख शीर्ष–वार संलग्नक 3.2 में दिए गए हैं।

संलग्नक 3.1

विकास के प्रमुख शीर्ष–वार योजना परिव्यय : केन्द्र वार्षिक योजना 2000–01 के सम्बन्ध में (बजट अनुमान)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	विकास शीर्ष	परिव्यय	कुल का प्रतिशत
I.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप#	4074.2	3
II.	ग्राम विकास	5388.5	5
III.	ऊर्जा	29793.0	25
IV.	उद्योग और खनिज	9279.6	8
V.	परिवहन	20992.2	18
VI	संचार	19455.3	17
VII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण!	3597.8	3
VIII	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1745.2	1
IX	सामाजिक सेवाएं	23007.9	20
	जोड़ (I से IX तक)	**11733.8**	**100**

* केवल केन्द्रीय योजना क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
# सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल है
! सामान्य सेवाएं शामिल हैं।
टिप्पणी: पूर्णांक करने की वजह से हो सकता है कि आंकड़ों के कुल का जोड़ बराबर न हो।

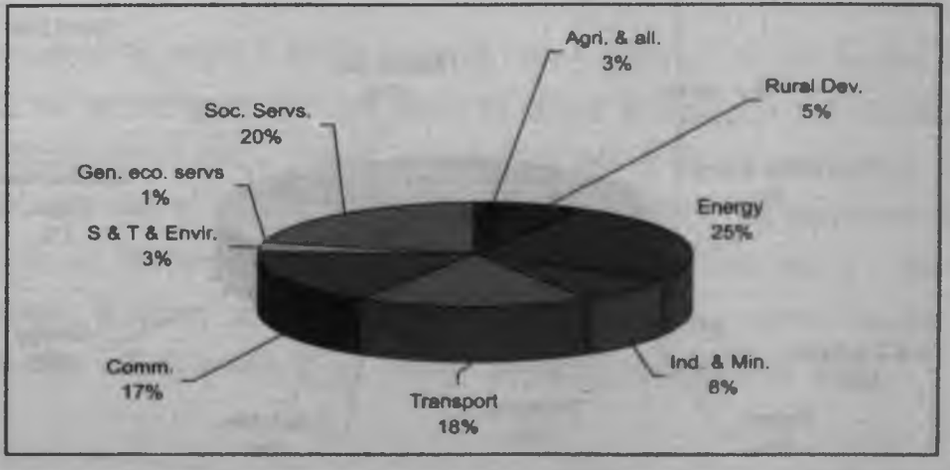

संलग्नक 3.2

विकास के प्रमुख शीर्ष–वार योजना परिव्यय : वार्षिक योजना (1999–2000) के सम्बन्ध में केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र – संशोधित अनुमान

राशि (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र परिव्यय	कुल का प्रतिशत	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र		कुल परिव्यय	कुल का %
				परिव्यय	कुल का प्रतिशत		
I.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप #	3364.1	3	17858.6	24	21222.7	12
II.	ग्रामीण विकास	5175.7	5	5938.9	8	11114.6	7
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.0	0	1521.0	2	1521.0	1
IV.	ऊर्जा	26182.5	27	12569.5	17	38752.0	23
V.	उद्योग और खनिज	6436.4	7	2016.2	3	8452.6	5
VI.	परिवहन	17155.5	18	8269.6	11	25425.1	15
VII.	संचार	14900.4	15	10.4	0	14910.8	9
VIII.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2859.2	3	197.0	0	3056.2	2
IX.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1298.0	1	3443.1	5	4741.1	3
X.	सामाजिक सेवाएं	18938.3	20	22722.5	30	41660.7	23
	जोड़ (I से X)	**96309.9**	**100**	**74546.9**	**100.0**	**170856.8**	**100**

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सेवाएं शामिल हैं
! सामान्य सेवाएं शामिल हैं
टिप्पणी: पूर्णांकन करने की वजह से हो सकता है कि आंकड़ों के कुल का जोड़ बराबर न हो।

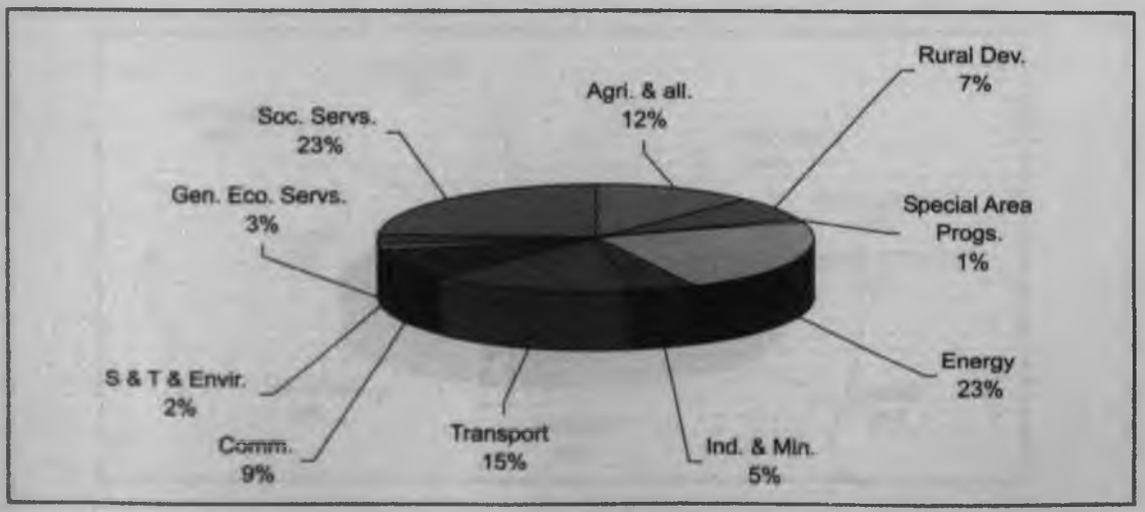

अध्याय 4

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन

योजना आयोग द्वारा अब तक के वर्षों के सम्बन्ध में योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने और सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक मध्यावधिक मूल्यांकन किया गया। मध्यावधिक मूल्यांकन प्रलेख के मसौदे पर पूर्ण योजना आयोग द्वारा 30 सितम्बर 2000 को अपनी बैठक में विचार किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री और अध्यक्ष, योजना आयोग ने की थी।

2. योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लक्षित दर से काफी कम प्रतीत होती है। अनुमान है कि वर्ष 1997–98 में अर्थव्यवस्था में केवल 5 प्रतिशत का विकास हुआ, जो उससे पिछले वर्ष प्राप्त 7.5 प्रतिशत से बहुत कम है। इस कमी का प्रमुख कारण 1997–98 के दौरान कृषि की ऋणात्मक वृद्धि दर था। विनिर्माण क्षेत्रक में भी काफी गिरावट आई तथा इसमें मात्र 4 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि दोहरे अंक में हुई थी। 1998–99 में अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार हुआ और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण कृषि विकास में पर्याप्त सुधार होना था। किन्तु विनिर्माण क्षेत्रक का निष्पादन असंतोषजनक बना रहा तथा 4 प्रतिशत से कुछ कम की वृद्धि दर्ज की गई। इन दोनों वर्षों में सेवा क्षेत्रकों ने अच्छा निष्पादन जारी रखा और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि–दर में और कमी आने से रोक दी।

3. वर्ष 1999–2000 के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के तुरत अनुमान से केवल 6.4 प्रतिषत की वृद्धि दर का पता चलता है। इस आधार पर योजना के पहले तीन वर्षों के सम्बन्ध में औसत वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। तथापि, अनुमान किया गया हैं कि वर्ष 1999–2000 के सम्बन्ध में सीएसओ अनुमान कुछ कम हो सकते हैं क्योंकि उनमें वर्ष के उत्तरार्द्ध में हुई सकारात्मक घटनाओं को, विशेष रूप से कृषि और विनिर्माण में हुई घटनाओं को पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा गया है। इस वर्ष के लिए वृद्धि–दर के सम्बन्ध में योजना आयोग का अनुमान 6.7 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत के बीच है, जिसके फलस्वरूप पहले तीन वर्षों के सम्बन्ध में 6.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्राप्त होगी।

राज्य संसाधन

4. योजना आयोग द्वारा किए गए नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन से पता चलता है कि पहले तीन वर्षों में योजना के लिए केन्द्र द्वारा बजट संसाधन जुटाने में कमी आई है जो कुछ सीमा तक नौवीं योजना में पूर्वानुमानित की तुलना में उधारों के अधिक संसाधनों के जरिए प्रतिसंतुलित हो गई। केन्द्र की प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच बड़ा अन्तर रहा है जिसके फलस्वरूप 1997–2000 के दौरान चालू राजस्व से शेष (वीसीआर) में काफी कमी आई।

5. राज्यों के वित्त काफी दबाव के अधीन रहे हैं विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच बहुत बड़ा अन्तर है जिसके फलस्वरूप राजस्व में गिरावट आई है और राजकोषीय घाटा बढ़ा है। राज्यों के ऋण/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है जो गारंटियां प्रदान करने के कारण उत्पन्न अन्य देनदारियों की वजह से और बढ़ गया है।

6. नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि योजना संसाधनों के लिए 'राज्यों की स्वयं की निधियों' के अंशदान में भारी गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप उनकी योजना के वित्तपोषण हेतु उधारों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। 'राज्यों की स्वयं की निधियों' के अंशदान में गिरावट मुख्यतः राज्यों के चालू राजस्व शेष (बीसीआर) में गिरावट और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के असंतोषजनक निष्पादन के कारण है।

7. निराशाजनक परिदृश्य के बावजूद, इस समय देश में कुल मिलाकर स्थिति और अधिक उत्तरदायी राजकोषीय स्थिति पैदा होने के अनुकूल है। वर्ष 1999–2000 में तेरह राज्यों ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो सुधारात्मक राजकोषीय उपाय करने की इच्छा प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, बिक्री कर की सामंजस्यपूर्ण एकसमान दर लागू करने के संबंध में राज्यों के बीच समझौते का लगभग सभी राज्यों द्वारा कमोबेश पालन किया जा रहा है, जिससे कर संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धात्मक लोकप्रियता की पिछली नीतियों को त्यागने की उनकी इच्छा का पता चलता है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से राज्यों के, अपनी वित्त व्यवस्था को एक संधारणीय आधार पर लाने के, प्रयास सुदृढ़ होंगे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण

8. माननीय प्रधान मंत्री और अध्यक्ष, योजना आयोग, ने योजना आयोग को दसवीं पंचवर्षीय योजना

के दौरान 9 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्राप्त करने की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। यद्यपि यह विगत में प्राप्त किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक है, किन्तु यह अव्यवहार्य नहीं है क्योंकि पूर्व एशिया में बहुत से देशों ने यह वृद्धि दर प्राप्त की है। तथापि इसके लिए हमारी नीतियों में, विशेष रूप से हमारी अर्थ व्यवस्था में संसाधन उपयोग की दक्षताओं में, आमूल रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। योजना आयोग इस समय दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र पर कार्यरत है जिसमें मुख्य मुद्दों और प्रमुख दिशा–निर्देश पर प्रकाष डाला जाएगा जिन्हें दसवीं योजना में अपनाया जा सकता है।

9. योजना निर्माण की प्रक्रिया में एक सुपरिभाषित परामर्श तंत्र शामिल है जिसमें औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रकों तथा साथ ही शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यावसायिक निकायों, गैर–सरकारी संगठनों व अन्य एसोसिएशनों सहित रुचि रखने वाले समूहों से प्राप्त सामग्री और सुझावों का उपयोग किया जाता है। आवश्यक नीति संबंधी उपायों की व्यापक समीक्षा करने तथा प्रक्रिया में परवर्ती इन्पुट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना आयोग ने विभिन्न संबंधित समूहों के साथ अनेक चर्चाएं आयोजित की हैं, यथा (1) अर्थशास्त्री और शिक्षाविद, (2) कृषि, ग्राम विकास और सम्बद्ध क्षेत्रकों के प्रतिनिधि, (3) शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक क्षेत्रकों के प्रतिनिधि, (4) उद्योग, विद्युत व अन्य आधारभूत क्षेत्रकों के प्रतिनिधि, और (5) ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि। इन चर्चाओं के निष्कर्षों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध ा में दृष्टिकोण पत्र में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए बहुत से संचालन/ कार्य दल भी गठित किए गए हैं। इन समूहों के विचार–विमर्श के माध्यम से इन निकायों/ एजेन्सियों, विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के अधिकारियों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी बीच, केन्द्रीय विभागों से, अपनी स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रखने के बारे में निर्णय करने से पहले, एक शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के आधार पर समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

अधिशासन

10. विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों, उपयुक्त नीतिगत ढांचे और प्रभावी प्रदाय तंत्र की आवश्यकता है। विगत अनुभव से यह पता चलता है कि गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याओं के समाधान के लिए निधियों की उपलब्धता कोई रामबाण नहीं है, यह आवश्यक हो सकता है किन्तु उचित शर्त नहीं है। पता चलेगा कि निर्णायक कारक निधियन मंत्रालयों की व्यवहार्य स्कीमें और निधियों का उपयोग करने के लिए प्रदाय पद्धति तैयार करने और अधिकतम संधारणीय विकास प्राप्त करने की क्षमता है। इससे प्रभावी अधिशासन का एक बड़ा मुद्दा उठता है जिसे अधिकाधिक रूप से एक समस्या क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से जहां तक विकास कार्यकलापों के प्रबंधन और जवाबदेही का संबंध है। इसलिए योजना आयोग ने अधिशासन को ध्यान दिए जाने वाले एक प्रमुख विशय के रूप

में विनिर्धारित किया है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अधिशासन के संबंध में एक पृथक कार्य दल गठित करने का प्रस्ताव किया है।

'कर नीति और कर प्रशासन' के सम्बन्ध में सलाहकार दल

11. योजना आयोग द्वारा डा. पार्थासारथी षोम की अध्यक्षता में 'कर नीति और कर प्रशासन' के संबंध में एक सलाहकार दल गठित किया गया था। डा. एन.जे. कुरिअन, सलाहकार (एफआर) एक सदस्य हैं और श्री राजीव मिश्रा (एफआर) दल के संयोजक हैं। सचिवालयीय सहायता प्रदान करने के अलावा, डा. एन. जे. कुरिअन और श्री राजीव मिश्रा ने संयुक्त रूप से 1990 के दशक में कर स.घ.उ. प्रवृत्तियां और सम्भावनाएं' नामक एक पत्र तैयार किया, जो सलाहकार दल के अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कार्य था। वित्तीय संसाधन प्रभाग ने भी केन्द्र और राज्यों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत कर नीति और कर प्रशासन में सुधार जैसे मुद्दों पर कार्य किया है, जिसमें आय कर के अन्तर्गत बचत प्रोत्साहनों की समीक्षा की गई है और निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय एकीकृत 'वाट' अपनाने की सम्भावना की खोज की है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) 2000 और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

12. भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तैयार की है जिसमें 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 11 मई 2000 को एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है जो योजना आयोग में स्थित है। इसके अलावा, एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में लगभग 125 सदस्य और स्थायी आमंत्रित शामिल हैं जिनमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, संबंधित केन्द्रीय मंत्री, राजनीतिक दलों के नेता, संसद सदस्य, गैर–सरकारी संगठनों, जन संचार माध्यमों, उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक मत निर्माता शामिल हैं। आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वय की समीक्षा, मानीटर करना और दिशा–निर्देश देना।
- जनांकिकीय शैक्षिक पर्यावरणात्मक और विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल प्रोत्साहित करना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण में तेजी लाई जा सके।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों की राजकीय एजेन्सियों के बीच योजना और कार्यान्वयन में अन्तर–क्षेत्रकीय समन्वय प्रोत्साहित करना, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्रक की भागीदारी प्राप्त करना तथा नीति में निर्धारित लक्ष्यों के समर्थन में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावनाओं की खोज करना।

– इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में तीव्र जनआनदोलन अभियान का विकास सुकर बनाना।

13. आयोग ने जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दल और उप–दल गठित किए हैं:

क्र.सं.	कार्य दल/ टास्क फोर्स का नाम
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपेथी को स्वास्थ्य पद्धति की मुख्य धारा के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार दल।
2.	मानीटरन के संबंध में टास्क फोर्स
3.	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा प्रोत्साहन के लिए जन संचार माध्यमों के संबंध में कार्य दल।
4.	जनसंख्या स्थिरीकरण में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सेवी समूहों की भूमिका संबंधी कार्य दल
5.	जन्म, मष्यु और विवाहों के पंजीकरण संबंधी कार्य दल
6.	जनसंख्या स्थिरीकरण की दृष्टि से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्यदल
7.	निम्नलिखित उप–दलों के साथः पूरी न हुई जरूरतों संबंधी कार्य दल,
	(i) गर्भ निरोध के संबंध में पूरी न हुई जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए कार्यनीति संबंधी उप दल।
	(ii) मातृ और बाल स्वास्थ्य के संबंध में पूरी न हुई जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए कार्यनीति संबंधी उप–दल।
	(iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेय जल, स्वच्छता और पोषण के संबंध में पूरी न हुई जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए कार्यनीति संबंधी उप–दल।
	(iv) महिलाओं की अधिकारिता, बाल विकास और किशोरों से संबंधित मुददों के संबंध में कार्यनीति संबंधी उप–दल।

14. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुकर बनाने के वास्ते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध एक उच्चाधिकारप्राप्त कार्रवाई दल तथा एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता निधि कायम की गई है ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में कार्यकलापों/ कार्यक्रमों/परियोजनाओं/नूतन विचारों की मदद ली जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक अंशदान की घोषणा की गई है। आशा की जाती है कि निगमित क्षेत्रक, उद्योग और व्यक्ति इस निधि में अंशदान करेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के लिए अंशदान कर से मुक्त होगा।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

15. वर्ष 2000–2001 के दौरान पूर्ण योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित तीन नई केन्द्र प्रयोजित स्कीमें अनुमोदित की गईं:

(i) पशु पालन और डेरी उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय की नौवीं योजना के दौरान 'राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना'।

(ii) कृषि मंत्रालय का 'नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन'।

(iii) एसएसआईएएण्डआरआई मंत्रालय के लघु औजार कक्ष व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य/राज्य एजेन्सियों को वित्तीय सहायता।

16. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें यथा :

(i) नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु तटीय तथा अन्य थान गंगा बेसिन राज्यों में महत्त्वपूर्ण कटाव–रोधी कार्य शुरू करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता; और

(ii) नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु गुणवत्तापूर्ण आईएसएम और एच औषधियों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों की राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्यापेथिक फार्मेसियों का सुद्धढीकरण,

पर पूर्ण आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू स्कीम, नामतः कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कुछेक विद्यमान घटकों के साथ विस्तारित कार्यक्षेत्र के साथ जारी रखने और संशोधित वित्तपोशण पद्धति को भी अनुमोदित किया गया।

औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती, संधारणीय उपयोग और कानूनी संरक्षण संबंधी टास्क फोर्स

17. योजना आयोग द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती, संधारणीय उपयोग और कानूनी संरक्षण के संबंध में अप्रैल 1999 में एक टास्क फोर्स गठित किया गया। टास्क फोर्स की रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 6 अप्रैल 2000 को जारी की गई। टास्क फोर्स ने, अन्य बातों के साथ–साथ औषधीय पौधा क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए 'औषधीय पौधा बोर्ड' की स्थापना की दृढ़तापूर्वक सिफारिश की। औषधीय पौधों के विपणन और व्यापार को औपचारिक रूप देने तथा संगठित करने, क्षेत्रक के सभी हितधारियों के प्रयासों को समन्वित करने तथा एक संधारणीय आधार पर एक करोड़ जनजातीय लोगों और महिलाओं को उत्पादक रोजगार सृजित करने के अलावा जड़ी बूटी उत्पादों के प्रति चेतना और उपलब्धता सुधार कर सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। आईएसएमएण्डएच विभाग को नोडल एजेन्सी के रूप में विनिर्धारित किया गया है तथा फिलहाल यह औषधीय पौधा बोर्ड गठित करने के लिए उपाय कर रहा है।

'रोजगार अवसरों' के संबंध में टास्क फोर्स

18. नौवीं योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जिसका सृजन बेरोजगारी और अर्ध–रोजगार की उच्च दरों वाले विशिष्ट क्षेत्रों में उन क्षेत्रकों, उप–क्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करके स्वयं विकास प्रक्रिया में ही किया जाएगा जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। योजना आयोग द्वारा श्री मोनटेक सिंह आहलुवालिया, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, देश में विद्यमान रोजगार और बेराजगारी की स्थिति की जांच करने और अगले दस वर्षों में दस करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां सुझाने के वास्ते 'रोजगार अवसरों' पर एक टास्क फोर्स गठित किया गया था। इसका अर्थ प्रत्येक वर्श औसतन एक करोड़ लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने की कार्यनीति है।

19. अध्यायों के मसौदों के संबंध में सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे के संबंध में श्रम सचिव तथा चुनिन्दा विशेषज्ञों से पृष्ठ सामग्री की प्रतीक्षा है।

'एकीकृत परिवहन नीति'

20. स.घ.उ. की ऊंची विकास दर द्वारा सृजित परिवहन मांग को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग

द्वारा एक एकीकृत परिवहन नीति का मसौदा तैयार किया गया ताकि सभी क्षेत्रों का परिवहन विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा आधारभूत ढांचे संबंधी टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच परिचालित एकीकृत परिवहन नीति के संशोधित मसौदा प्रलेख और आगे चर्चा के अधीन है।

हरित भारत के संबंध में टास्क फोर्स

21. योजना आयोग ने कृषि वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से हरित भारत के संबंध में एक टास्क फोर्स गठित किया है। टास्क फोर्स का उद्देश्य देश के एक–तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षों के अन्तर्गत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते, जैसा कि राष्ट्रीय वन नीति में परिकल्पित है, विशिष्ट सिफारिशों का सुझाव देना है। इस समय देश का वन कवर 63.73 मिलीयन हेक्टेयर है जो भौगोलिक क्षेत्र का 19.39 प्रतिशत बैठता है। टास्क फोर्स की अनेक बैठकें हुईं और उनमें देश में कृषि वानिकी के विकास और संयुक्त वन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। टास्क फोर्स के निष्कर्षों और टिप्पणियों का प्रसार करने और राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, उद्योगों तथा व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित करने के वास्ते तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। टास्क फोर्स की अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

एक सुविज्ञ सोसायटी के रूप में भारत के विकास के लिए टास्क फोर्स

22. एक सुविज्ञ सोसायटी के रूप में भारत के विकास के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 15.2.2000 को एक टास्क फोर्स गठित किया गया था। डा. के वेंकटासुब्रमण्यन, सदस्य (शिक्षा) इस टास्क फोर्स के संयोजक हैं। डा. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार, डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., डा. अशोक पार्थासारथी, प्रोफेसर ज.ने.वि. टास्क फोर्स के सदस्यों में शामिल हैं। सुविज्ञ टास्क फोर्स के तत्त्वावधान में आयोजित अनेक कार्यशालाओं और सेमिनारों के बाद, रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है। अनेक मसौदों पर चर्चा की जा चुकी है और अन्तिम रिपोर्ट बहुत जल्दी ही उपलब्ध होने की सम्भावना है।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)

23. वार्षिक योजना 2000–2001 से 'त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)' के अन्तर्गत एक नई पहल शुरू की गई है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2000–2001 हेतु वित्त मंत्रालय की मांग सं. 30 के अन्तर्गत ऋण के रूप में 1000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है जिसे राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा एक विशेष योजना आबंटन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

24. विद्युत क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलापों को कवर करने का प्रस्ताव है: पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) तथा उत्पादन केन्द्रों (ताप व पन दोनों) के जीवन काल में वृद्धि/सुधार और उप–पारेषण व मीटर व्यवस्था सहित वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना/उसे उन्नत बनाना/सुधार करना। स्कीम से रा. वि. बोर्ड की प्रचालन और वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इसलिए रा.वि. बोर्डों की प्रचालन और वित्तीय स्थिति सुधारने और त्वरित विद्युत क्षेत्रक सुधारों के अन्तिम उद्देश्य के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के वास्ते एपीडीपी स्कीम के अन्तर्गत निधि का आबंटन परियोजना विशिष्ट होगा और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

– राज्य को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) गठित करना चाहिए और उसे प्रचालनात्मक बनाना चाहिए जैसाकि कानून के अन्तर्गत परिकल्पित है तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों ने टेरिफ के निर्धारण हेतु पहला प्रस्ताव एसईआरसी को भेज दिया हो।

– राज्य को राज्य विद्युत बोर्डों का विभाजन करना चाहिए और उन्हें निगम का रूप दिया जाना चाहिए। जहां कोई राज्य विद्युत बोर्ड नहीं है और राज्य विद्युत विभाग फिलहाल राज्य विद्युत क्षेत्रक की देखभाल कर रहे हैं उसे एक अथवा अधिक कम्पनियों के रूप में निगम का रूप दिया जाना चाहिए ताकि उसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा सके अथवा राज्य को उपयुक्त रूप से अलग–अलग वितरण मंडलों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक मंडल एक अलग लाभ केन्द्र हो। विशिष्टि भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के निजीकरण की सम्भावना हो सकती है, जैसा कि राज्य द्वारा निर्णय लिया जाए।

– एक सहमत तारीख तक एक सुनियोजित ढंग से राज्य द्वारा 100 प्रतिशत मीटर व्यवस्था पूरी कर लेनी चाहिए।

25. उपरोक्त स्कीम कार्यान्वित हो जाने पर, आर एण्ड एम स्कीमों के जरिए पारेषण व वितरण हानियों में कटौती करके भी उत्पादन केन्द्रों के निष्पादन में सुधार होगा, इस प्रकार विद्युत की गुणवत्ता में सुधार होगा। राज्य यूटिलीटियां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श करके परियोजनाएं तैयार करेंगी और उन्हें सीईए द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद राज्य सरकारें राज्य यूटीलिटियां, सीईए द्वारा यथामूल्यांकित परियोजना को विद्युत मंत्रालय की प्रस्तुत करेंगी और उसकी एक प्रतिलिपि धन जारी करने के वास्ते योजना आयोग को भेजी जाएगी। यदि परियोजना प्रलेख में पीएफसी/आरईसी से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने की परिकल्पना की गई हो तो प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि पीएफसी/आरईसी को भी भेजी जाएगी।

26. सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक मानीटरन समिति जिसमें सचिव, विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, सीईए के प्रतिनिधि और पीएफसी/आरईसी का अध्यक्ष शामिल होगा एपीडीपी स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखेगी और प्रगति मानीटर करेगी। अन्य बातों के साथ–साथ, मानीटरन समिति आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करेगी, एपीडीपी स्कीम के अन्तर्गत धन जारी करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करेगी कि एपीडीपी के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाएं कार्यक्रमानुसार कार्यान्वित हों तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निश्चित निधियों का किसी अन्य प्रयोजन के लिए विचलन न हो। समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में भी कार्य करेगा।

गरीबोन्मुखी नीतियां तथा अन्य उपचारात्मक उपाय प्रारंभ करने के लिए दल

27. योजना आयोग ने डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में उन सभी नीतियों का पता लगाने के लिए जो गरीबों के हितों के विरुद्ध है तथा गरीबोन्मुखी नीतियां शुरू करने के लिए एक विस्तृत पत्र तैयार करने के निमित्त एक दल गठित किया है ताकि सभी मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें जिससे कि प्रस्ताव को कार्यान्वयन हेतु ठोस रूप दिया जा सके।

प्रदाय और विनियामक पद्धति के जरिए सरकार को अन्योन्यक्रिया में प्रक्रियात्मक सुधारों का अध्ययन करने और सुझाव देने के वास्ते अध्ययन दल

28. योजना आयोग ने श्री सोमपाल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है जो सामान्य रूप से इसकी प्रदाय और विनियामक पद्धति और विशेष रूप से सामान्य जनता की दृष्टि से सार्वजनिक सेवाओं/यूटिलिटियों में सरकार की अन्योन्यक्रिया से प्रक्रियात्मक सुधारों का अध्ययन करेगा और सुझाव देगा; उन विशिष्ट कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का विनिर्धारण करेगा जो उद्यमशीलता के विकास में बाधक हैं तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा ताकि आर्थिक विकास/उदारीकरण के लाभ निम्नतर स्तरों तक पहुंच सकें; और प्रक्रियात्मक सुधार शुरू करने के वास्ते सरकार के विचारार्थ एक विस्तृत लेख तैयार करेगा। अध्ययन के अन्तर्गत विधान, अधीनस्थ विधान सहित, प्रक्रियाओं और कार्यकारी आदेशों की संवीक्षा करना शामिल होगा।

लघु उद्योगों के विकास के संबंध में अध्ययन दल

29. योजना आयोग द्वारा डा. एस. पी. गुप्ता, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में लघु उद्योगों के

विकास के संबंध में मई 1999 में एक अध्ययन दल गठित किया गया था। इस अध्ययन दल में लघु उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, एसएसआईए एण्ड आरआई तथा बैंकिंग के सचिव डीसी (एसएसआई), भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, उद्यमी, विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

30. अध्ययन दल ने निम्नलिखितों पर चार उप–दल गठित किए हैं: (1) नीति, कानूनी संरचना, आरक्षण एवं अन्य मुद्दे, जिसके अध्यक्ष सचिव (एसएसआई एण्ड आरई) हैं, (2) लघु उद्योगों के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय उपाय जिसके अध्यक्ष विशेष सचिव (बैंकिंग) हैं, (3) आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता मानक परीक्षण सुविधाएं, आर एण्ड डी आदि, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पूर्व सीएमडी हैं, और (4) लघु उद्योगों से निर्यात और विपणन, जिसके अध्यक्ष एएस एण्ड डीसी (एसएसआई) हैं।

31. अभी तक अध्ययन दल की छः बैठकें हो चुकी हैं। सभी चार उप–दलों ने अपनी रिपोर्टें अध्ययन दल को भेज दी हैं, जिन पर अध्ययन दल की पांचवीं और छठी बैठकों में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। यह निर्णय किया गया है कि एक अन्तरिम रिपोर्ट जिसमें प्रमुख और महत्त्वपूर्ण सिफारिशें सम्मिलित होंगी, जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी ताकि सरकार उपयुक्त नीतिगत उपाय तैयार/संशोधित कर सके।

महिलाओं और बच्चों के संबंध में टास्क फोर्स

32. जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2000–2001 के लिए अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी, सरकार ने, राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था में महिला भागीदारी से संबंधित विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करने, स्त्री–पुरुषों को मुख्यधारा में जोड़ने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपायों का विनिर्धारण और सिफारिश करने और विधान, सार्वजनिक नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में एक लिंग संबंधी परिप्रेक्ष्य के एकीकरण के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के साथ महिलाओं की प्रगति हेतु संस्थात्मक तंत्र के विकास पर विचार और सिफारिश करने, सरकार में, स्त्री–पुरुष को मुख्य धारा में जोड़ने की मानीटरन करने; महिलाएं संघटक योजनाएं तैयार/समीक्षा करने, महिला विकास स्कीमों के एकीकरण, उनका विलयन और सुदृढीकरण/छटनी सुझाने के लिए, जहां आवश्यक हो; और वर्ष 2001 को 'महिला अधिकारिता वर्ष' मनाने के लिए कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के संबंध में एक टास्क फोर्स गठित किया है। टास्क फोर्स की दो बैठकें हो चुकी हैं तथा उन कार्यकलापों के संबंध में सिफारिशें की गई हैं जिन्हें महिला अधिकारिता वर्ष मनाने के लिए 2001 के दौरान शुरू किया जा सकता है। कार्यकलापों का विषय महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना हो

योजना प्रक्रिया का अनुस्थापन और योजना आयोग का पुनर्गठन

33. अपनी स्थापना के विगत 50 वर्षों से योजना आयोग, प्रमुख रूप से अपने आयोजना और आबंटन कार्यों द्वारा, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के बीच योजना निधियों का विभाजन तथा राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और साथ ही केन्द्रीय क्षेत्रक में मंत्रालयों/विभागों के बीच भी निधियों का आबंटन शामिल है, अर्थव्यवस्था की निवेश योजना का काम करने में लगा है। इस कार्य में पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना–दोनों प्रकार की योजना का निर्माण करना, उनकी समीक्षा करना, मानीटरन व आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। आयोग को, बदलती हुई आर्थिक नीति व्यवस्था तथा इतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था की उभरती व्यवस्था के एकीकरण द्वारा प्रस्तुत की जा रही चुनौतियों का सामना करने के वास्ते चुस्त बनाया जाना है। आजकल, नियोजित विकास करने हेतु निवेश आयोजना कोई एकमात्र अथवा अधिक महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है। इसलिए योजना आयोग को, प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षेत्रकों अथवा इलाकों के बीच मात्र बजटीय आबंटन करने के काम से कुछ अधिक करना होगा तथा समय और गति के साथ नीति में तालमेल सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए योजना आयोग को एक विचारक मण्डल (थिंक टैंक) विशेषज्ञ ज्ञान के एक भण्डार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ करने की जरूरत है।

34. योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव, माननीय प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 30.9.2000 को हुई इसकी बैठक में पूर्ण योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के मसौदे को सामान्यतः अनुमोदित कर दिया गया था और यह निर्णय किया गया था कि वित्त मंत्रालय से संबंधित कुछेक मुद्दों पर वित्त मंत्री द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ चर्चा की जायेगी। मामले पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा भी केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ 22.12.2000 को चर्चा की गई तथा एक आम सहमति व्यक्त की गई।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का हस्तान्तरण

35. रा.वि.प. की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तान्तरण के संबंध में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक रा.वि.प. समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्र और राज्यों के सदस्य शामिल हैं जो केन्द्र द्वारा अपने पास रखे जाने वाली तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तान्तरित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का पता लगाएगी और तदनुसार सभी सीएसएस का वर्गीकरण करेगी, अन्तरण के लिए समय सीमा, निधियन पद्धति और मानीटरन तंत्र, विनिर्धारण सहित हस्तान्तरण की प्रक्रियाओं के संबंध में सुझाव देगी, और सीएसएस के भावी प्रसार से बचने के लिए नई सीएसएस प्रारंभ करने के संबंध में मापदण्ड निर्धारित करेगी। रा.वि.प. समिति का कार्यकाल 31.3.2001 तक है।

भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना

36. राजकोषीय वर्ष 2000–2001 के अन्दर भारत के संबंध में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (एनएचडीआर) तैयार करने के संबंध में, योजना मंत्रालय (योजना आयोग) की वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को दिए गए वचन के अनुसरण में, योजना आयोग ने उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया है। तदनुसार आयोग ने योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है जिसमें सम्बद्ध समाज क्षेत्रक सलाहकार सदस्यों के रूप में शामिल हैं। रिपोर्ट तैयार करने का वास्तविक कार्य व्यवसायिकों के एक परियोजना दल को सौंपा गया है जिन्हें योजना के विभिन्न प्रभागों से लिया गया है। इस कार्य के लिए परियोजना दल ने एक समय सारणी तैयार की है जिसमें प्रमुख रूप से इस कार्य के वास्ते डाटाबेस तैयार करना और उसके बाद रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना शामिल है।

राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करना

37. योजना आयोग ने राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते एक कार्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक योजना 2000–2001 के दौरान, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु के संबंध में राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करने का काम सौंपने के संबंध में विस्तृत विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप देने के वास्ते योजना आयोग के संबंधित सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य के संबंध में एक कोर समिति गठित की गई। इस कार्य में निम्न अकादमिक संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है तथा उ.प्र., उत्तराचंल, बिहार और असम के संबंध में राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करने का काम विनिर्धारित संस्थाओं/संगठनों को सौंप दिया गया है। राज्य विकास योजनाएं तैयार करने में ये रिपोर्टें अत्यन्त उपयोगी होगी।

कृषि विपणन के संबंध में विशेषज्ञ दल

38. योजना आयोग ने कृषि की आधारस्तरीय समस्याओं की जांच करने और सुधार के संबंध में सुझाव देने के वास्ते, योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)

39. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) को वार्षिक योजना 2000–2001 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि ग्राम स्तर पर संधारणीय मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पीएमजीवाई में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चुनिन्दा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के आबंटन की परिकल्पना की गई है जिससे कि सरकार के कुछेक

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके। वार्षिक योजना 2000–2001 में पीएमजीवाई के लिए 5000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। पीएमजीवाई के दो घटक हैं, अर्थात ग्रामीण सड़कें जिसका नाम बदलकर अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना रखा गया है और जिसके लिए 2500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है तथा इतने ही आबंटन के साथ पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रम।

40. पीएमजीवाई के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार शामिल हैं। पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों के लिए एसीए का राज्य–वार आबंटन योजना आयोग द्वारा राज्यों के बीच बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) ढांचे में सापेक्ष अन्तरों के आधार पर तय किया गया था। पीएमजीवाई शुरू किए जाने से, पीएमजीवाई के लिए एसीए ने बीएमएस के लिए एसीए का स्थान ले लिया है।

41. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जहां तक पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों का संबंध है, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता, परिवार कल्याण, पेयजल, ग्राम विकास और महिला तथा बाल विकास के संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक विभागों ने, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमजीवाई के अन्य क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वास्ते मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसीए निधियों की किस्त जारी करने से पहले, मानीटरन किया जाएगा। यद्यपि पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों का मानीटरन संबंधित केन्द्रीय विभागों द्वारा किया जाएगा, तथापि पीएमजीवाई का सर्वोपरि समन्वयन योजना आयोग द्वारा किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि पीएमजीवाई का कार्यक्रम वार्षिक योजना 2001–2002 में जारी रहेगा।

अध्याय – 5

योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप

योजना आयोग के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों की एक संक्षिप्त समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है :

5.1 कृषि प्रभाग

2. कृषि का मेक्रो प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक/अनुपूरक बनाना, जिनके अन्तर्गत नए कार्यक्रम के साथ उनके एकीकरण के जरिए कृषि और सहकारिता विभाग को 26 चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमें सम्मिलित होंगी, को अनुमोदित किया गया। 'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म–वार जल प्रबंधन' नामक प्रस्तावित स्कीम को योजना आयोग द्वारा सिद्धान्ततः मंजूरी दी गई। इस स्कीम के लिए जिसका उद्देश्य पूरी राज्यों में दोहित न की गई भू जल क्षमता का दोहन करना है, और जिसे नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, नौवीं योजना में 160 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आयोग ने, भू जल क्षमता के दोहन के माध्यम से लघु सिंचाई के संबंध में बिहार सरकार के प्रस्तावित उपाय का भी समर्थन कर दिया है। प्रस्तावित 'मिलियन शैलो ट्यूब वैल्स स्कीम' को इस मामले में और आगे कारवाई करने के वास्ते कृषि तथा सहकारिता विभाग को भेजा गया था। इस स्कीम के अन्तर्गत जिसे नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है 2886.41 करोड़ रुपए की कुल लागत से अगले पांच वर्षों में 10.26 लाख शैलो ट्यूबवैल और 10.26 लाख पम्प सैट स्थापित करने की परिकल्पना है। बागवानी के क्षेत्र में देश एक समृद्ध पौधा सम्पत्ति है जिसमें देशज और विदेशज दोनों प्रकार की नस्लें शामिल हैं, जिसका कारण कृषि परिस्थिति की विविधता की अपार श्रृखंला का विद्यमान होना है। सरकार ने, नौवीं योजना के दौरान 229.38 करोड़ रुपए के कुल परिकलित निवेश के साथ मिशन मोड दृष्टिकोण पर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके चहुमुखी विकास हेतु, नए उपाय किए हैं। मिशन का उद्देश्य, उत्पादन, कटाई पश्चात तथा खपत श्रृंखला में समुचित संयोजन स्थापित करना, आधारभूत ढांचे में निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूल्य अभिवृद्धि के लिए निपुण रोजगार का सृजन और उसके साथ ही चालू बागवानी विकास परियोजनाओं में लुप्त कड़ियों की व्यवस्था करना है।

3. पशु पालन और डेयरी उद्योग विभाग की 'राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना' नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 250 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। परियोजना का उद्देश्य गुणवत्ता वाले वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने की व्यवस्था किसान के घर पर ही करना तथा सभी प्रजनन योग्य गो जातीय पशुओं को दस वर्ष की अवधि के अन्दर व्यवस्थित प्रजनन के अन्तर्गत लाना है। 'नान–आपरेशन फलड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी)' नामक एक अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीम, 250 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों के वास्ते गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में मंजूर की गई है। स्कीम के फलस्वरूप, बाजार में दूध उत्पादन, उत्पादकों को लाभकारी कीमतों और स्वच्छ दूध व दुग्ध उत्पादों में वृद्धि होगी।

4. वर्ष 2000–2001 के दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (आईसीएआर) से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई :

(i) **कृषि शिक्षा के लिए प्रत्यायन बोर्ड** : इस बोर्ड का उद्देश्य अवर–स्नातक और स्नाकोत्तर शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का विकास करके कृषि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन की व्यवस्था करना है। इस स्कीम के वास्ते नौवीं योजना परिव्यय 100 लाख रुपए है।

(ii) **भैंसों के संबंध में नेटवर्क कार्यक्रम** : इस स्कीम के अन्तर्गत भा.कृ.अ.प. (आईसीएआर) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा आईसीएआर संस्थाओं में भैंसों की भिन्न–भिन्न प्रकार की नस्लों के वास्ते केन्द्र स्थापित करेगी। इस कार्यक्रम के लिए 1163 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से भा.कृ.अ.व. के माध्यम से भारत सरकार का हिस्सा 901 लाख रुपए है।

(iii) **राष्ट्रीय कृषि सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण माइक्रो–जीव–ब्यूरों** सरकार ने जीवाणुओं के संबंध में वर्गीकरण संबंधी अनुसंधान करने के वास्ते भा.कृ.अ.सं. (आईएआरआई) में कृषि सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण माइक्रो–जीव ब्यूरो की स्थापना का अनुमोदन किया है जिसके लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 378.33 लाख रुपए है।

(iv) **मिनी मिशन - I कपास के संबंध में प्रौद्योगिक मिशन के अन्तर्गत कपास** : इस परियोजना का उद्देश्य, बढ़िया रेशे तथा शीघ्र परिपक्वता अवधि वाली नाशी जीव रोधी और जल दबाव सहिष्णुता वाली नई प्रौद्योगिकियों व संकर/किस्मों के विकास के माध्यम से कपास उत्पादकता सुधारने हेतु अनुसंधान आयोजित करना है। इस परियोजना हेतु नौवीं योजना परिव्यय दस करोड़ रुपए है।

(v) **भारत–इसरायल प्रदर्शन परियोजना** : इस परियोजना का उद्देश्य, फूल, सब्जियां और फल पैदा करने की नगरीय उच्च प्रौद्योगिकी पद्धति, नवीनतम ग्रीन हाउस खेती की नेट हाउस उर्वरकीकरण (फर्टीगेशन) मृदा–रहित संस्कृति तथा खुली खेत फसल उत्पादन की नवीतम तकनीकें प्रदर्शित करने के वास्ते जैसी कि इसरायल में अपनाई जाती है, दस हेक्टेयर फार्म यूनिट स्थापित करना है। इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय 786.36 लाख रुपए है जिसमें से भारत सरकार का अंशदान 301. 55 लाख रुपए होगा।

(vi) **राष्ट्रीय मूल मसाला अनुसंधान केन्द्र** : मसाले मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., बिहार और आन्ध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं। मूल मसालों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भा.कृ.अ.प. ने अजमेर (राजस्थान) के निकट तोबिगी में राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इस परियोजना के लिए नौवीं योजना परिव्यय 122 लाख रुपए है।

(vii) **क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सीएसएसआरई, लखनऊ** : केन्द्रीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआरआरआई) के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लवणता और क्षारीयता की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान करना है। नौवीं योजना में इस परियोजना के वास्ते 80 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(viii) **सक्षम भूमि और जल प्रबंधन हेतु इंजीनियरी उपाय** : इस वस्तुतनिष्ठ स्कीम का उद्देश्य, भूमि और जल प्रबंधन हेतु अपेक्षित भिन्न–भिन्न इंजीनियरी उपायों के उपयोग के संबंध में अनुसंधान आयोजित करना है। नौंवी योजना में इस परियोजना के लिए 120 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

(ix) **गलघोटू हेमोराहगिक सेपटिसामिआ संबंधी नेटवर्क** : यह परियोजना नस्लों और उप–किस्मों की सिरोटाइपिंग द्वारा रोग के पूर्वानुमान में सन्निहित विभिन्न सिरोटाइपों के महामारी रोग विज्ञान के ब्यौरे तैयार करने तथा विद्यमान निदान विद्या संशोधित/विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए नौवीं योजना में 114 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(x) **जठरान्त्र परजीविता संबंधी अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)** : इस स्कीम को, आईवीआरआई, इजतनगर, बरेली में समन्वित यूनिट के साथ छः स्थानों पर केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य महामारी विज्ञान संबंधी डाटा सृजित करना, जैव–जलवायु ग्राफ तैयार करना और विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में

महत्त्वपूर्ण जठरान्त्रीय कृमियों की रूपरेखा तैयार करना तथा साथ ही पूर्वानुमान माडल विकासित करना भी है। इस परियोजना के लिए नौवीं योजना परिव्यय 120 लाख रुपए है।

(xi) **ग्राम जागरूकता कार्य अनुभव कार्यक्रम** : इस परियोजना का उद्देश्य अवर स्नातक छात्रों को कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में वास्तविक क्षेत्रीय स्थितियों की जानकारी प्रदान करना है। अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा करने से पहले अध्यापकों के पर्यवेक्षण में छात्र खेत में काम करेंगे। इस परियोजना के लिए नौवीं योजना परिव्यय 800 लाख रुपए है।

(xii) **अन्य कार्यकलाप** : इस अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें भी आयोजित की गईः

(क) सदस्य (कृषि), योजना आयोग, ने डीएसी के चालू कार्यक्रमों के अभिसरण/ छटनी करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा करने हेतु 10,11 और 20 अप्रैल 2000 को बैठकों की अध्यक्षता की।

(ख) अन्तरिक्ष, कृषि, जलवायु विज्ञान और भू–आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रस्ताव संबंधी एक प्रदर्शन कार्यक्रम सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में 25.8.2000 को योजना आयोग में आयोजित किया गया।

(ग) नाबार्ड के कार्यकलापों के संबंध में 24 नवम्बर 2000 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष को एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

5. प्रभाग ने कृषि क्षेत्रक की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1992–2000) को मध्यावधिक मूल्यांकन को भी अन्तिम रूप दिया। मध्यावधिक मूल्यांकन की विशेषताएं नीचे बाक्स में दी गई हैं :

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के मध्यावधिक मूल्यांकन की विशेषताएं: कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

- 1990 के दशक के दौरान खाद्यान्न और खाद्यान्न–भिन्न फसलों के उत्पादन की वृद्धि दर में कमी जो क्रमश : 3.54 से 1.8 प्रतिशत और 4.02 प्रतिशत से 3.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई।

- 1990 के दशक के दौरान दूध और मछली उत्पादन की वृद्धि दर क्रमश: 4.78 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

- कृषि के संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण, विशेष रूप से 1990 के दशक में, सिंचाई और विद्युत में नई पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण की बाजार निविष्टियों में सब्सिडियों के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर रहा है। इससे, दुर्लभ संसाधनों के अक्षम उपयोगों के अलावा कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों में कमी आती है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अवस्थापना में सिंचाई में विशेष रूप से नहरों और सड़कों में कम सार्वजनिक निवेश और असंतोषजनक रख-रखाव होता है, ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेशों में कमी आती है इसलिए किसान उत्पादन का वही स्तर बनाए रखने के लिए और सब्सिडियों की मांग करते हैं। फलस्वरूप सरकार अधिक एमएसपी देने के लिए बाध्य हो जाती है, जिससे निवेश योग्य योजना निधियों में और कमी आती है। कुल मिलाकर परिणाम यह है कि कृषि में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की गति और पद्धति धीमी पड़ गई है और टीएफपी (कुल कारक उत्पादकता) कम हो गई है। वर्तमान दृष्टिकोण की साम्यता, कार्यकुशलता और संधारणीयता सन्देहास्पद हो जाती है।

- वर्षापोषित क्षेत्रों में कम पैदावार, भूजल क्षमता के दोहन, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के, निम्न बीज प्रतिस्थापन दर, स्थान विशिष्ट एचवाईवी बीजों की अनुपलब्धता, उर्वरकों के असंतुलित उपभोग और माइक्रो-पोषक जरूरतों जैसी बहुत सी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- कुल सकल पूंजी निर्माण (टीजीसीएफ) की प्रतिशतता के रूप में कृषि में सकल पूंजी निर्माण में अत्यधिक गिरावट आई और कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफए) जो 1979-80 में 19 प्रतिशत था 1980-81 कीमतों पर कम होकर 1996-97 में 9.4 प्रतिशत रह गया। 1993-94 कीमतों पर, जीसीएफए, 1996–97 में 6.3 प्रतिशत से कम होकर 1998–99 में 5.5 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिक क्षेत्रक में जीसीएफए में तेजी से कमी आई है जो 1980–81 में 15.3 प्रतिशत से घट कर 1998–99 में 4.9 प्रतिशत रह गया।

– कृषि में व्यापार अनेक प्रतिबंधों की समस्याओं से घिरा है जो इसकी स्थिति और प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में बाधक बनी हुई है। इन कारणों से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, आवागमन, भण्डारण, व्यापार वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट, एकाधिकारपूर्ण खरीद, प्रसंस्करण, और निर्यात पर से सभी प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए ताकि किसान मुक्त बाजार का लाभ उठा सके।

भविष्य के लिए नीतियां

– निविष्टियों पर सब्जियों के युक्तिकरण, ग्रामीण क्रेडिट से संबंधित संस्थात्मक सुधार, भूमि के संबंध में पट्टा बाजार खोलने, एकीकृत नाशीकीट प्रबंधन (आईपीएम) तथा एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) को लोकप्रिय बनाने कटाई पश्चात प्रसंस्करण प्रक्रिया को सुदृढ करने, भण्डारण/शीतागार और विपणन सुविधाओं, डेयरी सहकारिताओं को सुदृढ करने, गहन समुद्रीय मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा आदि जैसे कुछेक प्रमुख सुधारों और संरचनात्मक मुद्दों पर विचार किए जाने की जरूरत है।

– बायो–टेक्नोलोजी जैसे अग्रणी विज्ञानों, दूरवर्ती संवेदन प्रौद्योगिकी, कटाई पष्चात प्रबंधन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण हेतु संरक्षण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को राष्ट्रीय अनुसंधान पद्धति में तथा साथ ही स्वामित्व संबंधी अनुसंधान में भी प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

– पशु पोषाहार सुधारने हेतु चारे की फसलों और चारे के पेड़ों की खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता।

– कृषि के विविधीकरण को बड़े पैमाने पर शुरू करना होगा। विशिष्ट फसलों के स्थान पर अब न केवल एकीकृत फसल पद्धति विकसित करने के बदलाव पर जोर देने पर बल्कि एकीकृत खेती पद्धतियों पर बल देना होगा, जिसमें पशुपालन और डेयरी उद्योग, बागवानी, मछली पालन, रेशमपालन, मधुमक्खीपालन आदि शामिल है।

5.2 पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग

6. पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग ने, असुविधाप्राप्त समूहों तथा अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने की चालू नीतियों और कार्यक्रमों का युक्तिकरण/पुनर्गठन करने का अपना काम जारी रखा ताकि उन्हें शेष समाज के बराबर लाया जा सके।

7. विगत तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए 1000.18 करोड़ रुपए का परिव्यय (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिव्यय के 10 प्रतिशत को छोड़कर) और जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए 810.50 करोड़ रुपए का परिव्यय, वार्षिक योजना 2000–2001 में विनिर्धारित किया गया था। प्रभाग, नौवीं योजना में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के नोडल मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ सक्रियता के साथ विचार–विमर्श करता रहता है।

8. प्रभाग ने वर्ष 2000–2001 के लिए वार्षिक योजना पर सविस्तारपूर्वक चर्चा करने के वास्ते केन्द्रीय और राज्य योजना कार्य दल चर्चाएं भी आयोजित की तथा उनके निष्पादन के आधार पर परिव्ययों की सिफारिश कीं। एससीपी तथा टीएसपी का कार्यान्वयन, एससीपी तथा टीएसपी के लिए एससीए का उपयोग, एससीए का सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिए विचलन आदि कुछेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य योजना चर्चाओं के दौरान ध्यान दिया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) को राज्य क्षेत्रक परिव्यय के एक भाग के रूप में शामिल न करने का अनुरोध किया गया क्योंकि एससीपी और टीएसपी के लिए एससीए, राज्य योजना परिव्यय के अलावा योगात्मक है।

9. एससीपी और टीएसपी की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए 1999 में योजना आयोग के अधीन स्थापित केन्द्रीय स्थानीय त्रिपक्षीय समिति (सीएसटीसी) ने 15 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एससीपी/टीएसपी के निर्माण और कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। जिन मंत्रालयों/विभागों की एससीपी/टीएसपी नहीं है, उनसे (i) एससी तथा एसटी सम्बंधी स्कीमों के विनिर्धारण, और (ii) जनसंख्या अनुपात निधियों के विनिश्चयन के माध्यम से एससीपी तथा टीएससी योजनाएं तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार, सात राज्यों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, प. बंगाल ने भी राज्य स्तर पर एससीपी और टीएसपी कार्यान्वनय की समीक्षा करने हेतु ऐसी ही समितियां गठित की।

10. प्रभाग ने इन असुविधाप्राप्त समूहों के कल्याण और विकास हेतु निर्धारित स्कीमों से

संबंधित मंत्रिमंडल प्रस्तावों/ईएफसी/एसएफसी ज्ञापनों की जांच पड़ताल की और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। एससी/एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं को भी योजना आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।

11. दिनांक 25.9.2000 और 6.12.2000 को आयोजित एससी और एसटी के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक में योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान निधियों के आबंटन के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

12. योजना आयोग के 50 वर्ष पूरे हो जाने की स्मृति में प्रभाग ने 2 डाटा शीट प्रकाशित की एक एससी के संबंध में और दूसरी एसटी के संबंध में, जिनमें भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से एससी तथा एसटी जनसंख्या के संबंध में विभिन्न विकासात्मक संकेतकों की राज्य–वार तुलनात्मक स्थिति चित्रित की गई है। इन डाटा शीटों से, एससी और एसटी का स्तर शेष समाज के बराबर लाने की संवैधानिक वचनबद्धता पूरी करने के लिए पूरी की जाने वाली लम्बी यात्रा प्रदर्शित करने के अलावा, एससी/एसटी तथा शेष जनसंख्या के बीच बड़े विकास अन्तरों का पता चलता है।

13. वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यकलापों के एक भाग के रूप में प्रभाग ने दो संचालन समितियां गठित की हैं, यथा: (i) एसटी की अधिकारिता के संबंध में संचालन समिति, और (ii) एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों की अधिकारिता संबंधी संचालन समिति और 4 कार्य दल, नामतः (क) एसटी की अधिकारिता के संबंध में कार्य दल (ख) एससी की अधिकारिता के संबंध में कार्य दल; (ग) ओबीसी की अधिकारिता के संबंध में कार्य दल; और (घ) अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के संबंध में कार्य दल। इन समितियों तथा कार्य दलों की बैठकें जनवरी 2001 के प्रारंभ से शुरू होने की उम्मीद है।

14. प्रभाग में वरिष्ठ अधिकारियों ने, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कामकाज की समीक्षा करने के वास्ते क्षेत्रीय दौरे किए। एससीपी और टीएसपी के आयोजन तथा कार्यान्वयन के संबंध में आईईएस और आईएफएस अधिकारियों को अनुस्थापन प्रदान किया गया।

5.3 संचार और सूचना (सी एण्ड आई) प्रभाग

15. प्रभाग, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के दूर संचार, डाक, सूचना और प्रसार तथा सूचना प्रौद्योगिकी

क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई है और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया। प्रभाग ने, दूरसंचार, डाक, सू.प्रौ. और सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रकों की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के मध्यावधिक मूल्यांकन को भी अन्तिम रूप दिया।

16. उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में दूर संचार क्षेत्रक में बड़े परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। दूरवर्ती प्रचालन खोलना देशज और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों, डीओटी के प्रचालन नेटवर्क का निगमीकरण और टेरिफ का पुनःसंतुलनीकरण, वर्ष के दौरान इस क्षेत्रक में सुधार के प्रमुख क्षेत्र थे। प्रभाग, इन क्षेत्रों में सन्निहित नीति विकल्पों की बारीकी से जांच करने और सुझाने में सक्रिय रूप से सम्मिलित था। जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों की जांच की गई उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- देशज दूरवर्ती प्रचालन (डीएमडीओ) निजी भागीदारी के लिए खोलना।
- दूरसंचार सेवाओं की देख–भाल करने के लिए भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) नामक एक पृथक निगम सृजित करके दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन।
- यूनिवर्सल सर्विस आबलिगेषन (यूएसओ) के संबंध में टीआरएआई द्वारा तैयार परामर्श पत्र।
- रेलवे मंत्रालय द्वारा ब्राडबैण्ड टेलीकाम और मल्टीमीडिया कार्पोरेशन का सृजन।
- पावर ग्रिड कार्पोरेशन का दूरसंचार क्षेत्रक में विविधीकरण।
- एनटीपी 1999 के अन्तर्गत राजस्व विभाजन व्यवस्था में सैल्यूलर, बुनियादी व अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के विद्यमान लाइसेंसधारियों का उत्प्रवास, जिसमें बकाया की अदायगी के लिए समयावृद्धि सम्मिलित है।
- इनटरनेट एक्सप्रैस लि. (आईईएल) नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन तथा केनया में बुनियादी सेवाएं प्रचालित करने के वास्ते एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने के संबंध में टीसीआईएल के प्रस्ताव।

- दूरसंचार क्षेत्रक में सार्वजनिक क्षेत्रक यूनिटों, यथा एचटीएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल में विनिवेश।

- सेवाओं के अभिसरण के संबंध में संचार विधेयक 2000 का मसौदा।

17. दूरसंचार विभाग ने, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन मानीटर करने के लिए अनेक अन्तर–मंत्रालयीय दल गठित किए हैं। प्रभाग को ऐसे अनेक दलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र टेलीफोनी/पूर्वोत्तर में दूरसंचार का विस्तार, वायरलैस आयोजना तथा समन्वय समिति आदि जैसे दल।

18. विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक कार्यकलाप के नवीनतम व सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्षेत्रों में से एक है। भारत सरकार ने भारत को एक सू. प्रौ. सुपरशक्ति और सूचना क्रान्ति में एक अग्रणी के रूप में बनाने का संकल्प लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप देश में आवश्यक संस्थात्मक तथा कानूनी रूप–रेखा तैयार की जा रही है। सी एण्ड आई प्रभाग ने सन्निहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों की बारीकी से जांच की और उनके संबंध में टिप्पणियां प्रदान की। उनमें महत्त्वपूर्ण हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
- पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में सामुदायिक सूचना केन्द्र परियोजना।
- इनटरनेट तथा सू.प्रौ.–समर्थित सेवाओं के समुचित विकास हेतु देश में बैण्डविडम।

19. सी एण्ड आई प्रभाग ने, प्रयोक्ता अनुकूल साइट तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के साथ सहज संयोजन की व्यवस्था करते हुए वाईबीयू/एनआईसी के सहयोग से योजना आयोग वेबसाइट के पुनर्गठन का कार्य किया। पुनर्गठित वेबसाइट में महत्त्वपूर्ण और संगत योजना आयोग प्रलेख सम्मिलित हैं तथा उसे अन्ततः नवम्बर 2000 में वेब (http://planningcommission.nic.in) पर प्रस्तुत कर दिया गया। जिन महत्त्वपूर्ण प्रलेखों को वेब पर प्रस्तुत किया गया उनमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन की विशेषताएं तथा मुख्य प्रलेख और वार्षिक योजना 2000–2001 प्रलेख शामिल हैं। दस हजार से अधिक इनटरनेट सर्फर्स ने साइट का दौरा किया है।

20. सी एण्ड आई प्रभाग, 'सूचना द्वार' की भी देखभाल कर रहा है, जो योजना भवन के भूतल पर स्वागत कक्ष के निकट एक साइबर सूचना फेसिलिटी आउटलेट है, जिसमें इनटरनेट कनेक्शनों के साथ तीन कम्प्यूटर हैं। विकास सूचना हेतु इनटरनेट की खोज करने के लिए पत्रकारों तथा शिक्षाविदों को अनुमति देने

के अलावा, 'सूचना द्वार' दर्शकों को योजना आयोग के संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराता है। यह काफी लोकप्रिय हुआ है और अब विभिन्न क्षेत्रों से औसतन पांच से आठ दर्शक तक प्रत्येक दिन दौरा करते हैं।

21. प्रभाग ने चुनिन्दा समाचार मदों का एक कम्प्यूट्रीकृत दैनिक डायजेस्ट प्रकाशित करके 'आन्तरिक सूचना सेवा'' जारी रखी। इसके अतिरिक्त इसने योजना सम्बद्ध मदों की समाचार–पत्र कतरने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री कार्यालय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर भेजना जारी रखा। यह प्रभाग योजना आयोग के अनेक प्रकाशन प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है तथा इसने सरकारी व गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रकों में विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच इनका व्यापक परिचालन सुनिश्चित किया।

22. डाक क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक है जिस पर 1990 दशक के प्रारंभ में शुरू की गई उदारीकरण की प्रक्रिया का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। सू.प्रौ. के अधिकाधिक उपयोग द्वारा डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण, दूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाओं का साथ–साथ विस्तार करना एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है। प्रभाग ने इस संबंध में विभिन्न स्कीमों पर विचार–विमर्श किया जिनमें पट्टा वित्त आधार पर डाक सेवाओं का कम्प्यूट्रीकरण और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का पुनरुद्धार शामिल है। प्रभाग ने 1980 के सीए संदर्भ सं. 9 (क) के संदर्भ में पंचाट बोर्ड अवार्ड के कार्यान्वयन और डाक टिकट प्रदर्शनी इन्टीपेक्स एशिआना 2000 के आयोजन पर भी विचार–विमर्श किया।

5.4 विकासात्मक नीति प्रभाग

23. विकास नीति प्रभाग ने वर्ष के दौरान प्रमुख फसलों के संबंध में कृषि लागत और कीमत आयोग (सीएसीपी) द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कीमत सिफारिशों की जांच की, जिनमें किसानों की दी जाने वाली न्यूनतम समर्थन कीमतों के संबंध में, खेती के अन्तर्गत क्षेत्रों का लगभग दो–तिहाई भाग सम्मिलित है। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण और साथ ही मुक्त व्यापार के संबंध में गेंहू और चावल के लिए केन्द्रीय निर्गत कीमत के निर्धारण और संशोधन के संबंध में भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। 'टीपीडीएस का पुनर्गठन–खाद्यान्नों का उठान सुधारने के लिए उपायों' तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न पर आरोपित कर और शुल्कों की कटौती के संबंध में मत्रिमंडल टिप्पणियों की भी प्रभाग में जांच पड़ताल की गई।

24. प्रभाग ने, वार्षिक योजना चर्चाओं हेतु खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भेजे गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वार्षिक योजना प्रस्तावों की समीक्षा की। नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक अध्याय प्रभाग में तैयार किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में एक नीति लेख भी तैयार किया गया। कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रकों

के बीच व्यापार शर्तों, कृषि वस्तुओं में साझा बाजार तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध में भी प्रभाग में विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की गई।

25. विकास नीति प्रभाग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संकेतकों का सतत आधार पर मानीटरन किया। प्रभाग, 'इन्फ्लेशन जांच' पर आवधिक रिपोर्ट भी नियमित आधार पर प्रकाशित करता है। प्रभाग ने आर्थिक सम्पादक सम्मेलन (16–18 अक्तूबर 2000) के लिए पृष्ठ सामग्री तैयार करने के समन्वयन में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया।

5.5 शिक्षा प्रभाग

26. वर्ष के दौरान शिक्षा प्रभाग ने, मा.सं.वि.मं. के अधीन नोडल विभागों के साथ सक्रिय अन्योन्यक्रिया जारी रखी। प्रमुख कार्यकलाप शिक्षा क्षेत्रक में मध्यावधिक समीक्षा को अन्तिम रूप देना तथा प्रारम्भिक, प्रौढ़, माध्यमिक, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के सभी क्षेत्रकों और साथ ही भाषा विकास, कापीराइट सहित पुस्तक प्रोन्नयन में प्रमुख स्कीमों की समीक्षा के आधार पर मध्यवाधिक समीक्षा की गई। संस्कृति विभाग तथा युवा मामले व खेल मंत्रालय के परामर्श से कला और संस्कृति तथा खेल व युवा मामले क्षेत्रक में भी स्कीमों की समीक्षा की गई।

27. आलोच्य वर्ष के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण से संबंधित कार्य शुरू किया गया। शिक्षा क्षेत्रक में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र, जिन पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान देने की जरूरत है, विनिर्धारित किए गए हैं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने का काम शुरू किया गया है। शिक्षा प्रभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संदर्भ में चार संचालन समितियां तथा आठ कार्य दल गठित किए हैं जिनमें शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारीगण, गैर–सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ये संचालन समितियां/कार्य दल अपने संदर्भाधीन विषयों के अनुसार विभिन्न विषयों, क्षेत्रकों की जांच–पड़ताल करेंगे। संचालन समितियों की पहली बैठक शीघ्र ही होने की सम्भावना है।

28. यह स्मरणीय है कि योजना आयोग ने एक सुविज्ञ सोसायटी के रूप में भारत के विकास के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में फरवरी 2000 में एक टास्क फोर्स का गठन किया। सदस्य (शिक्षा), इस टास्क फोर्स के संयोजक हैं। वर्ष के दौरान, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डी. ए.पी.जे. कलाम के मार्गदर्शन में निम्नलिखित छः कार्यशालाएं आयोजित की गईः

- पहली कार्यशाला 19 मई 2000 विकास में 'ज्ञान का अनुप्रयोग तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग'।

- दूसरी कार्यशाला 20 मई 2000 'एक ज्ञानन्यास' और शैक्षिक विकास वित्त निगम की स्थापना'।

- तीसरी कार्यशाला – 13 जून 2000 'एक सुविज्ञ सोसायटी के विकास से संबंधित सामाजिक मुददें।

- चौथी कार्यशाला – 22 जून 2000 'ज्ञान सोसायटी में सू.प्रौ. की बढ़ती भूमिका' तथा 'बायो–टेक्नोलोजी और ड्रग डिजाइन में लीवरेज कम्पीटेन्सीज'।

- पांचवीं कार्यशाला – 23 जून 2000 'सुविज्ञ सोसायटी का प्रबंधन'।

- अन्तिम कार्यशाला – 22 सितम्बर 2000 टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए।

29. योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी विकास मिशनों के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति की एक बैठक प्रभाग द्वारा 5 दिसम्बर 2000 को आयोजित की गई। प्रौद्योगिकी विकास मिशनों की स्थापना भारतीय उद्योग के अनुसंधान एवं विकास आधार को आधुनिक बनाने तथा उद्योग व मा. प्रौ. संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने के वास्ते आठवीं योजना के दौरान की गई थी। बैठक में प्रथम चरण के प्रौ. वि.मि. की समीक्षा की गई जिसमें सात प्रजातिगत क्षेत्रों के मिशन सम्मिलित हैं, जैसे कि ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी, संचार उत्पत्तिमूलक इंजीनियरी, खाद्य प्रसंस्करण आदि। उपरोक्त बैठक में राष्ट्रीय संचालन समिति ने, प्रौ.वि. मिशन के दूसरे चरण में शुरू किए जाने वाले आठ नए प्रजातिगत क्षेत्र अनुमोदित किए, जिनमें सामग्री प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन प्रबंधन, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि में 101 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। यह निर्णय लिया गया कि लघु तथा मझौले उद्योगों को प्रौ.वि.मि. में भागीदार बनाया जाए और कि उपरोक्त परियोजनाएं तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।

30. शिक्षा प्रभाग ने शिक्षा क्षेत्रक की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अभिसरण के संबंध में कार्य पूरा किया। इस अभिसरण से बेहतर कार्यान्वयन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा।

31. प्रभाग के अधिकारीगण सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण से प्रत्येक स्तर पर निकटतः जुड़े हुए हैं जिसका उद्देश्य एक साकल्यवादी तथा अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से मिशन पद्धति में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य हैं:

उद्देश्य :

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आठ वर्ष तक पर्याप्त सुविधाओं का सृजन।
- जिन बस्तियों में यह सुविधा नहीं है वहां वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की व्यवस्था।
- स्कूलों को आकर्षक बनाने के वास्ते प्रभावी शैक्षणिक उपाय।
- निर्धनतम बच्चों की स्कूली शिक्षा की लागत वहन करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था।

लक्ष्य

- सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों, वापिस स्कूल चलों शिविरों का अंग बनाना।
- सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्श की स्कूल शिक्षा पूरी करें।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी करें।
- 2010 तक सर्वसुलभ प्रतिधारण।

32. शिक्षा प्रभाग के अधिकारियों ने बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए मध्यावधि भोजन, व अन्य प्रोत्साहन स्कीमों जैसी स्कीमों के संबंध में विभिन्न अध्ययनों की जांच पड़ताल की। ये अध्ययन आयोग द्वारा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को पिछले वर्ष मंजूर किए गए थे जिन्होंने अब अपनी अन्तिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। कुछेक राज्यों में आयोजित उपरोक्त प्रतिदर्श अध्ययनों के निष्कर्ष/सिफारिशें प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग म.सं.वि.मं. को आवश्यक

सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं।

5.6 पर्यावरण और वन प्रभाग (ई एण्ड एफ)

33. योजना आयोग के पर्यावरण वन प्रभाग ने नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन तथा पर्यावरण व वन मंत्रालय की वार्षिक योजना 2001–2002 को अन्तिम रूप देने का कार्य किया।

34. ई एण्ड एफ यूनिट, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के पशु कल्याण घटक का भी कार्य देखता है। पशु कल्याण के संबंध में नौवीं योजना और वार्षिक योजना अनुमोदित की गई। ई एण्ड एफ यूनिट ने, वर्ष 2001–2002 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के वास्ते चर्चाओं के एक भाग के रूप में पर्यावरण और वन संबंधी कार्य दलों में भी भाग लिया।

35. राज्य विशिष्ट विवरणों के साथ एक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण डाटाबेस निर्मित करने के लिए एक बड़ा कार्य शुरू किया गया है। पर्यावरण, वन और वन्य जीवन को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत प्रारूप तैयार और राज्यों को परिचालित किया गया है। लगभग 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो चुकी है। अन्ततः इस डाटाबेस को योजना आयोग के वेबसाइट पर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम का उपयोग करके पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रक सूचना तक पारदर्शिता, पर्यावरणात्मक जागरूकता और व्यापक पहुंच सुकर हो सके।

36. उपाध्यक्ष ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा जिसमें आधुनिकतम पर्यावरण रिपोर्ट, स्थानीय पर्यावरणात्मक मुद्दों के प्राथमिकताकरण के आधार पर कार्रवाई हेतु राज्य–विशिष्ट कार्यसूची तथा साथ ही प्राकृतिक संसाधन खाता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

37. एक भूटानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया और देश में उपलब्ध जलवायु परिवर्तन डाटाबेस की जानकारी उनके साथ बांटी गई। देश में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता उन्हें अपने देश की ग्रीन हाउस गैसों की तालिका तैयार करने के वास्ते प्रस्तुत की गई।

38. योजना आयोग में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा अन्दरूनी वायु प्रदूषण

(डा. किर्कस्मिथ, केलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली) जल प्रदूषण के संबंध में एकीकृत नदी बेसिन दृष्टिकोण (विश्व बैंक) तथा ईस्ट कलकत्ता वेटलेण्ड में आक्सीडेशन पोंड टेक्नोलोजी (डा. ध्रुव ज्योति घोष) विषयों पर अनेक प्रस्तुतीकरणों की व्यवस्था की गई। विशेषज्ञमत के व्यापक परस्पर वर्ग को शामिल करके 'शहतूत व्यापार' पर एक रुचिकर वादविवाद शुरू किया गया।

39. डा. एम.एस. आहलुवालिया, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में 25 से अधिक विशेषज्ञों के साथ एक गहन अन्योन्यक्रिया सत्र आयोजित किया गया जिससे कि मध्यावधिक सुधार कार्य शुरू करने के वास्ते नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके। आमंत्रित विशेषज्ञों में टेरी, आईजीआईडीआर, एआईआईएमएस, मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

40. योजना आयोग ने कृषि वानिकी और संयुक्त प्रबंधन के जरिए भारत को हरित बनाने के संबंध में एक टास्क फोर्स गठित की है। कुल मिलाकर डा. डीएन तिवारी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की छः बैठकें आयोजित की गई। टास्क फोर्स की टिप्पणियों और सिफारिशों के व्यापक प्रसार के वास्ते चंडीगढ़, बंगलौर और लखनऊ में तीन क्षेत्रीय सेमिनार भी आयोजित किए गए जिससे कि परस्पर वर्ग का विशेषज्ञ मत और राज्य सरकारों की राय भी आमंत्रित की जा सके। टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

41. डा. डी.एन. तिवारी, सदस्य योजना आयोग के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 'संधारणीय निजी क्षेत्रक वानिकी हेतु साधनों' पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान की विश्व परियोजना के एक भाग के रूप में दक्षिण अफ्रीका दौरा किया। दल ने निजी उद्यमियों द्वारा अपने फार्मों पर वाणिज्यिक/आर्थिक वृक्ष उगाने के माध्यम से सामुदायिक विकास हेतु उनके प्रयासों को देखा।

42. प्रभाग ने, दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यावरण, वन और वन्यजीवन क्षेत्रकों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और नीतिगत उपायों का विनिर्धारण

किया गया है। पर्यावरण, वन और वन्यजीवन पर एक संचालन समिति तथा पर्यावरण, वन, वन्यजीवन और अनुसंधान तथा शिक्षा पर चार कार्य दल गठित किए गए हैं और संचालन समिति की पहली बैठक हो चुकी है।

43. ई एण्ड एफ यूनिट के कुछेक अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- यमुना नदी में न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने संबंधी उच्च अधिकारप्राप्त समिति की दो बैठकें सदस्य (ई एण्ड एफ), योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना विषयक मानीटरिंग समिति की दो बैठकें इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई।

- हिमालय के एकीकृत विकास विषयक संचालन समिति की एक बैठक योजना आयोग के सदस्य (ई.व.एफ) की अध्यक्षता में हुई।

- यूएनडीपी परियोजना – ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्थिरीकरण के चुने हुए विकल्प विषयक राष्ट्रीय संचालन समिति की एक बैठक योजना आयोग के सदस्य (ई.व. एफ) की अध्यक्षता में हुई।

5.7 वित्तीय संसाधन प्रभाग

44. योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का निर्धारण योजना–निर्माण का एक अभिन्न अंग है। योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमानों और प्रक्षेपणों के लिए अध्ययन और विश्लेषण पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करने समय किया जाता है। इस कार्य में पूर्ववर्ती (वार्षिक/ पंचवर्षीय) योजनाओं के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुमोदित योजना के वित्तपोषण की वास्तविक स्कीम की समीक्षा की जाती है और आगामी योजना के वित्तपोषण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के तरीके खोजे जाते हैं। वित्तीय संसाधन प्रभाग, केन्द्र की और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों के इस निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

45. वार्षिक योजना 2000–2001 : समीक्षाधीन अवधि में, प्रभाग ने केन्द्र और राज्यों की वार्षिक योजना 2000–2001 के लिए संसाधनों के निर्धारण का कार्य पूरा किया। वित्तीय संसाधन विषयक अध्याय और उसके साथ वार्षिक योजना 2000–2001 के वित्तपोषण के मात्रारूप ब्यौरों के अनुबंध वार्षिक योजना (2000–2001) के दस्तावेज में शामिल करने के लिए तैयार किए गए।

46. वार्षिक योजना 2000–2001 के वित्तपोषण के लिए कुल मिलाकर 88100 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दिया गया, जिसमें से 51276/– करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना के लिए और शेष 36824/– करोड़ रुपए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में रखे गए। वर्ष 2000–2001 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना का अनुमोदित परिव्यय 117334 रुपए है जो कि वर्ष 1999–2000 की योजना के लिए रखे गए परिव्यय से 13 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के संसाधन, जो 66058/– करोड़ रुपए रखे गए है और केन्द्रीय योजना के लिए बजट समर्थन जो 51276 करोड़ रुपए रखा गया है, वह वर्ष 1999–2000 की योजना के लिए उपबंधित तदनुरूप परिव्ययों से, सांकेतिक शामिल अर्थों में, क्रमशः 11 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत अधिक है।

47. वार्षिक योजना 2001–2002 : केन्द्र तथा राज्यों की वर्ष 2001–2002 की वार्षिक योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमान/निर्धारण की प्रक्रिया समीक्षाधीन अवधि में प्रारंभ की गई थी। प्रभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2001–2002 की योजना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (सीपीएसई) के आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) के निर्धारण के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया में भाग लिया। वर्ष 1997–2001 की अवधि में योजना व्यय (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए दी गई सहायता सहित) और योजना–भिन्न व्यय की प्रवृत्तियों के आवश्यक ब्यौरे और वार्षिक योजना 2001–2002 के लिए सकट बजटीय समर्थन के अन्तिम अनुमान, इस संबंध में, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच विचार–विमर्श को सुकर बनाने के लिए इस प्रभाग में तैयार किए गए। सभी राज्यों को अपनी–अपनी योजना के वित्तपोषण की स्कीम तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों के आधार पर राज्यों द्वारा तैयार की गई वित्तपोषण की स्कीम पर वित्तीय संसाधन प्रभाग के सलाहकार की अध्यक्षता में, वित्तीय संसाधन विषयक कार्यकारी दल

द्वारा विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया जाएगा। इस कार्यकारी दल में वित्तीय संसाधन प्रभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारी होंगे। इस कार्यकारी दल में जो मतैक्य प्राप्त होगा उसके आधार पर राज्यों की वार्षिक योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच चर्चा की जाएगी।

48. वार्षिक योजना 2001–2002 की योजना के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व योजना आयोग द्वारा किया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन होगा। नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में समाविष्ट संसाधन आयाम विषयक निष्कर्ष तथा विचार नीचे दिए गए हैं:

नौवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए): संसाधन आयाम

49. वर्ष के दौरान सम्पन्न किए गए नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में, नौवीं योजना के लिए किए गए प्रक्षेपणों के संदर्भ में, केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं के वित्तपोषण में पाई गई प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया हैं। नौवीं योजना अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्रक के योजना परिव्यय का लक्ष्य 8,59,200/– करोड़ रुपए (1996–97 के मूल्यों पर) रखा गया था। परिव्यय के वित्तपोषण के लिए समग्र बजटीय संसाधन और आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधन (आईईबीआर) क्रमशः 5,18,791/– करोड़ रुपए और 3,40,409/– करोड़ रुपए अनुमानित थे जो परिव्यय का 60.4 प्रतिशत और 39.6 प्रतिशत बैठते हैं। नौवीं योजना के उपर्युक्त कुल परिव्यय में से, केन्द्र का योजना परिव्यय 489361 करोड़ रु. रखा गया था। राज्यों और विधान मंडल वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय 3,66,979/– करोड़ रु. और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का परिव्यय 2,860/– करोड़ रु. अनुमोदित किया गया था।

मध्यावधिक मूल्यांकन – केन्द्रीय योजना

50. केन्द्र की योजना को बजट समर्थन देने के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं को सहायता देने के लिए, केन्द्र द्वारा नौवीं योजना में 3,74,000/– करोड़ रु. जुटाए जाने की उम्मीद की गई थी। तीन वार्षिक योजनाओं (1997–1998 से 1999–2000 तक) में केन्द्र द्वारा कुल मिलाकर 2,05,290/– करोड़ रु. का सकल बजट समर्थन (जीबीएस) दिया गया है। तुलनीय कीमतों पर (आधार 1996–97), यह 1,98,631/– करोड़ रु. के योजना अनुमानों के मुकाबले, 1,81,527/– करोड़ रु. बैठता है जो कि योजना प्रक्षेपणों की अपेक्षा 17,104/– करोड़ रु. यानी 8.6 प्रतिशत कम है। ब्यौरा सारणी–1 में दिया गया है।

सारणी–1

केन्द्र द्वारा जुटाए गए बजटीय संसाधन

(चालू कीमतों पर करोड़ रु. में)

संसाधन	प्रक्षेपण 1997–2000 के लिए	वसूली 1997–2000 के दौरान	वृद्धि / कमी 1997–2000 के दौरान
1. चालू राजस्व से शेष	(–)32,135	(–)94,902	(–)62,767
2. प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां	(–)17,256	(–)10,991	6,265
3. उधार और अन्य देनदारियां	2,74,349	3,11,183	36,834
जोड़	**2,24,958**	**2,05,290**	**(–)19,668**

51. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रकीय उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा किया गया निवेश केन्द्र के लिए आबंटित 4,89,361 / – करोड़ रु. के कुल अनुमानित योजना परिव्यय का एक महत्त्वपूर्ण घटक (66 प्रतिशत) है। नौवीं योजना के प्रक्षेपणों / पूर्वानुमानों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रकीय उद्यमों द्वारा किया गया 3,23,379 / – करोड़ रु. का योजना निवेश शामिल है, जिसमें से बजट समर्थन और आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधन क्रमशः 11.75 प्रतिशत और 88.25 प्रतिशत प्रक्षेपित किए गए थे। योजना अवधि के तीन वर्षों (1999–2000) के दौरान, उद्यमों के अनुमानित योजना बजट समर्थन का 56.52 प्रतिशत प्राप्त किया और इन योजना प्रक्षेपणों के 47 प्रतिशत तक आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधन जुटाए।

सारणी–2

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रकीय उद्यमों का योजना निवेश

(नौवीं योजना के प्रक्षेपण और 1999–2000 के लिए संशोधित अनुमान)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	नौवीं योजना प्रक्षेपण	1997–2000 (सं. अनु.)	कालम (4), कालम (3) के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
I	बजट समर्थन	38000	21478	56.52
II	आईईबीआर (आईआईए + आईआईबी)	285379	133403	46.75
II क	आन्तरिक संसाधन	161524	79082	48.96
II ख	उधार बजट बाह्य संसाधन	123855	54321	43.86
III	**सीपीएसई का योजना परिव्यय (I + II)**	**323379**	**154881**	**47.89**

टिप्पणी : कालम 4 संबंधित वार्षिक योजनाओं में संशोधित अनुमानों का योग है।

* नौवीं योजना के दस्तावेज में बजटीय समर्थन और आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधनों के प्रक्षेपण ही दिए गए हैं। बजट–बाह्य संसाधनों और आन्तरिक संसाधनों का विभाजन उस रिपोर्ट पर आधारित है जो नौवीं योजना के लिए केन्द्र के संसाधन विषयक कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गई है।

आंकड़े 1996–97 की स्थिर कीमतों पर आधारित हैं।

52. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रकीय उद्यमों द्वारा 1997–1998 से 1999–2000 तक के तीन वर्षों के दौरान जुटाए गए आन्तरिक संसाधन नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों से ही नहीं बल्कि वार्षिक योजना अनुमानों से भी कम रहे हैं। सारणी–3 में प्रस्तुत किए गए आन्तरिक तथा बजट–बाह्य संसाधनों के आंकड़ों से पता चलता है कि आन्तरिक संसाधनों की उत्पत्ति में रही कमी इन उद्यमों की योजना के वित्तपोषण के लिए संसाधनों में रही कुल कमी का 65 प्रतिशत बैठती है।

सारणी–3

योजना निवेश का वित्तपोषण स्वरूप 1997–2000

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	मद	97–2000 ब.अ.	97–2000 सं. अ.	कमी	कमी में योगदान प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I	बजटीय समर्थन	22,106	21,478	628	2.48
II	आईईबीआर (II क II ख)	1,58,091	1,33,403	24,688	97.52
II क	आन्तरिक संसाधन	95,603	79,082	16,521	65.26
II ख	उधार / बजट बाह्य	62,488	54,321	8,167	32.26
III	**सीपीएसई का योजना परिव्यय (I + II)**	**1,80,197**	**1,54,881**	**25,316**	**100.00**

टिप्पणी : कालम 3 व 4 में संबंधित वार्षिक योजनाओं में (1996–97 की स्थिर कीमतों पर) बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों का योग दिया गया है। आंकड़े वर्ष 1996–97 की स्थिर कीमतों पर आधारित हैं।

53. इन उद्यमों को आन्तरिक संसाधन उत्पन्न करने और बाजार से ऋण पूंजी जुटाने में जो कठिनाई हुई है उसका पता इस तथ्य से चलता है कि आन्तरिक और बजट–बाह्य संसाधनों के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम यानी 24,688 करोड़ रु. कम रहे हैं जैसाकि सारणी–3 में दिखाया गया है।

मध्यावधिक मूल्यांकन – राज्य योजनाएं

54. नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए) से पता चलता है कि राज्यों द्वारा नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में, पूर्वानुमानित संसाधनों का केवल 44.4 प्रतिशत भाग ही जुटाया गया है। राज्यों की 'अपनी निधियों' के योगदान में भारी कमी रही है और एआरएम भी नीचा रहा है। इसके कारण उन्हें अपनी योजना के लिए अधिक उधार लेने पर बाध्य होना पड़ा है। तथ्य तो यह है कि योजना के वित्तपोषण के लिए राज्यों द्वारा उधार ली जाने वाली प्रक्षेपित राशि का 88.4 प्रतिशत से भी अधिक भाग पहले तीन वर्षों में ही उधार लिया जा चुका है। राज्यों की 'अपनी निधियों' अपनी उधार राशियों और केन्द्रीय सहायता के रूप में नौवीं योजना के प्रक्षेपण तथा वसूली के आंकड़े सारणी–4 में दिए गए हैं। राज्यों की अपनी निधियों के अंशदान में कमी मुख्यतः राज्यों के बीसीआर की गिरावट और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण रही है।

सारणी–4

नौवीं योजना के प्रक्षेपण और वसूली (1996–97 की कीमतों पर)

(करोड़ रु.)

मद	नौवीं योजना (प्रक्षेपण)	वसूली 1997–2000	वसूली प्रतिशत
1. राज्यों की अपनी निधियां	3,814.19	(–)79,597.68	(–)2,086.88
2. राज्यों की अपनी उधार राशियां	1,82,075.10	1,61,044.62	88.45
3. केन्द्रीय सहायता	1,68,775.00	76,187.82	45.14
4. नौवीं योजना परिव्यय	3,54,664.29	1,57,634.79	44.45

मध्यावधिक मूल्यांकन – नीतिगत अनिवार्यताएं

55. नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन से पता चलता है कि केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों और योजना–भिन्न राजस्व व्यय के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रकीय उद्यमों द्वारा आन्तरिक संसाधन उत्पन्न करने की गति धीमी हो रही है, ये ही योजना के वित्तपोषण में कमी रहने के प्रत्यक्ष कारण हैं। इसलिए मध्यावधिक मूल्यांकन द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ निवेश योग्य संसाधनों को जुटाने के लिए, निम्नलिखित नीतिगत अनिवार्यताएं बताई गई हैं :

- सेवा संबंधी क्षेत्रकों के संबंध में कर–आधार को व्यापक बनाना, बकाया वसूल करना और कर कानूनों का कड़ाई से पालन करना, विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों के मामले में इस ओर अधिक अध्ययन देने की आवश्यकता है।

- शून्य–आधारित बजट–प्रणाली को अपना कर अपव्यय पर कठोर नियंत्रण।

- योजना निवेश के लिए अधिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्रक के गैर–सामरिक उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करना।

56. मध्यावधिक मूल्यांकन में राज्यों के संबंध में सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल करें और इस हेतु वे राजस्व अधिक जुटाएं, योजना–भिन्न राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखें और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार करें।

वर्ष 2000–2001 से भारत सरकार में शून्य आधारित बजट निर्माण

57. वर्ष 1999–2000 के अपने बजट–भाषण में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने अपने सभी विभागों में शून्य–आधारित बजट–निर्माण की प्रणाली अपनाने के उद्देश्य की आवश्यक अभ्यास प्रारंभ कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम आबंटन की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। योजना आयोग (वित्तीय संसाधन प्रभाग) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा गठित केन्द्रीय मानीटरिंग ग्रुप के शून्य

आधारित बजट निर्माण अभ्यास में भाग ले रहा है। आशा की जाती है कि केन्द्रीय मानीटरिंग ग्रुप की सिफारिशें विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों तथा स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के कार्य में उपयोगी सिद्ध होंगी।

रिपोर्टें, समीक्षा पत्र/टिप्पणियां और अन्य मदें:

58. वित्तीय संसाधन प्रभाग ऐसी विश्लेषणात्मक टिप्पणियां, समीक्षा पत्र आदि तैयार करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है जो योजना निवेश के वित्तपोषण के संबंध में तैयार किए जाते हैं। वर्ष के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों, समीक्षा पत्रों और संक्षिप्त टिप्पणियों की सूची आगे बॉक्स में दी गई है।

वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान तैयार की गई रिपोर्टें, समीक्षा–पत्र/ टिप्पणियां

1. नए गठित झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों के लिए गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) का हिसाब लगाकर वित्त मंत्रालय के पास भेजा।

2. विदेशी सहायता के उपयोग के विषय में राज्य–वार संक्षिप्त विवरण वार्षिक योजना संबंधी चर्चाओं में उपयोग के लिए तैयार किए गए।

3. आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान आईबीआरडी/आईडीए द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में विदेशी सहायता के उपयोग के विषय में संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया।

4. पूर्वोत्तर राज्यों के वित्तीय संसाधनों के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रधान मंत्री कार्यालय तथा उपाध्यक्ष के लिए उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री की बैठक में विचारार्थ तैयार किया गया।

5. ग्यारहवें वित्त आंयोग को सौंपे गए अतिरिक्त विचारणीय विषयों पर योजना आयोग के सुझाव तैयार किए गए।

6. केन्द्रीय योजना के वित्तपोषण के विशेष संदर्भ में, केन्द्रीय बजट 2000–2001 के विषय में टिप्पणी तैयार की गई।

59. नियमित रूप से किए जाने वाले अन्य अनेक कार्य समीक्षाधीन अवधि में किए गए; जैसे, योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा; कुछ विशेष स्कीमों/कार्यक्रमों के योजनागत परिव्यय की पुनरीक्षा, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा परिचालित मंत्रिमंडलीय टिप्पणियों पर संक्षिप्त विवरण तैयार करना; योजना–भिन्न स्कीमों को योजना निधियों के अंतरण के विषय में टीका–टिप्पणी देना और योजना आयोग में विषयों से संबंधित अन्य प्रभागों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्तीय संसाधन प्रभाग के पास विचारार्थ भेजे गए विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र के वित्तीय विषयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की, जिनमें केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध शामिल हैं, की जांच करना।

5.8 स्वास्थ्य, पोषाहार और परिवार कल्याण

60. मानवीय विकास और जीवन स्तर में सुधार, अन्ततोगत्वा, संपूर्ण योजना कार्य का अन्तिम उद्देश्य है। जनसांख्यिकीय संक्रमण को शीघ्रता से सम्पन्न करना और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना मानवीय विकास और विकासात्मक प्रक्रिया की संधारणीयता के लिए अति महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। जनता के स्वास्थ्य तथा पोषाहार की स्थिति में सुधार लाना सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के लिए महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिनपर अधिक बल दिया जाता है। इस कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषाहार संबंधी सेवाओं के उपयोग में सुधार करना होगा और इस हेतु जनता के अल्प–सेवित और अल्प–सुविधाप्राप्त वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा।

प्रभाग निम्नलिखित विषयों की देखभाल करता है:

- **स्वास्थ्य**
  - राज्य तथा केन्द्र
  - आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी
- परिवार कल्याण
- पोषाहार

प्रभाग पर निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी है

- इन विषयों के संबंध में नीति तथा रणनीति संबंधी मार्गनिर्देश विकसित करना
  - आधारभूत ढांचा और जनशक्ति (आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी)
  - रोग नियंत्रण कार्यक्रम
  - परिवार कल्याण कार्यक्रम और
  - जनता की पोषाहार स्थिति को सुधारने के लिए नए कदम उठाना।
- जीवन शैली और रोगों की रूपरेखा में बदलती हुई प्रवृत्तियों पर नजर रखना और इन उभरती हुई समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से भावी रणनीतियां तैयार करने के लिए योजना बनाना।
- राज्य तथा केन्द्रीय सेक्टर में स्वास्थ्य, पोषाहार और परिवार कल्याण से संबंधित वर्तमान नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना और उपयुक्त परिवर्तन तथा मध्यमार्गीय संशोधन सुझाना।
- कार्यकुशला में और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए तरीके सुझाना।
- जन स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए और शीघ्रता से जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी, नैदानिक और शल्य क्रियात्मक अनुसंधान प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
- अन्तर–क्षेत्रकीय समस्याओं/प्रश्नों पर विचार करना और सेवाओं में तालमेल के लिए उपयुक्त नीतियां तथा रणनीतियां विकसित करना, ताकि जनता पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों से लाभ उठा सके।
- इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक/सेक्टर के लिए अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करना।

प्रभाग निम्नलिखित निकायों/समितियों में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी विभाग की सलाहकार समितियां;
- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी विभाग से सम्बन्धित ईएफसी/एसएफसी;
- राष्ट्रीय पोषाहार परिषद;
- राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो की संचालन समिति।

61. स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और राज्य सरकारें स्वास्थ्य और विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण, जनशक्ति नियोजन और मानवीय संसाधन विकास के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग जनसंख्या संबंधी बड़ी–बड़ी समस्याओं को सुलझाने में राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करता है। इस हेतु वह रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए केन्द्र–आयोजित स्कीमों (सीएसएस) में सहायता देता है। इन स्कीमों के अंतर्गत आईईसी और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर, उपभोग्य सामग्रियां, नैदानिक उपकरण, दवाइयां और सहायता दी जाती है। पहले से चले आ रहे और आगे भी चलने वाले केन्द्र–प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम मलेरिया और वेक्टर से फैलने वाले रोग तपेदिक, कोढ़, एचआईवी संक्रमण और अंधापन के नियंत्रण के लिए हैं। ये कार्यक्रम राज्यों के मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय रूप से निधिपोषित केन्द्र–प्रायोजित स्कीम है, जो अंशतः राज्यों के स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे के माध्यम से और अंशतः परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्मित आधारभूत ढांचे के माध्यम से चलाया जाता है। पोषण की समस्या एक बहुमुखी समस्या है। जनता की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए और पोषण संबंधी समस्याओं से उत्पन्न बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए सभी संबंधित क्षेत्रकों से समन्वित प्रयास आवश्यक है। एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्लू सीडी) माताओं तथा बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए खाद्य अनुपूरण कार्यक्रम चला रहा है। यह विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के लिए निधि की व्यवस्था करता है, जबकि राज्य सरकारें खाद्य अनुपूर्ति का निधि–पोषण करती हैं। स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सूक्ष्मपोषक तत्त्वों की कमी से उत्पन्न बड़ी–बड़ी समस्याओं जैसे रक्ताल्पता, विटामिन–ए की कमी और आयोडीन की कमी से उत्पन्न गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाता है।

आर्थिक सुधार और स्वास्थ्य क्षेत्रक/सेक्टर

62. भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार अनिवार्य रूप से आर्थिक सुधारों का ही अंग हैं। पूर्वी यूरोप के देशों में आर्थिक सुधारों और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के परिणामस्वरूप उन देशों में जनता के अपेक्षाकृत अधिक गरीब तबकों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पंहुच कम हो गई और इसके फलस्वरूप जनता के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नौवीं योजना बनाते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए गए कि भारत में ऐसा न हो।

63. नौवीं योजना में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि निम्नलिखित सेवाएं सभी लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी :

- आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा/देखभाल;
- आपाती और जीवन–रक्षक सेवाएं;
- संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए पहले से चले आ रहे कार्यक्रम के अंतर्गत रोग निरोधक, नैदानिक सेवाएं और दवाइयां;
- प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक, टीके और दवाइयां।

64. विभिन्न राज्यों के बीच स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों, उपलब्धता और पहुंच में तथा आर्थिक सूचकांकों में भी उल्लेखनीय अंतर को देखते हुए, नौवीं योजना में यह सुझाव दिया गया कि सभी राज्य द्वितीय तथ तृतीय श्रेणी की स्वस्थ्य रक्षा–व्यवस्थाओं में नैदानिक तथा उपचारात्मक सेवाओं के लिए गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों से लागत वसूली के लिए उपयुक्त तंत्र का विकास और उसका प्रयोग भी करें और यह देखें कि क्या इन निधियों का उपयोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

65. नौवीं योजना के अंतर्गत इन आवश्वस्त करने वाले प्रावधानों के बावजूद, यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि क्या आगे चलने वाले आर्थिक सुधारों का जन स्वास्थ्य के सूचकांकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने वर्ष 1992–93 (सुधार प्रारंभ किए जाने से पहले) और 1998–99 में (जब सुधार प्रक्रिया बाकायदा चल रही थी) उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तथा जनता के स्वास्थ्य एवं उर्वरता के सूचकांकों के विषय में जानकारी दी थी। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों और सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्वास्थ्य रक्षा (जैसे, प्रसव–पूर्व देखभाल, गर्भनिरोधात्मक स्वीकृति तथा प्रतिरक्षण) की व्याप्ति में सतत रूप से सुधार होता रहा है और सीबीआर और टीएफआर में कमी होती गई है। गर्भनिरोधकों के प्रयोग, पोषण–स्थिति और प्रतिरक्षण की व्याप्ति के विषय में तुलनात्मक आंकड़े नीचे आकृति में दिए गए हैं।

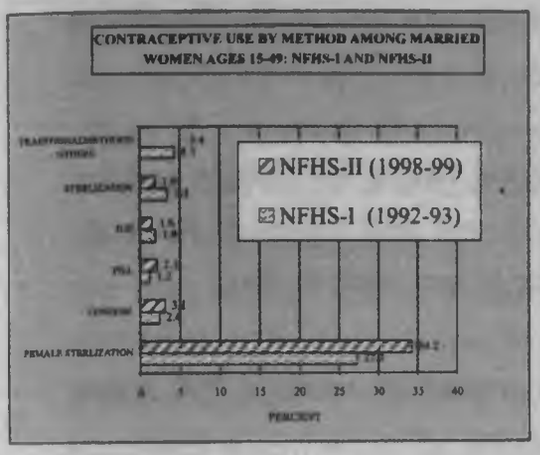

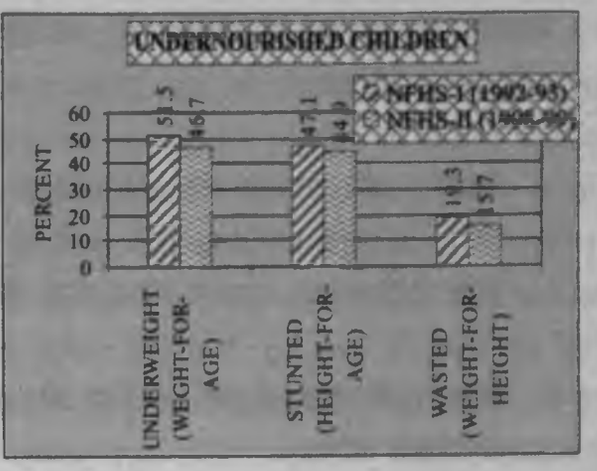

प्रतिरक्षण (13–24 महीने) व्याप्ति–एनएफएचएस-I व II

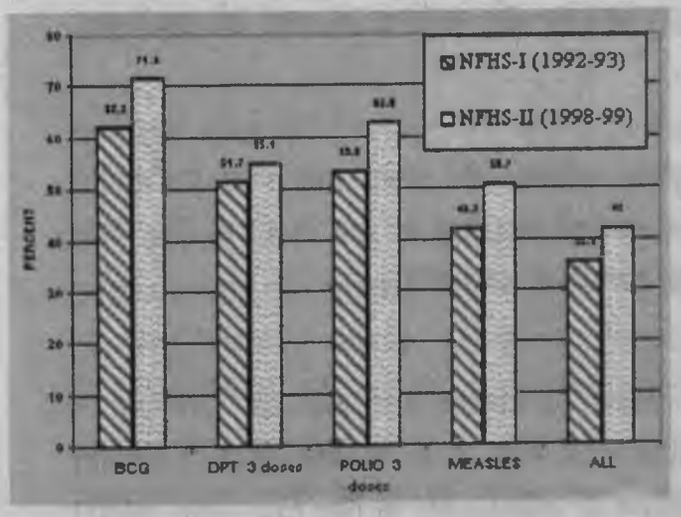

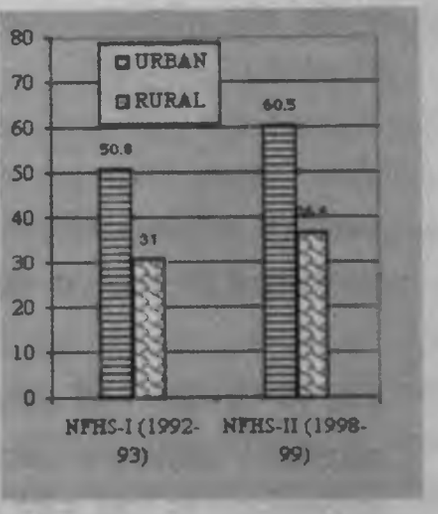

एसआरएस के आंकड़ों से एक अन्य स्वतंत्र तथ्य का पता चलता है कि इस अवधि में उर्वरता में बराबर कमी होती गई है; किन्तु, अशोधित (क्रूड) मृत्यु–दर में और शिशु मृत्यु–दर में गिरावट की गति बहुत धीमी रही है।

प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)

66. प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है:

- प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा की मौजूदा और चल रही संस्थाओं को सबल बनाने के लिए निम्नलिखित मदों पर 50 प्रतिशत :

  – नैदानिक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं के लिए दवाइयों (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ईएपी आदि के अंतर्गत दी जाने वाली दवाइयों से भिन्न) और रीजेंट (प्रतिकर्मक)/एक्सरे फिल्म जैसी उपभोग्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए।

  – एएनएम की यात्रा के खर्च के लिए और आवश्यक उपस्करों की मरम्मत के लिए फुटकर आकस्मिक खर्चे।

- उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत ढांचे को सबल बनाने, उसकी मरम्मत कराने और उसके रखरखाव के लिए 50 प्रतिशत। पेयजल की आपूर्ति, समुचित शौच सुविधाओं, अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट के प्रबंध को प्राथमिकता दी जाएगी।

- परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित सुविधा सर्वेक्षणों और राज्यों द्वारा किए गए सुविधा सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग उन संस्थाओं तथा क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें इन दो मदों के अंतर्गत धनराशियां प्राप्त होंगी।

- राज्य को दी जाने वाली धनराशियों का लगभग 40 प्रतिशत भाग 1991 की जनगणना में आईएमआर/सीबीआर के आधार पर निर्धारित सबसे नीचे के 20 प्रतिशत जिलों में विद्यमान आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने और उसे पूर्णरूप से सक्रिय बनाने के लिए दिया जाना चाहिए।

67. छः महीने से 36 महीने की आयु के बच्चे पोषाहार की दृष्टि से बहुत ही नाजुक व कमजोर होते हैं। एकीकृत बाल विकास स्कीम के अंतर्गत इस समय चल रहे कार्यक्रम इस आयु वर्ग की जरूरतों को पूरा नहीं करते क्योंकि ऐसे बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आ सकते और वहां फिलहाल दिए जा रहे भोजन को खा नहीं सकते। प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के पोषण संबंधी संघटक के अंतर्गत, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उन्हें यह भोजन उपलब्ध कराया जाए और उनके लिए यहां से भोजन की अनुपूर्ति घर ले जाई जा सके। प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत भोजन की घर ले जानी वाली अनुपूरक मात्रा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। भोजन की इस अनुपूरक मात्रा में 6–36 महीने के आयु वाले

बच्चों के लिए अनाज, दाल और तेलहन आदि शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य इस आयुवर्ग के बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए धनराशियों के आबंटन के संबंध में वही प्रतिमान अपनाए जाते हैं जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए अपनाए जा रहे हैं। इस फार्मूले के अनुसार, विशेष श्रेणी वाले राज्य प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत धनराशियां प्राप्त करते हैं; इन राज्यों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 6 प्रतिशत है। इसलिए कुछ राज्यों को प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 6–36 महीने के आयुवर्ग में आने वाले सभी बच्चों को खिलाने के लिए आवश्यक धनराशि से अधिक निधियां मिलती हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि एकीकृत बाल विकास स्कीम के कार्यक्रम के अंतर्गत पोषाहार अनुपूर्तियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था में काफी अधिक अंतराल है और यह भी कि अल्पपोषण की समस्या बहुत अधिक व्यापक है, योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन राज्यों के पास प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशियां हैं वे अतिरिक्त राशियों का उपयोग गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक लाभान्वित करने के लिए करें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि श्रेणी–III व IV के अंतर्गत आने वाले बच्चे अनुपूरक राशन की दोगुनी मात्रा प्राप्त करें, जैसाकि एकीकृत बाल विकास स्कीमों में विनिर्दिष्ट है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेफरल अस्पतालों तथा स्वास्थ्य जनशक्ति का विकास

68. पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक ऐसा भाग है जहां तृतीय स्तर तथा अति–विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही वहां स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मानवीय साधनों का पर्याप्त विकास भी नहीं हुआ है। इन कमियों को दूर करने के लिए पिछले दो दशकों में समन्वित प्रयास किए गए हैं। राज्य योजना की धनराशियों के अलावा, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई गाई निधियां भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में तृतीय स्तर तथा अति–विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित तथा सबल बनाने के लिए उपयोग में लाई गई हैं ताकि इस क्षेत्र के रोगियों को इसी क्षेत्र के भीतर उपचार/देखभाल मिल सके। इस क्षेत्र की संस्थाओं में अपेक्षित चिकित्सकीय तथा परा–चिकित्सकीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाएं हर क्षेत्र में उपलब्ध करा दी गई हैं। पिछले दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिए अ–व्ययगमनीय मूल से भी धनराशियां दी गई हैं।

69. इस अवधि के दौरान, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य रक्षा की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिकों (अति–विशेषज्ञों, विशेषज्ञों तथा साधारण डाक्टरों) और परा–व्यावसायिकों की आवश्यकताओं में भी अनिवार्य रूप से परिवर्तन आएगा। योजना आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध रेफरल, तृतीय स्तरीय और अति–विशेषज्ञतापूर्ण सुविधाओं की समीक्षा करने

के लिए एक समिति नियुक्त करे जो उस क्षेत्र की बदलती हुई स्वास्थ्य समस्याओं तथा इस क्षेत्र में चिकित्सकीय तथा परा–चिकित्सकीय कार्मिकों की जरूरत पर भी विचार करे और इन आकड़ों के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करे, जिसमें लागत–प्रभावी तत्त्वों तथा उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग पर ध्यान दिया गया हो।

ऊर्ध्वस्तरीय कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण

70. नौवीं योजना में उठाया जानेवाला एक बड़ा कदम है : जिला और उससे नीचे के स्तर पर ऊर्ध्वस्तरीय कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावोत्पादक कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध आधारभूत ढांचे और जनशक्ति का इष्टतम उपयोग करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए एक सुझाव यह दिया गया है कि राज्य तथा जिला स्तर पर एकल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सोसाइटी बनाई जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने इस कदम का अनुमोदन किया और यह सिफारिश की कि सभी राज्य इसे कार्यान्वित करने का प्रयास करें। उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1999–2000 के दौरान अपने यहां राज्य तथा जिला स्तर पर एक एकल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी राज्य तथा जिला स्तर पर एकल सोसाइटियां शीघ्र ही स्थापित कर लेंगे और इससे चल रहे ऊर्ध्व स्तरीय कार्यक्रमों के बीच एकीकरण में सुधार होगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा/देखभाल में सुधार पर नजर रखना

71. प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा संबंधी आधारभूत ढांचे और जनशक्ति में मौजूद अंतरालों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना ताकि वे पूर्ण रूप से उपयोगी हो जाएं और प्रभावी रूप से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान कर सकें स्वास्थ्य के क्षेत्रक में चल रहे कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इस समय राज्य योजना बजट में निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में केन्द्र प्रयोजित स्कीम, प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना, विदेशों से सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से निधिपोषण की व्यवस्था उपलब्ध है और इन धनराशियों का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए और जनशक्ति, उपस्कर, उपभोग्य वस्तुओं तथा दवाइयों की कमियों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। योजना आयोग ने परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर एक प्रोफार्मा तैयार किया है जिसकी सहायता से सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए, निधियों के प्रभावपूर्ण उपयोग के जरिए इन कमियों को कम या दूर करने के मामले में की जा रही प्रगति पर नजर रखी

जाएगी। इस अतिमहत्त्वपूर्ण क्षेत्रक में होने वाली प्रगति पर नजर रखने के लिए देशभर में इस प्रोफार्मा के इस्तेमाल को ईएफसी और सीसीईए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और कार्य दल की बैठकों के दौरान सभी राज्यों ने उनके अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण–II

72. योजना आयोग ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में एचआईवी संक्रमण के फैलाव को कम करना और दीर्घावधिक आधार पर एचआईवी/एड्स का मुकाबला करने के लिए भारत की क्षमता को सुदृढ करना है। कार्यक्रम के संचालन तथा निधिपोषण की संशोधित पद्धति का अनुमोदन करते हुए, योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि एनएसीपी (चरण–II) में प्राचलों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जैसे (क) अब जागरूकता बढ़ाने की बजाय व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए; (ख) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र–विशेष की जरूरतों का निर्धारण, आयोजन, कार्यान्वयन और मध्यवर्ती कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जाए; (ग) व्यक्तियों के बीच संचार पर बल देकर, आईईसी रणनीति को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अब तक पहुंच से बाहर रहे हैं; कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बजाय, परस्पर निष्ठावान रहते हुए एक पत्नीव्रती/एक पतिव्रता रहने के परंपरागत लोकाचार को सुदृढ़ बनाया जाए और (ङ) रोकथाम, परामर्श और एचआईवी संक्रमित रोगों की देखभाल के लिए कम लागत वाली रणनीति पर जोर दिया जाए। आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि देश में एचआईवी संक्रमण के संबंध में पर्याप्त मात्रा में जानपदिक रोग वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभिन्न मध्यवर्ती कार्यक्रमों के लिए व्यय के एक समान प्रतिमान यथोचित परिवर्तन के साथ अपनाए जाएं।

राज्यों के साथ कार्यकारी दल/ग्रुप की चर्चाएं

73. प्रभाग ने राष्ट्रीय योजना 2000–2001 के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ कार्यकारी दल की चर्चाएं समाप्त कीं। प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी और पोषाहार के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकारी दल की बैठकों में चर्चित कुछ प्रमुख पहलू थे:

- आधारभूत ढांचे के समुचित पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण, जनशक्ति नियोजन और दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच मौजूद बेमोल के सुधार द्वारा मौजूद शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षक संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार।

- दवा आपूर्ति के संभारतंत्र का सुधार।
- जिला स्तर पर रोग निगरानी और जनता की प्रतिक्रिया।
- रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार।
- ग्राम स्तर पर एकीकृत बाल कल्याण स्कीम और परिवार कल्याण के कर्मचारियों के बीच अन्तरक्षेत्रकीय समन्वय।
- अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंध।
- जिला स्तर पर तथा उसके नीचे के स्तर पर ऊर्ध्वस्तरीय कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण।

प्रशिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार

74. सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में क्रान्तिक भूमिका अदा कर सकती है। नौवीं योजना में इसी विषय पर अधिक बल देने के लिए कहा गया है। योजना आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में स्वास्थ्य विज्ञानों के विश्वविद्यालय को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) दी है ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन में होने वाली प्रगति को तेज कर सकें और चिकित्सकीय तथा परा–चिकित्सकीय कार्मिकों को सेवा–पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बीच नेटवर्क स्थापित कर सकें। कार्य की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। अन्य राज्यों को भी ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होमियोपैथी

75. योजना आयोग ने जड़ी बूटियों यानी औषधीय पौधों के संरक्षण, उत्पादन और संधारणीय प्रयोग के विषय में एक कार्यबल (टास्कफोर्स) गठित किया था। इस कार्यबल ने सिफारिश की थी कि औषधीय पौधों के क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एक औषधीय पौधा बोर्ड स्थापित किया गया। भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होमियोपैथी विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी रखा गया है और यह विभाग अब औषधीय पौधा बोर्ड गठित करने और कार्य–बल की अन्य विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। कार्यबल की प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आईएसएमएच विभाग को वर्ष 2000–2001 के लिए 35 करोड़ रु. का अतिरिक्त परिव्यय दिया गाया है।

76. औषधियों की अच्छी निर्माण पद्धतियों और गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करना भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होमियोपैथी विभाग की सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। इन औषधियों के प्रयोग को बढ़ाने और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी यह बहुत जरूरी है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी विभाग ने राज्यों में आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधियों के निर्माण की पद्धतियों में सुधार करने के उद्देश्य से नई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए योजना आयोग का सैद्धान्तिक अनुमोदन मांगा और प्राप्त किया है। ईएफसी ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया हैं और इस केन्द्र प्रयोजित स्कीम के लिए पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

परिवार कल्याण के आधारभूत ढांचे को युक्तिसंगत बनाना और पुनर्गठित करना

77. राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या विषयक उप–समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के आधारभूत ढांचे से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए प्रगामी रूप से अंशदान में वृद्धि करे और परिवार कल्याण विभाग आधारभूत ढांचे और जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाए और उसका पुनर्गठन करे। नौवीं योजना में कहा गया था कि विभाग द्वारा इन वर्षों में बनाए गए आधारभूत ढांचे की समीक्षा करने और उसे उन राज्यों को सौंपने की जरूरत है जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का कार्य कर रहे हैं। नौवीं योजना में सिफारिश की गई थी कि परिवार कल्याण के शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रम को चलाने के लिए एक कुशल एवं प्रभावोत्पादक प्रणाली हो। साथ ही, प्रतिमानों का यथार्थवादी संशोधन विभाग को यह सुनिश्चित करने योग्य बना देगा कि राज्यों को देय बकाया राशियां इकट्ठी न हों और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावोत्पादक कार्यान्वयन के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। योजना आयोग के निवेदन पर परिवार कल्याण विभाग ने इन विषयों पर विचार करने के लिए और यथोचित सिफारिशें पेश करने के लिए एक परामर्श समिति गठित की थी। समिति ने एक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया है जिसमें वित्तीय सहायता की वर्तमान पद्धति के विषय में डाटा दिया गाया है। उसमें राज्यों तथा केन्द्र के बीच बजट एक निरपेक्ष रीति से परिवार कल्याण संबंधी आधारभूत ढांचे के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव भी दिए गए हैं और व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिमानों में संशोधन किया गया है। विभाग इन सिफारिशों को अन्तिम रूप देने और उन्हें कार्यान्वित करने से पहले राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में है।

प्रतिरक्षण

78. परिवार कल्याण विभाग ने पोलियो रोग का शीघ्रता से उन्मूलन करने के लिए दिसंबर 1995 में राष्ट्र भर में एक पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कार्यक्रम के समारंभ को अपना अनुमोदन देते समय, योजना

आयोग ने इशारा किया था कि यह कार्यक्रम तब तक चलाया जाए जब तक कि पोलियो का मूलोच्छेदन न हो जाए। सभी राज्यों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (पीपीआईपी) को व्यापक बनाने में 90 प्रतिशत से अधिक सफलता प्राप्त हो चुकी है, तथापि यह चिन्ता का विषय है कि नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्याप्ति में कुछ सुधार नहीं हुआ है; बल्कि तथ्य तो यह है कि कुछ राज्यों में इस कार्य में पर्याप्त गिरावट आई है। जनता के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो नेमी प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दोनो से बच जाते हैं। इस सब के परिणामस्वरूप, पोलियो के मामलों में पर्याप्त गिरावट आने के बावजूद, वह गिरावट 2000 तक पोलियो के मामलों को शून्य तक पहुंचाने में देश को समर्थ नहीं बना सकेगी।

79. वर्ष 2000 के अंत तक पोलियो के मामलों की संख्या को शून्य तक लाने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने 1999–2000 के दौरान चार राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाए और 8 राज्यों में जहां बड़ी संख्या में पोलियो के मामले रिपोर्ट किए गए थे, दो अतिरिक्त अभियान चलाए। योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि विभाग उन बच्चों को खोजने की हर कोशिश करे जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जा सके थे। यह खोज कार्य राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के तत्काल बाद घरों के सर्वेक्षण के जरिये किया जाए और फिर ऐसे बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षण खुराक दी जाए। योजना आयोग ने आगे सुझाव दिया था कि :

(i) नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 100 प्रतिशत व्याप्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(ii) घटिया स्तर का कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि नेमी प्रतिरक्षण में 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त की जा सके।

(iii) पोलियो की निगरानी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और पोलियो के खोजे गए मामलों के चारों और समुचित मुद्रिका प्रतिरक्षण किया जाए।

(iv) विशेषज्ञ दल द्वारा वर्ष के मध्य में प्रगति की समीक्षा की जाए ताकि 2000–2001 वर्ष के लिए रणनीति निर्धारित की जा सके।

(v) वर्ष 2000–2001 के लिए रणनीति की समीक्षा सभी संबद्ध विभागों द्वारा की जाए और उसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन विभाग द्वारा प्राप्त किया जाए।

80. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान और नेमी प्रतिरक्षण तथा पोलियो निगरानी कार्यक्रम 1999–2000 के आंकड़ों की समीक्षा विशेषज्ञ दल द्वारा वर्ष 2000 के मध्य में की गई। डाटा से पता चला है कि देश में पोलियो के मामलों की संख्या में पर्याप्त गिरावट आई है; तथापि, पीपीआई के छः दौरों के बावजूद, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मामलों की संख्या में गिरावट इष्टतम से नीची थी। पोलियो के अधिकांश मामले उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थानों से सूचित किए जा रहे हैं; कुछ इक्का–दुक्का मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से भी सूचित किए जा रहे हैं। पोलियो वाइरस पी–2 अब व्यापक रूप से अलग–थलग नहीं है, जब कि पी–3 जो कि सबसे पहले खत्म किया जाना चाहिए था अब भी कई स्थानों में घूम रहा है। इन आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर विभाग ने वर्ष 2000–2001 के लिए रणनीति में फेरबदल किया। गत वर्ष के विपरीत, जबकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण के चार दौर चलाए गए थे और फिर घर–घर जाकर खोज की गई थी और आठ राज्यों में दो अतिरिक्त दौर चलाए गए थे, वर्ष 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय पीपीआईपी दौर कम करके दिसंबर तथा जनवरी में दो कर दिए गए और चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली) के लिए सितम्बर तथा नवम्बर 2000 में दो उप–राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दौर रखे गए। इसके अलावा, सात राज्यों (हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम और पंजाब) में नवम्बर मास में पीपीआई का एक दौर चलाया जाएगा। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पीपीआई के अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करें।

81. योजना आयोग ने सिफारिश की है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (पीपीआई) के अलावा, सभी राज्यों में टीके से रोके जा सकने वाले छः रोगों के लिए, नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वत्रिक व्याप्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए ताकि पोलियो के मामलों की संख्या को शून्य तक लाया जा सके और बाद में इसी स्थिति को आगे भी बनाए रखा जा सके। जब तक यह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिपेटाइटिस–बी सहित और कोई भी नए टीके (वैक्सीन) न जोड़े। परिवार कल्याण विभाग भी प्रतिरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से सहायताप्राप्त एक परियोजना पर बातचीत कर रहा है।

अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाना और उन्हें अस्पताल भेजना

82. पिछले चार दशकों में नवजात, प्रसवकालीन और मातृ अस्वस्थता/विकृति और मृत्युदर में कोई खास गिरावट नहीं दिखाई दी है। इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण हैं: जोखिम के कारणों के लिए गर्भवती महिलाओं की सार्वत्रिक स्क्रीनिंग का अभाव और उचित रूप से उन्हें अस्पताल न भेजा जाना। अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाना और उनकी देखभाल के लिए उन्हें उपयुक्त स्तर पर

भेजना आरसीएच कार्यक्रम का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था और गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के कार्मिकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए सघन प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ठीक समय पर और उचित स्तर पर गर्भवती महिला को भेजने के उद्देश्य से, योजना आयोग द्वारा परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से, जोखिम का पता लगाने और परामर्श के लिए एक प्रसव–पूर्व कार्ड तैयार किया गया है। कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं में फिलहाल इस कार्ड की उपयोगिता की जांच की जा रही है। कार्यकारी दल की बैठकों के दौरान, ये आद्यरूप (प्रोटोटाइप) प्रसव पूर्व कार्ड सभी राज्यों के पास भेजे गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि आरसीएच जिला परियोजना में इन कार्डों की जांच करें और उनकी उपयोगिता के बारे में अपने विचार भेजें और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें आवश्यक सुधार/संशोधन किए जाने के सुझाव योजना आयोग तथा परिवार कल्याण विभाग के पास भेजें।

जन्म तथा मृत्यु के सिविल रजिस्ट्रीकरण में सुधार

83. प्रभाग ने सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के कार्यचालन और जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए भारत के महा रजिस्ट्रार के साथ एक बैठक आयोजित की। देश में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का प्रभावोत्पादक कार्यान्वयन, विधिक और सांख्यिकीय दृष्टिकोण से जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए और मृत्यु के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। इस प्रणाली से उत्पन्न हुई सांख्यिकीय सूचना स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक सेक्टर के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनकी प्रगति पर नजर रखने और उनके मूल्यांकन के लिए बहुत उपयोगी होगी। जन्म दर, मृत्युदर और शिशु मृत्युदर जैसे महत्त्वपूर्ण सूचकों के जिला स्तरीय अनुमान सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली द्वारा उत्पन्न सूचना के आधार पर ही तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए इस प्रणाली में सुधार करना जिला स्तरीय और उससे नीचे के स्तर पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशेष की माइक्रो योजना बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए।

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से बच्चों की पोषण स्थिति पर नजर रखना (मानीटरिंग)

84. चालू प्रतिमानों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक आंगनवाड़ी में 72 बच्चों के भोजन के लिए निधि की व्यवस्था करे (जबकि समुदाय में औसतन लगभग 200 पात्र बच्चे और महिलाएं होती हैं)। कार्यक्रम संबंधी

मार्गनिर्देश सभी खण्डों के लिए एक समान होते हैं और खंड में अल्प पोषण की मौजूदगी और गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की प्रतिशतता को हिसाब में नहीं लिया जाता। राष्ट्रीय स्तर पर देश के कुल 16.2 करोड़ बच्चों में से केवल 3 करोड़ बच्चों को ही शामिल किया गया है। संभव है, शामिल किए गए बच्चे सबसे अधिक जरूरतमंद समूह या व्यक्ति न हों। सर्वाधिक जरूरतमंद बच्चों तक भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि मार्गनिर्देशों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों की बढ़ोतरी पर बराबर नजर रखते हुए, अल्पपोषित बच्चों का पता लगाया जाएगा और उन्हें अनुपूरक खाद्य सामग्री देते समय दोगुना राशन दिया जाएगा, पर इस पर अमल नहीं किया गया है।

85. शाला–पूर्व आयु के बच्चे पोषण की दृष्टि से आबादी के सबसे कमजोर तबके हैं। आईसीडीएस कार्यक्रम और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उद्देश्य इस आबादी की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना है। शाला–पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति पर बराबर नजर रखना (मानीटरिंग) प्रगति और स्वास्थ्य तथा पोषाहार कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने का एक उपयोगी तरीका है।

86. वर्ष 1992 में स्थापित राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) पिछले तीस साल के संबंध में सभी आयु वर्गों के पुरुषों तथा महिलाओं की पोषण संबंधी स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। यह बोर्ड केवल 10 राज्यों में ही सर्वेक्षण कार्य करता है और पिछला सर्वेक्षण केवल आठ राज्यों के बारे में ही किया गया। पोषण संबंधी सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधिक नमूने के आधार पर नहीं किया गया, इसलिए इस बोर्ड के सर्वेक्षणों के आधार पर निकाले गए अल्पपोषण संबंधी अनुमान, संभवतः समस्त राज्यों में बच्चों की पोषण स्थिति के द्योतक न हों। किन्तु, एनएनएमबी परवर्ती सर्वेक्षणों के लिए उन्हीं नमूनों को काम में लेता रहता है, इसलिए वह पिछले तीन दशकों में उपलब्ध अल्प–पोषण की स्थिति में विद्यमान तत्कालीन प्रवृत्तियों के विषय में बहुमूल्य जानकारी देता है।

87. खाद्य तथा पोषण बोर्ड (एफएनबी) ने देश के 187 जिलों में, 1993–94 के दौरान पोषण संबंधी सर्वेक्षण किया। यह एक–कालिक प्रयत्न था; इसमें लिया गया नमूना जिले के प्रतिनिधिक नमूने से नहीं निकाला गया था और इसलिए इस सर्वेक्षण के आंकड़े (डाटा) संभवतः जिला स्तर या राज्य स्तर पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति के बारे में प्रतिनिधिक जानकारी न दे सकें।

88. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने राज्य स्तर पर पांच वर्ष से कम

आयु के बच्चों के एक प्रतिनिधिक नमूने में ऊंचाई और वजन का माप लिया है। एनएचएफएस (I व II) पांच वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों के अल्पपोषण के राज्य स्तरीय अनुमान सही–सही देता है और 1992–93 तथा 1998–99 के दो समय–बिन्दुओं पर तुलनीय राज्य स्तरीय अनुमान दे सकता है। किन्तु ये आंकड़े जिला–वार अनुमान बताने के लिए अपर्याप्त हैं।

89. प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के पोषण संबंधी संघटक की प्रगति पर नजर रखने के प्रयत्नों के अंतर्गत, योजना आयोग ने महिला तथा बाल विकास विभाग (डीडब्लूसीडी) के सहयोग से, पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति के मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन के लिए एक प्रफोर्मा तैयार किया है। महिला तथा बाल विकास विभाग ने इस प्रोफार्मा को आईसीडीएस संबंधी मासिक रिपोर्ट के फॉर्मेट में शामिल कर लिया है। डीडब्लूसीडी सचिवों से यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है कि डाटा जिला–वार (दो आयु वर्गों में, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में) संकलित किए जाएं और हर महीने भेजे जाएं। योजना आयोग तथा डीडब्लूसीडी दोनों ने राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे प्रगति की मासिक समीक्षा के एक भाग के रूप में इस डाटा की समीक्षा करें।

90. आशा की जाती है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन लेने के कार्य में सुधार होगा। फिलहाल यह अनुमान लगाया जाता है कि पांच वर्ष से कम आयु वाले केवल लगभग 20 प्रतिशत बच्चों का ही वजन लिया जाता है। इन बच्चों की संख्या में वृद्धि होने से उनकी बढ़ोतरी पर भी अच्छी तरह नजर रखी जा सकेगी और अल्पपोषण के गंभीर मामलों में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। अगले वर्ष संभवतः पांच वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों की वर्ष में एक या दो बार जांच की जा सकेगी और उसके आधार पर समुदाय के अल्पपोषित सभी बच्चों का पता लगाया जा सकेगा और फिर गंभीर रूप से अल्पपोषित सभी बच्चों को लक्ष्य करके नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और आगे भी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रहेगी, जिससे अल्पपोषण की स्थानीय स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त कदम उठाए जा सकेंगे।

91. जिला स्तर पर बच्चों की पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति के संबंध में आधारभूत डाटा संकलित करना बहुत आवश्यक है; यदि महिला तथा बाल विकास विभाग (डीडब्लूसीडी) यह सुनिश्चित कर सके कि वर्ष 2001 के दौरान, पांच वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों में से कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों का वजन लिया जाएगा और उनकी पोषण संबंधी स्थिति के बारे में डाटा वर्ष में कम से कम दो बार, अप्रैल तथा अक्तूबर के महीनों में सूचित

किए जाएंगे और जिला स्तर पर इन आंकड़ों का संकलन किया जाएगा तो फिर एक जिला आधारित मानीटरिंग प्रणाली तैयार हो जाएगी। यह प्रयत्न कई वर्षों तक चालू रखा जा सकता है और फिर इससे जिला स्तर पर बच्चों के पोषण पर नजर रखने के लिए एक वास्तविक संधारणीय सुव्यवस्थित विधि तैयार हो जाएगी, जिससे जिला स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जा सकेगी। आनुषंगिक रूप से, यह डाटा–बेस राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पोषण की स्थिति के विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करेगा, जो बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रभाव पर नजर रखने के लिए उपयोगी हो सकेंगे।

नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन

92 प्रभाग ने, नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों (1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000) के दौरान स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आईएसएम तथा एच और पोषाहार क्षेत्रकों में चले आ रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भौतिक और वित्तीय उन्नति की विस्तृत समीक्षा की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन यह है कि नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक जिन लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है, उनके सम्बन्ध में की गई उन्नति का जायजा लिया जाए, योजना निष्पादन में प्रमुख कमियों के क्षेत्रों तथा उनके कारणों का पता लगाया जाए। यह प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन में मध्यावधिक संशोधन करने के निमित्त उपयुक्त पालिसी पैकेज/ योजना कार्यनीतियों के निर्माण का आधार बन जाएगी। योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/ स्कीमों में सुधार के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

परियोजना मूल्यांकन

93 प्रभाग द्वारा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आईएसएम तथा एच विभाग, और साथ ही राज्य सरकारों से प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों (बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं सहित) तथा एसएफसी, ईएफसी और सीसीईए सम्बन्धी प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया।

दसवीं योजना के लिए कार्यचालन समितियों/ कार्यकारी समूहों का गठन

94 प्रभाग ने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आईएसएम तथा एच और पोषाहार क्षेत्रकों के सम्बन्ध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण की दिशा में प्रारम्भिक उपाय शुरू कर दिए हैं। दसवीं

योजना के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के निमित्त तीन कार्यचालन समितियां गठित कर दी गई हैं। उपर्युक्त के अलावा, अनेक कार्यकारी समूहों का भी गठन कर दिया गया है जोकि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आईएसएम तथा एच और पोषाहार कार्यक्रमों से सम्बन्धित विशिष्ट पक्षों की ओर ध्यान देंगे। आशा है कि ये कार्यकारी समूह मार्च 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। कार्यकारी समूह जो इन्पुट प्रदान करेंगे, कार्यचालन समितियों द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा और कार्यचालन समितियों की सिफारिशें दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण का आधार होंगी।

5.9 आवास और शहरी विकास प्रभाग

95. आवास और शहरी विकास प्रभाग, आलोच्य वर्ष के दौरान इन मंत्रालयों की आवास सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और अनुश्रवण में प्रवृत्त रहा। शहरी कार्य और रोज़गार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय/उच्च न्यायालय भवनों/ न्यायाधीशों के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के बारे में न्याय विभाग के योजना प्रस्ताव की भी जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं।

96. भारत सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से एक नई 'आवास तथा हैबिटेट नीति, 1998' तैयार की है। राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एचयूडी प्रभाग, आवास और हैबिटेट नीति 1998 में निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के साथ सतत रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा।

97. प्रभाग ने योजना आयोग की सामान्य मध्यावधिक पुनरीक्षा की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में आवास, शहरी विकास तथा शहरी निर्धनता कम करने सम्बन्धी क्षेत्रकों के सम्बन्ध में नौवीं योजना की मध्यावधिक पुनरीक्षा/ मूल्यांकन को अन्तिम रूप दिया। ऐसा करने के पीछे प्रयोजन यह था कि विभिन्न स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का, जिसमें कार्यक्रमों का प्रभाव शामिल है, विश्लेषण और पुनरीक्षा की जाए तथा नौवीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति की दृष्टि से जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक उपाय सुझाए जाएं। इस क्षेत्रक के अध्याय को अन्तिम रूप देने से पूर्व सम्पादकीय समिति को एक विस्तृत प्रस्तुति की गई।

98. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी विकास, शहरी आवास तथा शहरी निर्धनता कम करने के निमित्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों, लक्ष्यों और कार्यनीतियों के निर्माण के सन्दर्भ में इस प्रभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के उद्देश्य से निम्न कार्यचालन समितियों और कार्यकारी समूहों का गठन किया:

- शहरी विकास (शहरी परिवहन सहित), शहरी आवास और शहरी निर्धनता (मलिन बस्तियों पर बल देते हुए) सम्बन्धी कार्यचालन समिति।

- शहरी आवास और शहरी निर्धनता (मलिन बस्तियों पर बल देते हुए) सम्बन्धी कार्यकारी समूह।

- शहरी विकास (शहरी परिवहन सहित), शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता (कम लागत की स्वच्छता, मल व्यवस्था तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) सम्बन्धी कार्यकारी समूह।

99. शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की तेजी से वृद्धि होने के कारण शहरी बुनियादी सेवाओं और आधारिक तंत्र पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है और यह चिन्ता का एक प्रमुख कारण बन गया है। इस स्थिति के पीछे कारणों का और स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का पता लगाने के उद्देश्य से एचयूडी प्रभाग ने सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ बैठकें आयोजित कीं। शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम, समाज कल्याण निदेशालय और एनसीआरपीबी के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

100. प्रभाग ने आवास, शहरी विकास के बारे में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों/ संगोष्ठियों में भाग लिया और योजना आयोग के विचार प्रस्तुत किए। प्रभाग के प्रतिनिधियों ने निम्न से सम्बन्धित तथा निम्नलिखित किस्म की केन्द्रीय/ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के बारे में आयोजित बैठकों में भाग लिया:

- छोटे और मझोले कस्बों के समन्वित विकास संबंधी राज्य स्तरीय मंजूरी समिति।
- बृहत शहरों के संबंध में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति।
- एनसीआर आयोजना समिति/ बोर्ड/ परियोजना मंजूरी और निगरानी दल की बैठक।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) समीक्षा बैठक।

5.10 उद्योग और खनिज प्रभाग

101. उद्योग और खनिज प्रभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के परियोजना और निष्पादन मूल्यांकन में और वित्तीय वर्ष 2000–01 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापन के लक्ष्य तय करने के लिए उच्चाधिकार समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अपने कार्यक्रम में अधिक स्वायत्तता देने, पूंजीगत पुनर्संरचना के साथ–साथ पीएसयू के विनिवेश जैसे पीएसयू सुधारों में शामिल किया गया तथा प्रभाग को विनिवेशों के सम्बन्ध में विनिवेश विभाग की रिपोर्टों की जांच में भी शामिल किया गया। इस प्रभाग को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की जा रही विभिन्न योजनागत स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित प्रगति पुनरीक्षा बैठकों में भी शामिल किया गया।

102. विकास केन्द्रों की स्कीम कार्यान्वित की जाती रही। जिन 71 विकास केन्द्रों की शिनाखत की गई, उनमें से 68 को विभिन्न राज्यों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

103. उद्योग और खनिज प्रभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेज के लिए औद्योगिक विकास पर अध्याय भी तैयार किया। पिछले कुछ वर्षों में दक्षता और प्रतियोगात्मकता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, अधिकाधिक क्षमता उपयोग और संवर्धित निर्यातों के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश सम्बन्धी निर्णयों में अधिक सहायता प्रदान करके औद्योगिक उन्नति की गति में तेजी लाने के प्रयोजन से पिछले कुछ वर्षों में समायोजन किए गए हैं।

5.11 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

104. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग भारत के विदेशी व्यापार और भुगतान शेष से सम्बन्धित मुद्दों और साथ ही आयोजना की प्रक्रिया के सन्दर्भ में विदेशी निवेशों से सम्बन्धित मुद्दों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों और साथ ही एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई संघ जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित काम भी संभालता है। यह प्रभाग योजना आयोग तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय योजना संगठनों और उसके साथ–साथ विभिन्न देशों के संयुक्त आयोगों और संयुक्त समितियों के बीच सहयोग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की भी देखभाल करता है। इस सन्दर्भ में प्रभाग अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था में प्रवृत्तियों और मुद्दों के विश्लेषण में भी प्रवृत्त है। प्रभाग, व्यापार और भुगतान शेष तथा द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय सहयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के निमित्त विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

105. आलोच्य अवधि के दौरान भुगतान शेष के विभिन्न घटकों के संबंध में व्यापार प्रवाह सम्बन्धी कार्रवाइयां की गईं। बाह्य क्षेत्रक स्थिति के बारे में नियतकालिक समीक्षाएं की गईं। इस सन्दर्भ में निर्यात निष्पादन, उभरते हुए आयात परिदृश्य और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सम्बन्धी रुझानों और तत्त्वों पर विस्तृत लेख तैयार किए गए। विदेशी क्षेत्रक की व्यापक मध्य वार्षिक समीक्षा के बारे में प्रक्रियाएं की गई जिनके माध्यम से व्यापार प्रवाह के हाल के रुझानों और आयात–निर्यात नीति के रुझानों, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक रुझानों और प्रमुख द्विपक्षीय पहलों के प्रभावों की उपलब्धि हुई। इन प्रक्रियाओं के दौरान विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश, अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में घटनाक्रम के प्रभाव जैसे प्रमुख घटनाक्रमों का भी विश्लेषण किया गया। तैयार की गई समीक्षाओं से 2000–01 में विदेशी क्षेत्रक में उभरने वाला परिदृश्य और अपेक्षित नीतिगत पहलें भी प्रस्तुत की गईं।

106. यह प्रभाग विश्व व्यापार संगठन करारों से सम्बन्धित काम में अत्यधिक व्यस्त रहा। पिछले कुछ वर्ष में किए गए कार्य और तैयार की गई रिपोर्टों का लाभ उठाते हुए आलोच्य वर्ष में कृषि सम्बन्धी करार के बारे में अनेक लेख तैयार किए गए। प्रभाग ने कृषि सम्बन्धी करार के बारे में किसानों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और संगठनों की सितम्बर 2000 में आयोजित बैठक में भाग लिया। ये बैठकें कृषि सम्बन्धी करार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में योजना आयोग में आयोजित की गई थीं। उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्यों के अवलोकन के लिए भारत की सौदेबाजी करने की स्थिति के बारे में स्थिति–विषयक लेख तैयार किए गए।

107. बहु–पक्षीय सहयोग के क्षेत्र में प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के देश सहायता मूल्यांकन से सम्बन्धित स्कीमों और कार्यक्रम की समीक्षा की। निधि कोश की वार्षिक बैठक के लिए भारतीय प्रस्तुति के एक इन्पुट के रूप में उन्नति तथा निर्धनता में कमी लाने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाने पर एक व्यापक लेख तैयार किया गया। प्रभाग ने 2001 के आरम्भ में आयोजित किए जाने वाले एस्केप के 57वें वार्षिक सत्र के लिए स्थिति–विषयक लेख के निमित्त सामग्री तैयार की।

108. प्रभाग अन्य देशों के साथ द्वि–पक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के बारे में काम करता रहा और उसने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता को सुकर बनाने के लिए तथ्य और नीतिगत इन्पुट प्रदान किए। रोज़गार सृजन स्कीमों के बारे में योजना प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक चार सदस्यों वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने योजना आयोग का दौरा किया। प्रभाग ने प्रतिनिधिमण्डल की भारत में योजना प्रक्रिया से अवगत कराने और तत्सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। द्वि–पक्षीय सम्बन्धों से जुड़े मुद्दों जैसेकि सीमा शुल्क सहयोग, परिवहन में सहयोग, मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं का प्रभाग में विश्लेषण किया गया। आर्थिक गतिविधियों और भारत में उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रभाग ने चीनी और रूसी अर्थ व्यवस्थाओं पर लेख तैयार किए।

109. प्रभाग व्यापार और भुगतान तथा द्वि–पक्षीय सहयोग सम्बन्धी आर्थिक अनुसन्धान के कार्य में लगा रहा। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान से 1990 के दशक के दौरान भारत के विदेशी व्यापार और गठन में रुझानों पर एक अनुसंधान प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया तथा योजना आयोग ने उसका वित्तपोषण किए जाने की सिफारिश की। प्रभाग ने व्यापार, डब्ल्यूटीओ तथा सम्बन्धित मुद्दों पर अनेक कार्यषालाओं और संगोष्ठियों में भाग लिया। प्रभाग को विभिन्न संस्थानों से बहुत बड़ी संख्या में लेख प्राप्त हुए जिन पर प्रभाग को टिप्पणियां देनी थीं। इन लेखों का व्यापक अध्ययन किया गया और उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्यों को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभाग में ही लेख तैयार किए गए और ये मुद्दे इस प्रकार थे: परिणामात्मक प्रतिबन्ध हटाने के प्रभाव, यूरो के प्रभाव, डब्ल्यूटीओ करारों के विभिन्न पक्ष, विश्व आर्थिक और मौद्रिक रुझान, नवीं योजना में भुगतान शेष की मध्यावधिक समीक्षा और निर्यातों की

प्रतियोगितात्मकता। प्रभाग ने प्रभाग में किए गए कार्य का प्रसार करने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अनुसन्धान में सहयोग की संभावना के बारे में दक्षिणी केन्द्र के एक सदस्य के साथ बैठक आयोजित की गई।

110. संसद प्रश्नों के उत्तरों के मसौदों के लिए प्रभाग ने विस्तृत जानकारी और आंकड़े तैयार किए तथा उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्यों के अवलोकन के लिए विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त विवरण तैयार किए गए।

5.12 श्रम रोज़गार और जनशक्ति प्रभाग

111. श्रम रोज़गार और जनशक्ति प्रभाग मुख्य रूप से देश में रोज़गार और बेराज़गारी की स्थिति का एक बृहत दृष्टिकोण अपनाने और इस सम्बन्ध में नीतियां बनाने के निमित्त इसके विभिन्न सह–सम्बद्ध तत्त्वों का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग श्रमिक कल्याण और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामलों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य विभिन्न मुद्दों/पहलुओं से सम्बन्धित मामलों को भी निपटाता हैं।

रोज़गार

112. देश में श्रमिक बल, कार्य बल, रोज़गार और बेरोज़गारी का अनुमान लगाना आयोजना कार्य का एक अभिन्न अंग है। यह कार्य पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए किया जाता है। अनुमान एनएसएसओ नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर लगाए जाते हैं और इन अनुमानों के आधार पर रोजगार के अनुमान भी लगाए जाते हैं। रोज़गार अनुमान तैयार करने के लिए तकनीकी कार्य प्रभाग में वर्ष भर किए जाते हैं। श्रम रोज़गार और जनशक्ति प्रभाग, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए देश में रोज़गार और बेरोज़गारी के आकलन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग रोज़गार कार्यनीति, रोज़गार नीति से सम्बन्धित मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों का कार्य भी देखता है।

113. यह प्रभाग सम्प्रति राज्य और अखिल भारतीय – दोनों स्तरों पर रोज़गार और बेरोज़गारी के आंकड़ों के विश्लेषण में लगा है तथा देश में आगामी बीस वर्षों में श्रमिक शक्ति, श्रमिक संख्या और बेरोज़गारी के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। यह काम 'भविष्य निरूपण 2020' प्रक्रिया के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

114. रोज़गार की श्रेणी के अनुसार, पिछले बीस वर्षों (1972–73 से 1993–94 तक) के दौरान रोजगार विभाजन में बड़ा बदलाव आया है। संगठन से नैमित्तिक कामगारों के अनुपात में वृद्धि का तथा स्व–रोज़गार

में गिरावट का और नियमित नौकरीपेशा रोज़गार में बहुत ही मामूली बदलाव का पता चला है।

115. पिछले कुछ वर्षों में श्रमिक शक्ति के शैक्षिक स्वरूप में सुधार आया प्रतीत होता है और निरक्षर तथा प्राथमिक स्तर साक्षर का अनुपात जो 1977–78 में 85.6 प्रतिशत था, वह 1993–94 में घट कर 72.6 प्रतिशत रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कामगारों के बीच शिक्षितों के अनुपात में वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान बेरोज़गारों में भी शिक्षितों के अनुपात में सुधार हुआ है जिसका आशय यह हुआ कि शिक्षितों में रोज़गार और उसके साथ–साथ श्रमिक बल की उन्नति समग्र उन्नति की तुलना में अधिक तेज रही है।

116. शिक्षा के लिए आधारिक तंत्र के विस्तार और शिक्षा में समुदाय की अभिवर्द्धित भागीदारी के फलस्वरूप समग्र जनसंख्या में शिक्षितों के अनुपात में वृद्धि हुई है। इस कारण शिक्षित श्रमिक शक्ति में अधिक तेज वृद्धि हुई है। शिक्षित जनसंख्या के कतिपय वर्गों के बीच आमतौर पर स्नातक और उससे उच्चतर शिक्षित वर्ग के बीच और विशेष रूप से शहरी महिला वर्ग के बीच एलएफपीआर का उन्नयन हुआ है।

अल्परोज़गार

117. सामान्यतः बेरोज़गार समझे जाने वाले लोगों के श्रम समय के अल्प प्रयोग के अर्थों में अल्परोज़गार की मात्रा में पिछले कुछ समय से गिरावट आने के बावजूद यह काफी बड़ी बनी हुई है। अल्परोज़गार की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में और पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों में अधिक मात्रा में है।

युवकों और शिक्षितों के बीच बेरोज़गारी

118. हालांकि भारतवर्ष में बेरोज़गारी की समग्र मात्रा न्यून है, तथापि जनसंख्या की कतिपय श्रेणियों के मामले में यह समस्या अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है। एनएसएसओ के पंचवार्षिक सर्वेक्षणों से उपलब्ध सूचना के अनुसार युवकों, अर्थात 15–29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच बेरोज़गारी की मात्रा सर्वाधिक है। शिक्षित युवकों के मामले में तो यह और भी उच्चतर है।

रोज़गार सम्बन्धी आंकड़े

119. देश में सांख्यिकीय आंकड़ों में सीमाओं और अन्तरालों का पता लगाने और उन्हें युक्तियुक्त रूप देने के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढने के प्रयोजन से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई। आयोग की अनेक बैठकें आयोजित की गईं और श्रम और रोज़गार के सम्बन्ध में एलईएम प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को इन्पुट प्रदान कर दिया गया है ताकि सिफारिशें तैयार की जा सकें। प्रभाग के प्रतिनिधियों ने समाजार्थिक सांख्यिकीय आंकड़ों से सम्बन्धित उप–समूह की सभी बैठकों में भाग लिया। निम्न सुझाव दिए गए हैं:

(i) राज्यों को ऐसी सांख्यिकीय पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई हो।

(ii) राज्य स्तर पर रोज़गार सम्बन्धी आंकड़ों के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य स्तर पर रोज़गार और बेरोज़गारी पर एक आवधिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कतिपय अधिनियमों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में आंकड़ों का विवरणी– आधारित संग्रह बहुत अधिकृत नहीं होता। केन्द्रीय सांख्यिकीय एजेंसियां ऐसा सर्वेक्षण तैयार करने में राज्य स्तरीय एजेंसियों की सहायता कर सकती हैं।

(iii) एक काफी बड़े आकार के नमूने सहित केवल राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से ही किसी राज्य विशेष में रोज़गार और बेरोज़गारी की विशेषताओं को सही–सही मापा जा सकता है। कामगारों की सामाजिक विशेषताओं, उनके कौशल प्रोफाइल और मजदूरी के स्तर जैसे पक्षों को राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों में बेहतर ढंग से समाहित किया जा सकता है।

(iv) रोज़गार और बेरोज़गारी के सम्बन्ध में एनएसएसओ के पंचवार्षिक सर्वेक्षण दो प्रकार के नमूनों, अर्थात राज्य नमूने और केन्द्रीय नमूने पर आधारित सूचना इकट्ठी करते हैं। जहां केन्द्रीय नमूने से सम्बन्धित आंकड़ों के संग्रह, संसाधन और प्रकाशन का काम एनएसएसओ द्वारा किया जाता है राज्य नमूने पर आधारित सूचना इकट्ठी करने की जिम्मेदारी राज्य सांख्यिकीय विभागों (राज्य आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय) पर होती है। कुछेक राज्यों को छोड़ कर राज्य नमूने से सम्बन्धित आंकड़े समुचित समय में संसाधित और प्रकाशित नहीं किए जाते। राज्य नमूने से सम्बन्धित निष्कर्षों का प्रयोग रोज़गार स्थिति के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सूचना तैयार करने के निमित्त किया जाना चाहिए। नमूने सम्बन्धी त्रुटियों को कम करने के लिए, यदि जरूरी हो, तो नमूने के आकार में वृद्धि की जा सकती है। राज्य नमूना सर्वेक्षणों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र भी, राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

(v) राष्ट्रीय लेखों की प्रणाली से जिस रूप में वह मौजूद है, जीडीपी/ एनडीपी में आए बदलावों के बाद श्रमिकों द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति के हिस्से में आए बदलावों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद को उत्पादन के कारकों के अनुसार विभाजित करने की मौजूदा स्कीम में कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति बहुत ही थोड़ी बैठती है। श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान के एक बड़े हिस्से की मिश्रित आय के रूप में दिखाया जाता है। अतः, कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति के वास्तविक आकलन को अलग करना संभव नहीं है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिएं कि कर्मचारियों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति का सही आकलन कुल एसडीपी/ एनडीपी के सन्दर्भ में एनडीपी के समुचित अनुपात अर्थात 60–70 प्रतिशत के रूप में किया जाए।

120. गुजरात की राज्य सरकार द्वारा भारत में रोज़गार सृजन विषय पर गांधीनगर में 3 और 4 फरवरी 2000 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रभाग ने भाग लिया और निम्न तीन लेख प्रस्तुत किए: (i) नई आर्थिक नीति और रोज़गार सृजन पर इसका प्रभाव; (ii) रोज़गार और बेरोज़गारी – कुछ रुझान और मुद्दे; तथा (iii) जनसांख्यिकीय रूपरेखा और भारत में श्रमिक शक्ति पर प्रभाव।

121. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा भारत में शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक में रोज़गार सृजन पर कार्यनीतिक दृष्टिकोण विषय पर सूरजकुण्ड, हरियाणा में 17 और 19 फरवरी 2000 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रभाग के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

122. उप महानिदेशक, प्रशिक्षण और रोज़गार विभाग, श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में एक औपचारिक चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने समुदाय आधारित रोज़गार अवसरों के बारे में जानने के लिए भारत का दौरा किया। एलईएम प्रभाग ने चीनी प्रतिनिधिमण्डल के लिए प्रस्तुति की। इस प्रस्तुति में निर्धनों, विशेष रूप से मौसमी व्यवसायों में लगे हुए निर्धनों के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि लाने की संभावनाओं का पता लगाना शामिल था। श्रमिक बल में महिलाओं की सहभागिता की अपेक्षतया न्यून दरों सम्बन्धी रुझान आंशिक रूप से कामकाज के उपयुक्त अवसरों की कमी को परिलक्षित करते हैं। इन दिशाओं में भारत में गैर–सरकारी संगठनों ने ग्रामीण निर्धनों को, स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) अथवा बचत और ऋण समूहों के रूप में संगठित करके तथा ग्रामीण निर्धनों में बचत की आदत प्रोत्साहित करके वैकल्पिक ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल की है। यह कार्यनीति अन्य देशों विशेष रूप से बंगला देश और इण्डोनेशिया से प्राप्त हुए अनुभवों पर आधारित है। 1998–99 में इस कार्यक्रम को तब अत्यधिक बढ़ावा मिला जबकि वित्त मंत्रालय ने स्वयंसेवी समूहों का कार्यक्षेत्र और कवरेज में इस तरह विस्तार कर दिया कि अगले पांच वर्षों में सारे देश में 40 लाख परिवारों को समाहित करते हुए 2 लाख स्वयंसेवी समूह लाभान्वित हो सकें। सेवा (स्वनियोजित महिला संघ) ने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों के एक श्रमिक संघ का गठन किया है जिसके सदस्यों की संख्या भारत में कुल मिला कर 2.5 लाख है। सेवा के सदस्यों ने सहकारी बैंक की स्थापना की है जो कि अपने सदस्यों को, परिवार की आय में वृद्धि करने और उत्पादनशीलता बढ़ाने के निमित्त एक कार्यशाला, एक भूखण्ड, सिलाई की मशीन अथवा पशुओं को खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराता है। निर्धनता के उन्मूलन में स्वयंसेवी समूहों की भूमिका की सरकार के योजना निर्माताओं द्वारा अधिकाधिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

योजना आयोग के सदस्य श्री एमएस आहलूवालिया की अध्यक्षता में रोज़गार अवसरों के सम्बन्ध में एक कार्यदल गठित किया गया है। इस प्रभाग ने कार्यदल को सचिवालयीय सहायता प्रदान करने के अलावा कार्यदल के साथ विचार–विमर्श में एक इन्पुट के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम, श्रम कानून, श्रमिक बल अनुमान आदि जैसे पहलू पर काम किया।

प्रशिक्षण क्रियाकलापों में सहभागिता

123. प्रभाग में निम्नलिखित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए:

(i) अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय और शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी), कलकत्ता में सांख्यिकीय में नियमित पाठ्यक्रम के 54वें सत्र के सहभागियों के लिए सीएसओ द्वारा एक छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम के विदेशी सहभागियों ने एलईएम प्रभाग द्वारा श्रम, रोज़गार और जनशक्ति विषय पर 29.9.2000 को आयोजित एक सत्र में भाग लिया। ये सहभागी बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों से आए थे।

(ii) एलईएम प्रभाग ने आईएसएस के परिवीक्षाधीनों के लिए 'भारत में रोज़गार आयोजना' विषय पर वक्तव्य दिया।

(iii) आईएसएस परिवीक्षाधीनों को 'रोज़गार बाजार सूचना स्कीम – कवरेज, अन्तर्वस्तु और सीमाओं' विषय पर भी एक वक्तव्य दिया गया।

(iv) आईईएस परिवीक्षाधीनों को एलईएम प्रभाग में कार्य की प्रकृति और कार्यकरण विषय पर एक वक्तव्य दिया गया।

(v) आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) में प्रासंगिक आर्थिक और सांख्यिकीय विषयों पर परियोजना रिपोर्टें तैयार करते हैं। इस प्रभाग ने ऐसी परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों का मार्गदर्शन किया तथा आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा अन्य मंत्रालयों में तैयार की गई अन्य परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन भी किया।

श्रमिक कल्याण

124. श्रम मंत्रालय की स्कीमों का मूल्यांकन किया गया और निम्न के सम्बन्ध में निवेश विषयक निर्णय लिए गए:

– बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की स्कीम को नए सिरे से तैयार करना।

- डीजीएमएस में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके प्रभाविता में सुधार लाना।
- नोएडा स्थित रोज़गार सेवाओं में केन्द्रीय अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान (सीआईआरटीईएस) के भवन का निर्माण।
- बेहतर सेवाएं (सीएलसी) उपलब्ध कराके प्रभावकारिता में सुधार लाना।
- वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में श्रमिक सूचना के सम्बन्ध में एनआरडीई संसाधन केन्द्र स्थापित करना।

125. प्रभाग में श्रम नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित मुद्दों पर भी कार्रवाई की जाती है। इस प्रसंग में प्रभाग ने ऐसे मुद्दों की जांच की जैसेकि संगठित तथा असंगठित – दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, मौजूदा श्रम कानून, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाल श्रमिक आदि।

126. सामाजिक सुरक्षा और बेरोज़गारी बीमा विषय पर एक नीतिगत लेख के निमित्त एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया और सहभागियों से अपने लेख भेजने को कहा गया जिनका प्रयोग नीतिगत लेख तैयार करने के लिए किया जाएगा। जिन प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है, वे इस प्रकार हैं:

(क) ऐसे लाभों की प्रकृति जिनका विस्तार एक व्यापक आधारयुक्त सामाजिक सुरक्षा स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) आर्थिक दृश्टि से व्यवहार्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा।

(ग) संस्थानगत तंत्र एक स्वपोषी सामाजिक सुरक्षा स्कीम उपलब्ध कराता है।

(घ) असंगठित क्षेत्रों के लिए मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना।

(ड.) अन्तर्देशीय अनुभवों के आधार पर भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों और रोज़गार बीमे की प्रवर्तनीयता की सीमा।

नौवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन

नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के एक अंग के रूप में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान श्रम और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया। कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

- ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की बेरोज़गारी की दरों में 1987–88 से 1993–94 के दौरान गिरावट आई है। तथापि लघु नमूना सर्वेक्षणों ने 1994–95 और 1995–96 के दौरान बेरोज़गारी की दरों में वृद्धि का परिचय दिया जिसमें 1997 में गिरावट आ गई।

- सुधार–पूर्व अवधि (1981–91) में वास्तविक मजदूरी में आया बदलाव 4.7 प्रतिशत तथा सुधारोत्तर अवधि (1991–99) में 2 प्रतिशत था। गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में वास्तविक मजदूरी में पूर्व अवधि की तुलना में सुधारोत्तर अवधि में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। अन्य राज्यों में हाल के वर्षों में वास्तविक मजदूरी में धनात्मक किन्तु न्यून वृद्धि पाई गई।

- मजदूरी भुगतान अधिनियम: निजी क्षेत्र की नौकरियों में 1994 के बाद से तेजी से वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक रही है।

- नए आर्थिक वातावरण का अनुपालन करते हुए श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से सम्बन्धित निम्न तीन नियमों को संशोधित अथवा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है:

- औद्योगिक विवाद अधिनियम

- संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम

- कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम

- दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग निम्न के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2001 तक प्रस्तुत कर देगा:

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक अम्ब्रेला कानून

• बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास को स्कीम को इन कार्रवाइयों के माध्यम से सुदृढ़ बना दिया गया है: (i) मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को देय सहायता में वृद्धि करके, तथा (ii) मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वासोत्तर सर्वेक्षणों के आयोजन का प्रावधान करके।

• निम्न उपाय करके राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है:

– राज्य सरकार के स्वामित्व के प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यचालन स्थानीय उद्योग के सुपुर्द करके – आरम्भ में छः आईटीआई स्थानीय उद्योग के सुपुर्द कर दिए गए हैं।

– निम्न प्रयोजनों से एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति का निर्माण किया जा रहा है:

* संस्थानों के प्रत्यायन और उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने में राज्य सरकारों को समुचित भूमिका सौंपना

* व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थानों के बीच अति व्याप्ति की स्थिति से बचना।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

127. श्रम मंत्रालय की प्रशिक्षण सम्बन्धी स्कीमों का मूल्यांकन किया गया और निम्न स्कीमों के बारे में निवेश निर्णय लिए गए:

– इलेक्ट्रोनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन (उत्तरी क्षेत्र) सम्बन्धी उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की देहरादून में स्थापना।

– अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आधुनिकीकरण और विस्तार।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर)

128. यह प्रभाग योजना आयोग में अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) के प्रशासनिक स्कन्ध के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग निम्नलिखित में भी योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

(i) सामान्य परिषद

(ii) कार्यकारी परिषद

(iii) संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों संबंधी स्थायी समिति। इसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में भी है:

(क) भवन और परिसर विकास समिति।

(ख) स्थायी स्टाफ समिति।

(ग) स्थायी बजट समिति।

129. आईएएमआर के लिए नरेला, दिल्ली में एक नए परिसर का निर्माण कार्य चल रहा हैं।

5.13 एमएलपी प्रभाग

130. एमएलपी प्रभाग का सम्बन्ध विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के साथ है, जैसेकि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम सहित) तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

131. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में नियत पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) पश्चिमी घाट क्षेत्र के 159 ताल्लुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र (62 ताल्लुके), कर्नाटक (40 ताल्लुके), तमिलनाडु (25 ताल्लुके), केरल (29 ताल्लुके) और गोवा (3 ताल्लुके) शामिल हैं। कार्यक्रम के अधीन 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एचएडीपी के अधीन उपलब्ध निधियां कार्यक्रम में शामिल नियत पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) द्वारा शामिल ताल्लुकों के बीच 84:16 के अनुपात में बांट दी जाती हैं।

132. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितकी के जैव–वैविध्य और पुनरुद्धार पर बल देते हुए पारिस्थितिकी परिरक्षण और पारिस्थितिकी – पुनःस्थापन करना है। एचएडीपी के अधीन शामिल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक उप–योजना पद्धति अपनाई गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारें पूर्ण

योजना तैयार करती हैं जिसमें राज्य योजना से निधियों का प्रवाह और एचएडीपी के अधीन उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। डब्ल्यूजीडीपी के मामले में पद्धति–बद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि ताल्लुका ऐसी निर्धारित इकाई होती है जिसके सम्बन्ध में राज्य योजना से होने वाले निधि–प्रवाह का परिमाणन करना कठिन होता है। डब्ल्यूजीडीपी के अधीन राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी योजनाएं जल संभरों के आधार पर तैयार करें।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

133. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) में सत्रह राज्य शामिल हैं जो इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिमी बंगाल। कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निम्न तीन पक्षों को एकसमान भारिता देते हुए निधियां राज्यों के बीच विभाजित कर दी जाती हैं: सीमावर्ती ब्लाकों की जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) सीमावर्ती ब्लाकों का क्षेत्रफल तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई।

134. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अगस्त 2000 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करने में पीआरआई/ जिला परिषदों/ परम्परागत परिषदों जैसे ग्रासरूट स्तर के संस्थानों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विनिर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि स्कीमों के चयन के प्रसंग में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर होना चाहिए, इसलिए निर्णय लेने कि प्रक्रिया में ग्रामसभा जैसे ग्राम स्तरीय संस्थानों को सहयोजित करना होगा। स्कीमों के चयन में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को उपयुक्त प्रविधियां तैयार करनी होंगी। इसके अलावा, अब राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक सीमावर्ती ब्लाक के लिए एक संदर्श योजना तैयार करेंगी।

5.14 योजना समन्वय प्रभाग

135. यह प्रभाग योजना आयोग के सभी प्रभागों के क्रियाकलापों का समन्वय करता है। विशेष रूप से, इसका उत्तरदायित्व पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को बनाने और तैयार करने संबंधी कार्य को समन्वित करना है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के क्षेत्रगत आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय कार्य को समन्वित करने की विशेष जिम्मेदारी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग की

आंतरिक बैठकें, पूरे योजना आयोग की बैठकें राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें योजना समन्वय प्रभाग द्वारा आयोजित और समन्वित की जाती हैं।

136. योजना आयोग को स्थापित करने वाले भारत सरकार के संकल्प में यह परिकल्पना की गई है कि योजना आयोग 'समय–समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करेगा और नीति तथा उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करेगा जो मूल्यांकन का अनुसार आवश्यक दिखाई दें'। तदनुसार, योजना आयोग पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन करता चला आ रहा है।

137. योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए) प्रक्रिया इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि जबसे योजना शुरू की गई है, उसके बाद के वर्षों में योजना के कार्यान्वयन का निष्पादन का जायजा लिया जाए और समग्र योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावी पूर्ति करने के उद्देश्य से उपचारी कार्रवाई की जाए। मध्यावधिक मूल्यांकन दस्तावेज के मसौदे पर कार्रवाई प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन 30 सितम्बर 2000 को आयोजित पूरे योजना आयोग की बैठक में विचार किया गया था। पूरे योजना आयोग की बैठक के बाद 30 सितम्बर 2000 को नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने सम्बोधित किया। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन दो खण्डों में प्रकाशित किया गया था, अर्थात विशेषताएं और मुख्य दस्तावेज। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 17 अक्तूबर 2000 को आयोजित आर्थिक सम्पादक सम्मेलन को भी सम्बोधित किया।

138. मध्यावधिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थ–व्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लक्षित दर की तुलना में बहुत कम रही है। 1997–98 में अर्थ–व्यवस्था ने अनुमानतः केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि की थी जो कि पिछले वर्ष में प्राप्त हुई 7.5 प्रतिशत की वृद्धि से बहुत कम थी। इस गिरावट का मुख्य कारण 1997–98 में कृषि में हुई ऋणात्मक वृद्धि दर थी। विनिर्माण क्षेत्र में भी अत्यधिक गिरावट आई और उसकी वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत थी जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि दर दो अंकों में थी। 1998–99 में अर्थ–व्यवस्था की वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ और यह 6.8 प्रतिशत हो गई जिसका प्रमुख कारण कृषि विकास में तेजी से सुधार होना था। तथापि, विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन घटिया बना रहा और उसकी 4 प्रतिशत से किंचित कम वृद्धि दर दर्ज हुई। इन दोनों वर्षों में सेवा क्षेत्रों का निष्पादन उत्तम बना रहा और उसने जीडीपी की वृद्धि दर में और आगे गिरावट आने से रोका।

139. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के त्वरित अनुमान के अनुसार 1999–2000 की वृद्धि दर मात्र 6.4 प्रतिशत दर्शाई गई है। इस आधार पर योजना के पहले तीन वर्षों की औसत वर्षद्धि दर 6.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। तथापि, ऐसा महसूस किया जाता है कि 1999–2000 के बारे में सीएसओ के अनुमान किंचित कम बताए गए हैं, क्योंकि उसने वर्ष के उत्तरार्द्ध में, विशेष रूप से कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में हुए

सकारात्मक घटनाक्रम को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत से लेकर 6.9 प्रतिशत के बीच रहेगी जिसके अनुसार पहले तीन वर्षों की औसत वृद्धि 6.2 प्रतिशत हो जाएगी।

140. केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार करने में उनके द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले दिशा–निर्देश तैयार करने सहित वार्षिक योजना 2001–2002 सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय क्षेत्र के लिए निर्धारित समय के अनुसार शुरू किया गया। 2001–2002 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार करने के निमित्त उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चाएं की गईं। इसके पश्चात, केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की वार्षिक योजना 2001–02 के लिए परिव्ययो को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के साथ सचिव स्तरीय चर्चाएं आयोजित की गईं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग के अन्तिम आबंटन सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों और वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिए गए हैं।

141. प्रभाग ने वार्षिक योजना दस्तावेज 2000–01 तैयार करने के लिए अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना और सामग्री संकलित और समेकित की। वार्षिक योजना 2000–01 दस्तावेज संसद में भी प्रस्तुत किया गया।

142. प्रतिवर्ष योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर अनिवार्यतः रखी जानी होती है। वार्षिक रिपोर्ट 2000–01 के लिए सामग्री संकलित, सम्पादित और प्रकाशित की गई। इसे द्विभाषी रूप में मुद्रित करवाने के बाद संसद के बजट सत्र (2001) में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

143. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस), केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की जाती हैं और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। योजना समन्वय प्रभाग, नई सीएसएस के लिए पूरे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों/ स्कीमों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। इस वर्ष के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन नई सीएसएस स्कीमों के लिए पूरे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया और कुछ अन्य स्कीमों के लिए यह कार्रवाई चल रही है।

144. योजना समन्वय प्रभाग का एक अन्य नियमित क्रियाकलाप योजना आयोग में प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रतिमाह एक अर्ध शासकीय पत्र भेजना है। 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के संयुक्त सत्र में भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से उत्पन्न हुए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रधान मंत्री कार्यालय को समय पर भेज दी गई। वर्तमान सरकार के प्रथम वर्ष के दौरान योजना आयोग के कार्यक्रमों, नीतियों और पहलों की बाबत एक टिप्पणी तैयार की गई और प्रमुख सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई। संसद

के दोनों सदनों (2001) के संयुक्त सत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए योजना आयोग से सम्बन्धित सामग्री प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी गई। संसद के समक्ष आने वाले संभावित मुद्दों पर भी एक टिप्पणी वर्ष के दौरान संसद के सत्र में शुरू होने से पहले भेज दी गई। इसी प्रकार, 2001–2002 के बजट के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के बजट भाषण में शामिल करने के लिए सामग्री और बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा 2000–01 में प्रकाशित होने के लिए सामग्री वित्त मंत्रालय को भेज दी गई।

145. योजना आयोग के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अनुदान मांगों सम्बन्धी वित्त की स्थायी समिति के लिए सूचना प्रस्तुत की गई। लोक सभा के लाभकारी पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा मांगी गई सूचना भी लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई।

146. योजना आयोग की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय आयोजना के 50 वर्षों की सांख्यिकीय रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक पुस्तिका और स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला क्षेत्रों में विकास के चुनिन्दा संकेतकों पर छः ग्राफिक 'पोस्टर चार्ट' तैयार और मुद्रित कराए गए।

147. योजना आयोग के उपाध्यक्ष योजना आयोग से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करने और उन पर विचार करने के निमित्त प्रत्येक सोमवार को आयोग के सदस्यों और कभी–कभी आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेते हैं। इन बैठकों में विभिन्न क्षेत्रगत मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठकों के कार्यवृत्तों के माध्यम से प्रभागों को समयबद्ध कार्रवाइयां सुझाई गईं। इस सम्बन्ध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और आगामी बैठकों में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर चर्चा की जाती है।

148. आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के बीच विस्तृत विचार–विमर्श के बाद प्रभाग ने आयोजना प्रक्रिया के पुनः अनुस्थापन और योजना आयोग के पुनर्गठन पर एक अवधारणात्मक लेख प्रकाशित किया। इस लेख पर योजना आयोग की आन्तरिक बैठकों में चर्चा की गई तथा इसे माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 30 सितम्बर 2000 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया गया। टिप्पणी को मोटे तौर पर अनुमोदित कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय सम्बन्धी मामलों पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा की जाएगी। इस सम्बन्ध में मामले को निबटाने के प्रयोजन से 22.12.2000 को और 28.12.2000 को दो बैठकें आयोजित की गईं।

149. भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकृत योजना प्रणाली से धीरे–धीरे निर्देशक आयोजना की तरफ बढ रही है जिसमें योजना आयोग अपना ध्यान मुख्यतः भविष्य का दीर्घकालिक कार्यनीतिगत दृश्य प्रस्तुत करने और राष्ट्र की प्राथमिकताएं निश्चित करने पर देगा। यह क्षेत्रगत लक्ष्य तैयार करेगा और वांछित दिशा में आगे बढने के लिए अर्थ व्यवस्था को उत्साहवर्धक स्फूर्ति प्रदान करेगा।

150. मानव और आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में नीति तैयार करने के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में योजना आयोग एकीकरणात्मक भूमिका अदा करेगा। सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, ग्रामीण ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं, साक्षरता तथा पर्यावरण सुरक्षा जैसी जिन स्कीमों में समन्वय तथा संयोजन स्थापित करने की आवश्यकता है, उनके संबंध में अभी भी एक समन्वित नीति तैयार की जानी है। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी एजेंसियां स्थापित हो गई हैं। एकीकृत दृष्टिकोण से कहीं कम लागत पर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

151. आयोग, हमारे सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर जोर देगा। केवल योजनागत परिव्ययों में वृद्धि की ओर देखने की बजाय, किए गए आबंटनों का बेहतर उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे। इसलिए योजना की प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों और कार्यनीतियों में इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है।

152. उपलब्ध बजटीय संसाधनों पर भारी दबाव उत्पन्न होने के साथ, राज्यों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के बीच संसाधन आबंटन प्रणाली पर दबाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप योजना आयोग को सभी संबंधितों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। इसे परिवर्तन का सुचारु प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा और सरकार में उच्च उत्पादकता तथा कार्यकुशलता की संस्कृति विकसित करने में सहायता करनी होगी।

153. संसाधनों के कुशल उपयोग की कुंजी सभी स्तरों पर उपयुक्त स्वतःप्रबंधित संस्थाएं उत्पन्न करने में है। इस क्षेत्र में, योजना आयोग प्रणालियों में परिवर्तन करने की भूमिका निभाएगा और बेहतर प्रणालियां विकसित करने के लिए सरकार के भीतर परामर्श उपलब्ध कराएगा। अनुभव के लाभ का और अधिक व्यापक विस्तार करने के लिए योजना आयोग सूचना का प्रसार करने की भूमिका भी निभाएगा।

154. योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सम्प्रति, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के निर्माण के लिए संचालन समितियों/ कार्यकारी समूहों की स्थापना की जा रही है और अभी तक 20 संचालन समितियां, 61 कार्यकारी समूह तथा एक कार्यदल (टास्क फोर्स) गठित किया जा चुका है।

5.15 विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

155. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग का संबंध ऊर्जा क्षेत्र में योजना से सम्बद्ध सभी प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों से है। इसमें मांग मूल्यांकन, आपूर्ति पक्ष प्रबंधन तथा संरक्षण प्रयास शामिल हैं। यह प्रभाग राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पर भी कार्य कर रहा हैं। इस प्रभाग की तीन इकाइयां हैं जो विद्युत तथा ऊर्जा अर्थव्यवस्था, कोयला तथा पेट्रोलियम संबंधी काम को देखती हैं। इन इकाइयों द्वारा निबटाए गए कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन नीचे

किया गया है। विद्युत इकाई ऐसे प्रस्तावों की भी जांच करती है जो राज्य क्षेत्र में विद्युत स्कीमों के लिए निवेश करने के अनुमोदन में परिणत होते हैं।

156. विद्युत और ऊर्जा अर्थव्यवस्था यूनिट

(i) विद्युत और ऊर्जा अर्थव्यवस्था यूनिट ने, राज्य बिजली बोर्डों/ बिजली विभागों के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ii) इस इकाई ने नौवीं योजना की मध्य–आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसने संस्थापित क्षमता में वृद्धि, विभिन्न राज्यों द्वारा संरचनात्मक सुधारों में प्रगति तथा निजी सेक्टर की सहभागिता की भूमिका के संबंध में योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की है।

(iii) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए योजना आयोग के प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया।

(iv) सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) अनुमोदित कर दिया है जिसके लिए इस यूनिट ने वित्त मंत्रालय को इन्पुट प्रदान किए हैं। आशा है कि एपीडीपी की योजना के फलस्वरूप राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यचालनात्मक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अन्ततः विद्युत क्षेत्र के सुधारों की गति में तेजी आएगी।

(v) इस यूनिट ने विद्युत विधेयक, 2000 के मसौदे का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित मंत्रियों के समूह को सहयोग प्रदान किया। मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(vi) आदिवासी गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए प्रयोग में लाए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने से सम्बन्धित विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करने के निमित्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

(vii) वार्षिक योजना 2001–02 तैयार करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

157. भारत सरकार ने गैर–पराम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नवीकरण योग्य ऊर्जा नीति वक्तव्य पर विचार करते हुए भारत सरकार ने वक्तव्य में निहित नीतिगत मुद्दों की जांच करने के

उद्देश्य से मानव संसाधन विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

158. कोयला यूनिट

(i) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) की मध्यावधिक समीक्षा (एमटीआर) के आधार पर कोयला और लिग्नाइट सम्बन्धी अध्याय को अन्तिम रूप दिया गया।

(ii) इस यूनिट ने कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्षिक योजना अध्याय 2000–01 तैयार किया।

(iii) विभिन्न तापीय विद्युत केन्द्रों की कोयला भण्डार सम्बन्धी मांगों का अध्ययन करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया। इस यूनिट के अधिकारियों ने समूह की बैठक के आयोजन का समन्वय किया और समूह के लिए रिपोर्ट तैयार की जिसे अगस्त 2000 में अन्तिम रूप दिया गया।

(iv) इस यूनिट ने ऊर्जा नीति समिति की रिपोर्ट के मसौदे के लिए कोयला क्षेत्र से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराई।

(v) इस यूनिट ने प्रमुख कोयला और लिग्नाइट के कार्यान्वयन की स्थिति का अध्ययन किया तथा सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय में आयोजित तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) सम्बन्धी बैठकों में विचार किए जाने के लिए मुद्दे प्रस्तुत किए।

(vi) कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा स्थापित हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की उपलब्धता और उपयोग सम्बन्धी मानदण्डों की समीक्षा करने वाली समिति में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व रहता है।

(vii) इस यूनिट ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के लिए कोयला और लिग्नाइट सम्बन्धी कार्यकारी समूह के गठन का काम शुरू कर दिया है।

(viii) वार्षिक योजना के गैर–नेमी मामलों के अधीन इस यूनिट ने 'बैनिफिसिएशन आफ नान–कुकिंग – ए पालिसी फ्रेमवर्क फार कम्पलायंस आफ एमओईएफ डायरेक्टिव' नामक एक अध्ययन शुरू किया है।

(ix) वार्षिक योजना 2001–02 तैयार करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

159. पेट्रोलियम यूनिट

(i) इस यूनिट ने ऊर्जा नीति समिति के क्रियाकलापों का समन्वय किया और समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया।

(ii) दसवीं योजना में ऊर्जा आयोजना के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण का अध्ययन करने के निमित्त सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में दसवीं योजना के लिए ऊर्जा पर एक संचालन समूह का गठन किया जा चुका है।

(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सम्बन्ध में नौवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा सम्बन्धी सामग्री को अन्तिम रूप दिया गया।

(iv) आलोच्य वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की कुछेक महत्त्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- सीमान्त क्षेत्रों तथा भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतट पर गहरे जल में अन्वेषणात्मक प्रयासों का विस्तार करते हुए ओएनजीसी को नामांकन आधार पर छः गहन जल ब्लाकों के लिए एनईएलपी अवधियां मंजूर कर दी गई हैं। अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में अधुनातम प्रौद्योगीकियों और निवेश को लाने के निमित्त एनईएलपी के अधीन बोली बोलने के दूसरे दौर के लिए रोड शो शुरू हो चुका है।

- नियंत्रित उत्पादों को प्रशासित मूल्यांकन तंत्र की खण्डन प्रक्रिया के अधीन आयात बराबरी मूल्य पर लाने के उद्देश्य से एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन और एटीएफ के एक्स स्टोरेज बिन्दु मूल्य क्रमशः 30 रुपए प्रति सिलेंडर, 2.50 रुपए प्रति लीटर और 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए गए।

- अशोधित तेल मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप आयल पूल घाटे में वृद्धि हुई है। फलतः, आयल पूल घाटे का एक–तिहाई हिस्सा निम्न कार्रवाई करके उपभोक्ताओं को अंतरित कर दिया गया है:

  – एचएसडी, एमएस, एटीएफ और पीडीएस केरोसीन और एलपीजी के उपभोक्ता मूल्यों में उच्चतर वृद्धि।

  – अशोधित तेल के सीमा शुल्क में 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कमी करना,

परिवहन तेलों का सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत करना तथा एचएसडी पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना और एमएस पर 32 प्रतिशत से घटा कर 16 प्रतिशत करना।

- एलपीजी की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के उद्देश्य से कैलेण्डर वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एलपीजी गैस (घरेलू) कनेक्शन देने का लक्ष्य बनाया गया है। यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

5.16 परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्धन प्रभाग

160. परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्धन प्रभाग (पीएएमडी) के कार्य निम्नानुसार हैं:

क) परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए तथा उनके तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए फोरमैट और मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना,

ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए प्रविधि और क्रियाविधि में सुधार लाने के उद्देश्य से समर्थनकारी अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेना,

ग) सरकारी क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करना; तथा

घ) परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्टें तैयार करने के निमित्त उपयुक्त कार्यविधियों की स्थापना करने में केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

मूल्यांकन कार्य

161. तकनीकी, आर्थिक मूल्यांकन के एक हिस्से के तौर पर, पीएएमडी 15 करोड़ रुपए और इससे अधिक लागत की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों/ परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इस पर, प्रस्ताव के स्वरूप और आकार के अनुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) द्वारा विचार किए जाने से पहले, योजना आयोग के विषय प्रभाग के परामर्श से मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करता है। वर्ष 1995–96 से इस प्रभाग ने रेल मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक लागत वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन करना आरम्भ किया है।

मुख्य–मुख्य बातें

1. मूल्यांकन टिप्पणी, प्रस्ताव प्राप्त होने से चार सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।

2. अधिक समय लगने और अधिक लागत आने की जांच करने और उसके लिए जिम्मेदारी निष्चित करने के निमित्त 22 विभागों/ मंत्रालयों में स्थायी समितियां गठित की गई हैं।

3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में निर्धारित से अधिक समय और लागत लगने के लिए जिम्मेदारी तय करने के निमित्त स्थायी समितियों की चौदह रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया।

4. 3,800 परियोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों का कम्प्यूट्रीकरण कर दिया गया।

162. योजना आयोग ने, अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में विलम्ब दूर करने और विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन प्राप्त होने से 4–6 सप्ताह के भीतर पीआईबी/ईएफसी पर निर्णय सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार निर्णय किए हैं:

क) पीएएमडी, पीआईबी/ ईएफसी के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और पीआईबी/ ईएफसी प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन में दी गई सूचना के आधार पर यह विभाग पीआईबी/ईएफसी को भेजे गए परामर्श और मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लेगा।

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और सार्थक हो, परियोजना प्राधिकारियों/ प्रशासी मंत्रालयों से केवल ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो हर दृष्टि से पूर्ण हों।

ग) पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी जारी किए जाने के लिए ऊपरी समय सीमा, पीआईबी/ईएफसी प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह नियत की गई है। यदि पीएएमडी निर्धारित समय–सीमा में मूल्यांकन नहीं कर पाता तो पीआईबी/ ईएफसी की बैठक बुलाई जा सकती है और बैठक में उनके विचार प्राप्त किए जा सकते हैं।

घ) 1.5 करोड़ रुपए और इससे अधिक किन्तु 15 करोड़ रुपए से कम लागत की परियोजनाओं/स्कीमों के प्रस्तावों पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा विचार किया जाएगा। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग अब योजना आयोग की टिप्पणियों की प्रतीक्षा किए

बगैर एसएफसी की बैठक बुला सकते हैं बशर्ते कि:

i) स्कीम योजना में शामिल हो, और

ii) मंत्रालय/ विभाग के लिए (ईएपी को छोड़कर) अपनी बजटीय सहायता में निबल वृद्धि की आवश्यकता न हो।

ड.) जिन मामलों में ऊपर (घ) में केवल शर्त संख्या (ii) पूरी होती हो, उनमें यदि योजना आयोग की टिप्पणियां समय–सीमा के भीतर प्राप्त न हों तो 4 सप्ताह बाद एसएफसी की बैठक बुलाई जा सकती है। यदि योजना आयोग के कोई विचार होंगे तो वे बैठक में ही पेश किए जाएंगे।

163. वर्ष 1999–2000 के दौरान इस प्रभाग में कुल 71,811.16 करोड़ रुपए लागत वाली 178 परियोजनाओं/ स्कीमों का मूल्यांकन किया गया। 2000–2001 (1.4.99 से 31.10.2000) तक जिन 78 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, उनमें नई एवं संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) के प्रस्ताव दोनों शामिल थे।

तथ्य और आंकड़े

			2000–2001*
1.	मूल्यांकित परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	:	78
2.	मूल्यांकित परियोजनाओं की पूंजीगत लागत (करोड़ रुपए)	:	1,64,577.44
3.	निम्नलिखित क्षेत्रों में मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या		
	– कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	:	12 (15.38 प्रतिशत)
	– ऊर्जा और परिवहन	:	25 (32.05 प्रतिशत)
	– उद्योग तथा एस एण्ड टी	:	14 (17.95 प्रतिशत)
	– सामाजिक क्षेत्र	:	12 (15.38 प्रतिशत)
	– अन्य	:	15 (19.23 प्रतिशत)
	– कुल	–	**78**

आंकड़े 1.4.2000 से 31.10.2000 तक की अवधि से संबंधित है।

164. आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 22 मंत्रालयों/ विभागों में स्थायी समितियों का गठन किया गया है जोकि ऐसे संशोधित लागत अनुमान प्रस्तावों की जांच करेंगी जिनमें निर्धारित से अधिक समय और लागत लगी है ताकि इसके लिए जिम्मेदारी ठहराई जा सके। स्थायी समितियों की 14 रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

165. वर्ष 1999–2000 और 2000–01 के दौरान मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार विभाजन संलग्न तालिका में दिया गया है। क्षेत्रकों के प्रमुख समूहों से सम्बन्धित जानकारी संलग्नक 5.1 और 5.2 में सार रूप में प्रस्तुत की गई है।

मूल्यांकित परियोजनाओं का डाटा बैंक

166. परियोजना सांख्यिकी पर डाटा बैंक बनाने के प्रयास के तौर पर परियोजनाओं से संबंधित डाटा, फाइलों और पीएएमडी में मूल्यांकित परियोजनाओं की मूल्यांकन टिप्पणियों से निकाला और कम्प्यूट्रीकृत किया गया। अक्तूबर 2000 तक 3800 परियोजनाओं का डाटा कम्प्यूट्रीकृत किया जा चुका है।

5.17 परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग

167. परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग (पीपीडी) का काम संभावनाओं और बाधाओं का चित्रण करते हुए योजना को बृहत् आर्थिक–ढांचे में पूर्ण रूप से समेकित करना, तथा संभावनाओं, बाधाओं और महत्त्वपूर्ण मुद्दों की दृष्टि से विकास का एक दीर्घकालिक दृश्य प्रस्तुत करना है।

168. यह प्रभाग योजना आयोग की आयोजना और ऐसे नीतिगत विषयों में सहायता करता है जो अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों से संबंधित हैं जैसे कि कृषि, उद्योग, आधारिक संरचना, वित्तीय संसाधन, विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, सामाजिक सेवाएं, जन सांख्यिकी, गरीबी और रोज़गार। योजनाओं में अंतर्क्षेत्रकीय संगति कायम रखने के लिए, योजनागत मॉडलों, उप मॉडलों तथा शेष सामग्रियों की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रभाग में किए गए कार्य समग्र बृहत् ढांचा तैयार करने, उपभोग, निवेश और उत्पादन संरचना एवं सामाजिक विकास की आवश्यकताएं प्रदर्शित करने में मदद करते हैं।

169. यह प्रभाग, अपने नियमित क्रियाकलापों के अंग के रूप में:

(i) विकास की उपयुक्त कार्यनीति के दीर्घकालिक योजनागत उद्देश्यों की विवक्षाओं का विश्लेषण करके मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए पूर्ण रूप से ढांचा तैयार करता है,

(ii) अंतर–कालिक, अंतर–क्षेत्रीय तथा अंतर–क्षेत्रकीय संदर्भों में चालू नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण करता है,

(iii) योजनागत उद्देश्यों और योजनागत आबंटन के बीच संगति, सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्ययों की विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ अनुरूपता, विभिन्न आय–वर्गों के लोगों के खपत स्तर पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव, बचत, निवेश और अर्थव्यवस्था में विकास की प्रवृत्तियों, विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों और सार्वजनिक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की विवक्षाओं का अध्ययन करता है,

(iv) खाद्यान्न, कच्चा तेल और इस्पात जैसे मुख्य पण्यों पर बृहत् आर्थिक विकास के प्रभाव के बारे में परामर्श देता है,

(v) योजना प्रक्रिया, किसी सार्वजनिक क्षेत्रक कार्यक्रम को सरकारी व्यय के योजनेतर पक्ष से बदल कर योजना पक्ष में लाने या ठीक इसके उलटा करने से संबंधित तकनीकी विषयों पर योजना आयोग के विचार तैयार करने में इसकी सहायता करता है, तथा

(vi) संसद, अर्थशास्त्रियों तथा आर्थिक सम्पादकों के मंचों, राज्यों में आर्थिक योजना एजेंसियों के प्रतिनिधियों, अन्य देशों के राष्ट्रीय योजना आयोगों तथा संयुक्त राष्ट्र, 'सार्क' तथा 'एस्केप' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उठाए गए योजना प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर योजना आयोग द्वारा प्रत्युत्तर दिए जाने में योगदान देता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ वैचारिक आदान–प्रदान, सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से होता है।

170. योजना आयोग की ओर से यह प्रभाग राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर देश में गरीब लोगों की संख्या का अनुमान लगाता है और गरीबी की स्थिति का अध्ययन करता है।

171. आर्थिक विकास संस्थान में योजना आयोग के एक बाजू के रूप में स्थापित 'विकास आयोजना केन्द्र' के लिए यह प्रभाग प्रशासनिक नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

172. यह प्रभाग निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

(i) एनएसएसओ की शासी परिषद,
(ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शासी परिषद,
(iii) सीएसओ की राष्ट्रीय लेखाओं संबंधी सलाहकार समिति,

(iv) सांख्यिकीय संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड,
(v) आर्थिक विकास संस्थान में 'विकास योजना केन्द्र' की शासी परिषद,
(vi) सांख्यिकीय विभाग द्वारा स्थापित 'स्थायी अनुसन्धान सलाहकार समिति',
(vii) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सांख्यिकीय विभाग के कुछ प्रभागों के काम के युक्तिकरण का अध्ययन करने के लिए 'विशेषज्ञ समिति',
(viii) भारत के लिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु दल।

173. प्रभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक समीक्षा और समीक्षा के लिए अध्याय तैयार करने का काम किया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए बृहत् आर्थिक संकलनों के आवधिक अनुमानों की ध्यान में रखते हुए इस प्रभाग में वर्तमान आर्थिक विषयों का विश्लेषण किया गया था।

174. प्रभाग में अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र के कार्य–निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों को सूचना उपलब्ध कराई गई। इस सम्बन्ध में किए गए कुछेक अध्ययन निम्नानुसार हैं:

(i) 1997–98 में आए संकट के पश्चात चीन के साथ व्यापार सहित भारत से दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात की प्रकृति का विश्लेषण।

(ii) 1994 में किए गए उदारीकरण के बाद से विदेशी संस्थानगत निवेशों, आयातों (पीओएल आयात सहित), चालू और पूंजीगत लेखे तथा मुद्रास्फीति सूचकांक, डब्ल्यूपीआई के सन्दर्भ में सांकेतिक तथा वास्तविक अर्थों में विनिमय दर की गति का प्रतिमाह आधार पर विश्लेषण।

(iii) भारतीय आयात पर टेरिफ ढांचे में परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन।

(iv) दक्षिण पूर्व एशियाई तथा लातिन अमरीकी देशों में आए संकट का अध्ययन तथा भारत के लिए शिक्षाएं।

(v) डबल्यूटीओ करारों में हाल की गतिविधियों का अध्ययन तथा समय–समय पर वाणिज्य मंत्रालय को नीतिगत सुझाव दिए गए।

(vi) 1997–98 से आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए जाने और भारतीय आयात पर उसके प्रभाव का संक्षिप्त अध्ययन।

175. प्रभाग में तैयार किए गए कुछेक अन्य लेखों/ अध्ययनों में निम्न शामिल हैं:

- 'जीवन स्तर' पर एक कार्यकारी लेख प्रकाशित किया गया।
- वार्षिक योजनाएं 1999–2000 और 2000–2001 में शामिल किए जाने के लिए 'सिहांवलोकन' नामक एक अध्याय।
- 'डाटा तत्त्वों का केन्द्रीय भण्डार' स्थापित किए जाने सम्बन्धी एक टिप्पणी।
- चीन, जापान, रूस, अमरीका और भारत में इस्पात उद्योग की तुलना सम्बन्धी एक टिप्पणी।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारतीय इस्पात उद्योग के प्रौद्योगिकीय मुद्दों सम्बन्धी एक अध्याय।

176. प्रभाग में जिन विषयों पर काम चल रहा है, वे निम्नानुसार हैं:

(i) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के निर्माण सम्बन्धी विभिन्न बृहत–आर्थिक पैरामीटरों के निर्धारण की प्रक्रिया।

(ii) योजना आयोग में डाटा बैक यूनिट स्थापित करना।

(iii) पूर्वी और दक्षिणी–पूर्वी एशियाई संकट का भारत के व्यापार तथा आर्थिक नीतियों पर प्रभाव।

177. प्रभाग के अधिकारियों ने निम्न संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया:

(क) संगोष्ठियां

(i) केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का दिल्ली में 23–24 अक्तूबर के दौरान आयोजित सम्मेलन।

(ii) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधिक समीक्षा पर नवम्बर 2000 में आयोजित संगोष्ठी।

(iii) आधारिक संरचना पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 6–8 दिसम्बर 2000 के दौरान आयोजित चीनी इंजीनियरी और जिन्स मेला।

(iv) 'एग्रीकल्चरल सब्सिडी – ग्लोबल डायमेंशन्स' पर नई दिल्ली में 11–13 दिसम्बर 2000 के दौरान आयोजित एफएआई संगोष्ठी, 2000।

(v) इंदिरा गांधी विकास अनुसन्धान संस्थान, मुम्बई में 'टेरिफ स्ट्रक्चर इन इंडिया – पास्ट ट्रेण्डस एण्ड प्रोपोजल फार फ्यूचर' विषय पर एक लेख प्रस्तुत किया।

(ख) प्रशिक्षण

(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्ध संस्थान, फरीदाबाद में आईईएस अधिकारियों के लिए 9–13 अक्तूबर 2000 के दौरान 'वित्तीय प्रबन्ध और बजट निर्माण' विषय पर एक पाठ्यक्रम।

(ii) मध्य स्तर के आईएसएस अधिकारियों के लिए 'निर्धनता का आकलन और

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन' विषय पर एनआईआरडी, हैदराबाद में 18–23 दिसम्बर 2000 के दौरान आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

178. प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखितों के सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भाग लिया:

(i) बृहत–माडलिंग पर मई 2000 में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी।

(ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता में 'राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों' पर मई 2000 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले एम. स्टैट. के छात्र।

(iii) जनवरी 2001 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय सेवा के XXIV बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी।

5.18 ग्रामीण विकास प्रभाग

179. ग्राम स्तर पर संधारणीय मानवीय उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति करने के उद्देश्य से वार्षिक योजना 2000–2001 में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) शुरू की गई है। पीएमजीवाई में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को चुनिन्दा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के निमित्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के आबंटन की परिकल्पना की गई है जिससे कि सरकार के कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। वार्षिक योजना 2000–01 में पीएमजीवाई के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। पीएमजीवाई के दो घटक हैं, अर्थात 2500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ ग्रामीण सड़कें और समान आबंटन सहित पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रम। पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों में ये शामिल हैं: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल तथा पोषाहार। पीएमजीवाई का समग्र समन्वय ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

180. आरडी प्रभाग योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अन्तरण सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति जिसके सदस्यों में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों – दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के लिए एक नोडल प्रभाग के रूप में काम करता है।

181. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की फरवरी 1999 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गरीबी कम करने वाले कार्यक्रम के अधीन निधियों के आबंटन के मानदण्डों पर एक एनडीसी समिति का गठन किया गया। एनडीसी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर 30.9.2000 को हुई पूरे योजना आयोग की बैठक में चर्चा की गई और उसे राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

182. ग्रामीण विकास प्रभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने के लिए, ग्रामीण निर्धनता में कमी लाने, जलसंभर विकास तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना और पंचायती राज संस्थानों पर एक संचालन समूह का तथा निम्न के विषय में दो कार्यकारी समूहों का गठन किया: (i) ग्रामीण निर्धनता में कमी लाने वाले कार्यक्रम, (ii) विकेन्द्रीकृत आयोजना और पंचायती राज संस्थान। ग्रामीण विकास प्रभाग, पंचायती राज संस्थाओं पर प्रधान सलाहकार (एसपी) की अध्यक्षता में स्थापित एक कार्यदल को सेवा प्रदान कर रहा है।

183. ग्रामीण विकास प्रभाग ने 1999–2000 के वार्षिक योजना दस्तावेज के लिए ग्रामीण विकास तथा गरीबी कम करने और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर अध्याय तैयार किए। इसके अतिरिक्त, इसने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की वार्षिक योजना 2000–01 के लिए प्रस्तावों की जांच की। इसने वर्ष 2000–01 के लिए, आरडी सेक्टर के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रस्तावों की भी जांच की और इस सम्बन्ध में कार्यकारी समूह की कुछेक चर्चाओं में भी भाग लिया।

184. प्रभाग ने, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के अधीन आबंटन मानदण्ड में संशोधन के लिए ईएफसी ज्ञापन की बारीकी से जांच की। प्रभाग ने निम्न के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव का भी अध्ययन किया: (क) अन्नापूर्ण नामक शत–प्रतिशत रूप से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू करना, तथा (ख) देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने तथा पेय जल की कमी की संभावना।

185. ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा गरीबी कम करने और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, पंचायती राज और ग्रामीण आवास सम्बन्धी पहले से चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया ताकि उनका प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।

186. नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के लिए ग्रामीण आवास और भूमि सुधार सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने वाले कार्यक्रमों, विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज तथा जलसंभर विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अध्यायों को अन्तिम रूप दिया गया।

187. ग्रामीण विकास प्रभाग विभिन्न राज्यों की मानव विकास रिपोर्टें तैयार करने के काम का समन्वय कर रहा है। 1998–99 से योजना आयोग उन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता रहा है जिन्होंने अपनी राज्य एचडीआर तैयार करने का काम हाथ में लिया है। योजना आयोग द्वारा अभी तक इन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की गई है: आन्ध्र प्रदेश, असम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा गोवा। योजना आयोग 'राज्य एचआरडी तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण' विषयक यूएनडीपी परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी भी है जिसके अधीन राज्य सरकारों को कार्यषालाएं आयोजित करने तथा अपनी एचडीआर तैयार करने में सहायता पहुंचाने के लिए परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजन से सहायता प्रदान की जा रही है।

188. ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा 'जनश्री बीमा योजना' नामक एक नई बीमा योजना सम्बन्धी काम भी किया जा रहा है।

189. ग्रामीण विकास प्रभाग ने, जिन गैर–सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों ने योजना आयोग से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था, उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुसन्धान प्रस्तावों का बारीकी से विश्लेषण किया और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं तथा विभिन्न नेमी कार्य भी किए, जैसेकि स्वैच्छिक संगठनों के अभ्यावेदनों का उत्तर देना, अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों और संसद प्रश्नों का उत्तर देना।

190. सलाहकार (आरडी) अनेक समितियों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जिनमें ये समितियां शामिल हैं: (i) बृहत–और समायोजन नीतियों पर सूक्ष्म प्रभाव संबंधी सलाहकार समिति (एमआईएमएपी), भारतीय परियोजना तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसन्धान परिषद (एनसीएईआर), (ii) भारतीय ग्रामीण प्रबन्ध ा संस्थान, जयपुर की शासी परिषद के सदस्य, (iii) मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक मण्डल के सदस्य, (iv) राष्ट्रीय विकासात्मक प्रशासन, अनुसन्धान और प्रशिक्षण प्रोन्नति सोसायटी, मसूरी की साधारण सभा के सदस्य, (v) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की साधारण सभा के सदस्य, (vi) समुदाय–आधारित निर्धनोन्मुखी पहलों के लिए कार्यक्रम प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य, (vii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकेन्द्रीकृत आयोजना और पंचायती राज संस्थानों सम्बन्धी कार्यकारी समूह के अध्यक्ष, (viii) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने, जलसंभर विकास और विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा पंचायती राज सम्बन्धी संचालन समूह के सदस्य–सचिव, (ix) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता कम करने वाले कार्यक्रम के कार्यकारी समूह के सदस्य, (x) दसवीं पंचवर्षीय योजना (कृषि प्रभाग) के लिए जल संभर विकास, वर्षा सिंचित कृषि और राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकारी समूह के सदस्य। निदेशक (आरडी) इन समितियों के सदस्य हैं: (i) एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के लिए परियोजना संवीक्षा समिति, तथा (ii) समुदाय–आधारित निर्धनोन्मुखी पहल कार्यक्रम की स्थायी समिति।

191. सलाहकार (आरडी) ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया: (i) न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का 38वां सत्र; (ii) न्यूयार्क में आयोजित सामाजिक विकास सम्बन्धी विष्व शिखर सम्मेलन की समीक्षा के लिए प्रारम्भिक समिति की बैठक;(iii) स्विटजरलैण्ड में आयोजित सामाजिक विकास सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के विशेष सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य के रूप में; (iv) यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के बारे में ब्राजील में आयोजित दूसरा विश्व मंच। निदेशक (आरडी) ने निर्धनता कम करने सम्बन्धी मुद्दों के बारे में एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलीपीन्स में आयोजित क्षमता निर्माण संगोष्ठी में भाग लिया। वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (आरडी) ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विकास संस्थान (एनआईआरडी) द्वारा राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

192. ग्रामीण विकास प्रभाग ने निम्न प्रस्तुतियों का आयोजन किया, अर्थातः (क) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0 की प्रबन्ध निदेशक सुश्री अरुणा शर्मा द्वारा 'दिल्ली में आयोजना के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक साफ्टवेयर का निदर्शन' विषय पर प्रस्तुति, (ख) प्रोफेसर पीवी इन्द्रीसेन द्वारा 'ग्रामीण क्षेत्रों का योजनाबद्ध शहरीकरण' विषय पर प्रस्तुति; तथा (ग) डा0 नाता दुवुरी, निदेशक, सामाजिक न्याय और सिविल सोसायटी, आईसीआरडबल्यू, वाशिंगटन द्वारा 'महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा' विषय पर प्रस्तुति।

193. ग्रामीण विकास प्रभाग के फोर्ड फाउण्डेशन की 'बजट और निर्धनता' विषय पर मुम्बई के निकट आयोजित सम्मेलन के लिए अनापत्ति प्राप्त करने से सम्बन्धित काम का समन्वय किया गया।

194. ग्रामीण विकास प्रभाग ने योजना आयोग, यूएनडीपी, विष्व बैंक और विकास तथा सहकारिता सम्बन्धी स्विस एजेन्सी द्वारा संयुक्त रूप से 'सामुदायिक प्रेरित प्रबन्ध और विकेन्द्रीकरण विशयक राष्ट्रीय कार्यशाला' के आयोजन का समन्वय किया।

5.19 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

195. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं तैयार करने, केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, दोनों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से सम्बन्धित योजनागत परियोजनाओं/ स्कीमों आदि की जांच करने का काम देखता है। वर्ष 2000–01 के दौरान, निम्नलिखित मुख्य कियाकलाप किए गए:

196. केन्द्रीय वैज्ञानिक विभाग/ एजेंसियों, अर्थात अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई –आर एंड डी), विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सीएसआईआर) सहित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (डीएसआईआर), जैव–प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), महासागर विकास विभाग (डीओडी) के वार्षिक योजना (2000–01) प्रस्तावों की जांच की गई। सम्बन्धित विभाग/एजेंसियों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सुपरिभाषित समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेने और बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त – दोनों क्षेत्रों में मौजूदा संसाधनों और आधारिक तंत्र का इष्टतम प्रयोग किए जाने पर बल दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा नाभिकीय विज्ञान, स्वदेशी उपग्रह/ लांच व्हीकल के विकास और प्रचालन, एक सशक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण, जैव–औद्योगिक विकास के लिए जैव–प्रौद्योगिकी अनुसन्धान को बढ़ावा देना, महासागर संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण आदि जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन बातों पर बल दिया गया: सामाजिक कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इष्टतम लाभ उठाना, अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम मिशन पद्धति से आयोजित करना, प्रतिभावान वैज्ञानिकों को पल्लवित करना, विज्ञान को एक जीवन वृत्ति के रूप में अपनाने

के प्रति युवा वैज्ञानिकों को आकृष्ट करना, उद्योग और अनुसन्धान संस्थानों/ प्रयोगशालाओं के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना, स्वच्छ और पारिस्थितिकी–अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास करना आदि। वार्षिक योजना 2000–01 के लिए एस एंड टी अध्याय तैयार किया गया।

197. वर्ष 2000–01 के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विज्ञापन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र सम्बन्धी वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बन्धित क्रियाकलाप शुरू किए गए। केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/ एजेंसियों के सहयोग से राज्य के विकास से सम्बन्धित स्थान–विशिष्ट क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों के विनिधारण पर बल दिया गया।

198. नाभिकीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, महासागर विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास के लिए अनुसन्धान और विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति जैसे क्षेत्रों में ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों, मंत्रिमण्डल कागजातों, सचिवों की समिति (सीओएस) के लिए टिप्पणी आदि का अध्ययन किया। ईएफसी/एसएफसी से सम्बन्धित बैठकों में भाग लिया गया।

199. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संचालन समिति की स्थापना की गई थी जिससे कि विभिन्न केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/ एजेंसियों के दृष्टिकोण, नीति रूपरेखा, ध्यातव्य क्षेत्रों, प्राथमिकताओं, योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा सके।

5.20 सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान प्रभाग

सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान के लिए सहायता–अनुदान

200. योजना आयोग में मई 1999 में स्थापित अनुश्रवण सेल को एसईआर यूनिट के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार अप्रैल 2000 में सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान प्रभाग की स्थापना हो गई।

(i) सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान प्रभाग अनुसन्धान अध्ययन, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों को सहायता–अनुदान की योजना को कार्यरूप देने में योजना आयोग की सहायता करता है और आयोजना तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है।

(ii) अनुसन्धान सलाहकार समिति (आरएसी) का योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पिछली बार 21 अगस्त 1998 को पुनर्गठन कर दिया गया था। विख्यात अर्थ–शास्त्री और वैज्ञानिक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति का कार्यक्षेत्र, पूर्व

आरएसी की तुलना में अधिक व्यापक बना दिया गया हैं। पहले से चले आ रहे आर्थिक सुधारों और विश्व अर्थ–व्यवस्था के बदलते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों में अपेक्षित अनुसंधान की प्रकृति में बदलाव आ गया है। अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की पिछली बैठक श्री केसी पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर 1999 को आयोजित की गई थी। योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों ने भी विशेष आमंत्रितों के रूप में इस बैठक में भाग लिया।

(iii) अध्ययनों/संगोश्ठियों सम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तावों पर विचार करने के प्रयोजन से सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में 22 सितम्बर 1998 को 'सलाहकारों के समूह' की एक समिति का गठन कर दिया गया। सलाहकारों के समूह का गठन संलग्नक 5.3 पर प्रस्तुत है। चालू वर्ष 2000–2001 के दौरान 21.6.2000 और 11.10.2000 (दिसम्बर 2000 तक) को सलाहकारों के समूह की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(iv) 2000–2001 के दौरान (31 दिसम्बर 2000 तक) निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए 69,90,899 रुपए की राशि का सहायता–अनुदान प्रदान किया गया है:

क)	अनुसन्धान अध्ययन	62,78,399/– रुपए
ख)	संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं	7,12,500/– रुपए

201. 2000–2001 के दौरान दिए गए सहायता–अनुदान के संस्थानवार ब्यौरे संलग्नक–5.4 में तथा 2000–2001 के दौरान पूरा किए गए अनुसंधान अध्ययन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं संलग्नक 5.5 में दिए गए हैं।

202. अनुसन्धान अध्ययनों की रिपोर्टें, जहां कहीं फ्लापियां उपलब्ध हो पाई हैं, योजना आयोग की वेबसाइट पर रख दी गई हैं। प्राप्त हुई रिपोर्टें सूचना और प्रयोग के लिए योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और साथ ही मंत्रालयों/ विभागों के बीच परिचालित की जा रही हैं।

5.21 सामाजिक विकास और महिला कार्यक्रम (एसडी एण्ड (डबल्यूपी) प्रभाग

203. महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाना और बच्चों का विकास सामाजिक विकास और महिला कार्यक्रम (एसडी एण्ड डब्ल्यूपी) प्रभाग को सौंपे गए प्रमुख कार्यों में से एक है। आलोच्य वर्ष में एसडी एण्ड डबल्यूपी प्रभाग द्वारा इस दिशा में किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

महिला और बाल विकास (डबल्यूसीडी) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप

- एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के सर्वसुलभीकरण की दिशा में नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के अन्त तक इस कार्यक्रम का विस्तार मौजूदा 4200 ब्लाकों के बाद 851 और ब्लाकों में कर दिया गया। इस संदर्भ में प्रभाग ने विभाग को आईसीडीएस को प्रायोगिक आधार पर पुनःसंरचित करने को कहा। बच्चों और गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक आहार के महत्त्व को स्वीकार करते हुए और साथ ही गांव के स्तर पर संधारणीय मानव विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अधीन पोषाहार के लिए एसीए के रूप में 375 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया।

- योजना आयोग की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामाजिक विकास और महिला कार्यक्रम प्रभाग ने 'भारत में महिलाएं' एक सांख्यिकीय रूपरेखा नामक एक डाटाशीट तैयार की गई और सारे देश में परिचालित की गई।

- महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने की राष्ट्रीय नीति को शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयोजन से योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। नीति को मत्रियों के समूह द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के बाद उसके दिसम्बर 2000 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

- योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में स्थापित कार्यदल सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है। समूह को सौंपे गए दायित्वों के एक अंग के रूप में उन्होंने वर्ष 2001 को **महिलाओं के अधिकारिता वर्ष** के रूप में मनाने के निमित्त कार्य योजना को अन्तिम रूप दे दिया है।

महिला और बाल विकास

204 महिलाओं को समर्थ बनाने और बाल विकास की नौवीं योजना की कार्य–नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए, इस प्रभाग ने महिला और बाल विकास के नोडल विभाग और महिलाओं से सम्बद्ध अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ प्रभावी ढंग से परस्पर वैचारिक आदान–प्रदान/ समन्वय

जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम नौवीं योजना की वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए सही परिप्रेक्ष्य में लागू किए जाएं। वर्ष के दौरान प्रभाग का मुख्य प्रयास 'महिला घटक योजना' (डबल्यूसीपी) की नई कार्यनीति को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करवाना था। डबल्यूसीपी नौवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में शुरू की गई थी ताकि अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले लाभों से महिलाएं अछूती न रह जाएं। डबल्यूसीपी के कार्यान्वयन में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने, उनके द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराने के उद्देश्य से सदस्य (डबल्यूसीडी) की अध्यक्षता में 18.8.2000 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न 17 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों ने यह कहते हुए पुष्टि की है कि उन्होंने महिला घटक योजना तैयार करने की कार्रवाई पहले की शुरू कर दी है: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता, श्रम, कृषि और सहकारिता, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति, शहरी रोज़गार और निर्धनता को कम करना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण और वन, लघु उद्योग तथा एआरआई और युवा कार्य तथा खेलकूद। बैठक में कार्यान्वयन के लिए अनेक कार्य बिन्दुओं को अन्तिम रूप दिया गया तथा यह कहा गया कि (i) सभी मंत्रालय/ विभाग, अपनी स्कीमों के अधीन महिलाओं के लिए गुणवत्तात्मक और परिमाणात्मक – दोनों प्रकार के लाभों का जायजा लें और इसके बाद वित्तीय लाभ का हिसाब लगाएं; (ii) सभी मंत्रालय/ विभाग कार्यक्रम/स्कीमें/ परियोजनाएं अभिज्ञात करें तथा डबल्यूसीपी के लिए निधियां/ लाभ आबंटित करें; (iii) मंत्रालय/ विभाग उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही महिला सम्बन्धी सभी स्कीमों की समीक्षा करें और सम्बन्धित मुद्दों सहित ऐसी स्कीमों के नामों की सिफारिश करें जिनका अनुश्रवण महिला और बाल विकास नामक नोडल विभाग द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। वार्षिक योजना प्रक्रिया के एक अंग के रूप में प्रभाग ने 2000–2001 के वार्षिक योजना प्रस्तावों की जांच की और नोडल विभाग की स्कीम–वार आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन किया।

205. प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन और अनुश्रवण प्रभाग (पीएएमडी) के निकट सहयोग से मंत्रिमण्डल टिप्पणियों/ईएफसी ज्ञापनों से सम्बन्धित महिला और बाल विकास विभाग के अनेक योजना कार्यक्रमों की जांच की/ अनुमोदन किया, जैसेकि नए सिरे से तैयार की गई इन्दिरा महिला योजना (आईएमवाई), महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरसीडबल्यू) का गठन करना, विशेष रूप से छोटे और लघु उद्योग क्षेत्रों में महिलाओं की ऋणों की आपूर्ति का सुदृढ़ीकरण, बाह्य–वित्तपोषी एजेंसियों से आर्थिक सहायता सहित तमिलनाडु में महिला विकास परियोजना।

206. यह प्रभाग योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में 14.8.2999 को स्थापित कार्यदल की सेवा करता रहा है। इस कार्यदल की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधनों की सुलभता में उनका वैध स्थान सुनिश्चित करने के निमित्त मौजूदा कानून और सरकारी स्कीमों की समीक्षा की जाए। इस कार्यदल की दो बैठकें (1.9.2000

और 16.10.2000) आयोजित की गईं जिनमें कार्यदल ने वर्ष 2001 को वर्ष के प्रत्येक माह के लिए नितान्ततः चुने गए विशेष विषयों सहित (नीचे बाक्स देखें) महिला अधिकारिता वर्ष मनाने के लिए एक कार्ययोजना को अन्तिम रूप दे दिया है।

महीना और विषय	घटना
जनवरी 2001 महिलाओं के लिए मानव अधिकार	1. 1.1.2001 को अधिकारिता वर्ष की शुरूआत। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें ये कार्यक्रम शामिल होंगे: दूरदर्शन पर प्रधान मंत्री का भाषण लोगो, नारे, पोस्टरों आदि को जारी करना स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान करना 2. महिलाओं के लिए एक एकीकृत एसएचजी आधारित कार्यक्रम की शुरूआत
फरवरी 2001 महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता	1. महिलाओं के सम्पत्ति विषयक अधिकारों पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी 2. महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार 3. सूक्ष्म ऋण सम्मेलन
मार्च 2001 महिलाओं की सामाजिक आधिकारिता	1. कानून तथा संशोधन लागू करना जैसेकि घरेलू हिंसा विधेयक, अशोभनीय प्रतिनिधित्व अधिनियम, सती और एनसीडबल्यू अधिनियमों में संशोधन
अप्रैल 2001 कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाएं	1. कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए स्कीम की शुरूआत 2. पुलिस कार्मिकों, न्यायपालिका, राजस्व कार्मिकों को लैंगिक प्रशिक्षण

मई 2001 महिला और प्रौद्योगिकी	1. पर्यावरण/एसएण्डटी/कृषि पर कार्यक्रम 2. महिला–केन्द्रित प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी आदि पर कार्यशाला
जून 2001 महिलाएं और शासन	1. संसद सदस्यों/ विधायकों और ग्रासरूट स्तर की महिलाओं के बीच संवाद शुरू करने के लिए टेलीकान्फ्रेन्स 2. पंचायतों की महिला सदस्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
जुलाई 2001 महिलाएं और शिक्षा	1. लड़कियों का शत–प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लिए अभियान 2. स्कूल और कालेज स्तर पर देशव्यापी पोस्टर प्रतियोगिता
अगस्त 2001 महिलाएं और स्वास्थ्य	1. महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व की दिशा में रक्ताल्पता नियंत्रण और एसटीआई/आरटीआई पर बल देते हुए पीएचसी पर स्वास्थ्य शिविरों का सुदृढ़ीकरण 2. सुरक्षित गर्भपात पर विशेष कार्यक्रम 3. दाइयों के प्रशिक्षण की पहले से चल रही स्कीम को 15 राज्यों के ऐसे 142 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां सुरक्षित प्रसव दर 30 प्रतिशत से कम है।
सितम्बर 2001 पोषाहार	1. पोषाहार पर राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह कार्यक्रम 2. पोषाहार के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान (ब्यौरे बाद में तैयार किए जाएंगे)
अक्तूबर 2001 महिलाएं और मीडिया	1. महिलाओं (यात्रा) पर फिल्म/ वृत्तचित्र समारोह 2. मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला

नवम्बर 2001 महिलाओं में उद्यमकर्ता	**मेला माह** परम्परागत मेलों विशेष रूप से कुम्भ मेले का प्रयोग करना, महिलाओं की अधिकारिता के बारे में लोक कलाकारों द्वारा संदेशों का प्रसार दिल्ली हाट महिला उद्यमकर्ताओं का सम्मेलन
दिसम्बर 2001 भविष्य की कल्पना	1. भविष्य की कल्पना को लेकर विख्यात महिलाओं के विचारों से युक्त संस्मारक पुस्तक 2. भावी कार्यनीतियों पर कार्यशाला

207. समूह ने 'महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने' के मुख्य विषय को परिलक्षित करते हुए एक लोगो, एक नारा, एक डाक टिकट अपना कर महिलाओं के अधिकारिता वर्ष सम्बन्धी समारोह को एक पहचान और व्यापक प्रचार दिलाने का भी निर्णय लिया है। इन सभी निर्णयों पर 'अनुवर्ती कार्रवाई' की जा रही है।

208. इस प्रभाग ने महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने की राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप देने के लिए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित किए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भी सेवाएं प्रदान की। समूह की 12.9.2000 और 7.12.2000 को दो बैठकें आयोजित की गईं जिनमें सर्वसम्मति से कतिपय निर्णय लिए गए हैं जिनके आधार पर नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

209. महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में वर्ष 2000–2001 की राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर विचार–विमर्श करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए, सन्दर्भाधीन वर्श के दौरान सलाहकार (एसडी और डबल्यूपी) की अध्यक्षता में क्षेत्रकीय कार्य दल की बैठकें आयोजित की गईं। कार्य–दल की बैठकों में राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा महिला और बाल विकास के नोडल विभाग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्य दल ने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, वित्तीय स्थिति का जायजा लिया, मौजूदा कमियों और कमजोर कड़ियों का पता लगाया और कमियों तथा कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपायों के सुझाव दिए। कार्य दल की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी सम्बन्धितों में परिचालित किए गए। इन विचार–विमर्शों के आधार पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों और योजना आयोग के अध्यक्ष के बीच उपर्युक्त वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए होने वाली बैठक में इस्तेमाल किए जाने के वास्ते संक्षिप्त नोट तैयार किए गए।

210. प्रभाग ने अहमदाबाद के स्वनियोजित महिला संघ (सेवा) के सहयोग से 'शुष्क और मरुस्थल क्षेत्रों में समुदाय प्रेरित प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव' विषय पर एक प्रस्तुति का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूएनडीपी, विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा खाद्य और कषि संगठन के प्रतिनिधियों के अलावा सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रभाग ने योजना आयोग के सम्बन्धित विषय प्रभागों के निकट सहयोग से अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू की।

211. सफलता की कुछेक कहानियों के दोहराए जाने के अन्तिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष के सहयोग से जनवरी 2001 में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने की पेशकश की है। इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यशाला में सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के भाग लेने की संभावना है और यह कार्यशाला सूक्ष्म–ऋण के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय महिला कोष की सफलता की कहानी के बारे में जानने और उसे अपने–अपने राज्य में दोहराने का अवसर प्रदान करेगी।

आरएमके माध्यम से महिलाओं के लिए सूक्ष्म–ऋण

31.00 करोड़ रुपए की छोटी सी अक्षय निधि के साथ 1993 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला कोष गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र की गरीब और परिसम्पत्तिविहीन महिलाओं को ऋण प्रदान करता है। आरएमके अपनी स्थापना के समय से लेकर 31.3.2000 तक 712 संगठनों को 82.29 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर कर चुका है। आरएमके ने लगभग 3.60 लाख महिलाओं को 59.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अपने क्रियाकलापों के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने की प्रक्रिया में आरएमके, आईएमवाई के कार्यक्रम के अधीन स्वयंसेवी समूहों के साथ तालमेल बढ़ा रहा है।

212. योजना आयोग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस प्रभाग ने 'भारत में महिलाएं – एक सांख्यिकीय रूपरेखा' नामक एक प्रकाशन निकाला और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की 22.7.2000 को आयोजित की गई पहली बैठक में उसका विमोचन किया गया।

213. वाराणसी और वृन्दावन की विधवाओं की बढ़ती हुई समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए प्रभाग ने इन सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बेसहारा विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के निमित्त वैकल्पिक कार्यनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडबल्यूबी) के साथ चर्चा की। अनुवर्ती कार्रवाई के एक अंग के रूप में यह मामला महिला और बाल विकास के नोडल विभाग और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ उठाया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे इन विधवाओं के

समाजार्थिक हालात में सुधार लाने के लिए स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, समाज सेवकों और निगमित क्षेत्र के सहयोग से तात्कालिक उपाय शुरू करें।

214. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के निर्माण के लिए महिला विकास पर कार्यकारी समूह, बाल विकास पर कार्य समूह और महिला तथा बाल विकास पर एक संचालन समिति का गठन करना प्रभाग का एक अन्य प्रमुख क्रियाकलाप था।

215. प्रभाग ने महिला और बाल विकास के नोडल विभाग द्वारा एनआईपीसीसीडी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक और यूनिसेफ जैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित की गई अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया। कुछेक महत्त्वपूर्ण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में जिनका उल्लेख किया जा सकता है, ये शामिल हैं: आईसीडीएस के माध्यम से सूक्ष्म–पोषाहार कुपोषण की रोकथाम के लिए अवसर और चुनौतियां;, महिला और बाल विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन; स्वैच्छावाद और सामाजिक विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन; महिला क्षेत्र के लिए जिम्मेदार राष्ट्रमण्डल के मंत्रियों की छठी बैठक; उत्तरजीविता, उन्नति और विकास आदि के लिए प्रारम्भिक शिशु देखभाल।

5.22 समाज कल्याण प्रभाग

216. 'विकलांगों को सामर्थ्यवान बनाना', 'सामाजिक दृष्टि से विसामान्य में सुधार लाना, तथा 'अन्य सुविधाविहीन व्यक्तियों की देखभाल करने' सम्बन्धी नौवीं योजना के क्षेत्रकीय लक्ष्यों की पूर्ति करने की दिशा में इस प्रभाग ने समाज कल्याण और अधिकारिता के नोडल मंत्रालय (समाज कल्याण तथा अधिकारिता मंत्रालय) और अन्य सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि नीतियां और कार्यक्रम सही दिशा में कार्यान्वित किए जाएं।

217. विकलांगों को सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल का सम्बन्ध 'विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राश्ट्रीय कार्यक्रम' के राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकलांगों अर्थात 'उन तक पहुंचना जिन तक पहुंचा नहीं जा सका है' पर विशेष बल देते हुए पुनर्वास सेवाओं के विस्तार का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने के साथ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र के सहयोग से राज्य/ जिला पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया जाए। प्रमस्तिष्काघात, मानसिक मन्दता और एकाधिक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना आलोच्य वर्ष का एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप है।

218. आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रिमण्डल टिप्पणियों/ ईएफसी/ सीएफसी ज्ञापनों के रूप में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं की जांच की गई और नौवीं योजना में उनके कामचलाऊ स्वरूप तथा प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। यह प्रभाग सुविधाविहीन वर्गों के कल्याण और उन्नति के निमित्त विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के अलावा नोडल मंत्रालय के साथ बराबर वैचारिक आदान–प्रदान करता रहा।

219. समाज कल्याण के बारे में वर्ष 2000–2001 की राज्य वार्षिक योजनाओं पर चर्चा करने/ उन्हें अंतिम रूप देने के उद्देश्य से सलाहकार (एसडी तथा डबल्यूपी) की अध्यक्षता में जून 2000 में कार्यकारी समूहों की बैठकें आयोजित की गईं। कार्यकारी समूह की बैठक में राज्य प्रतिनिधियों के अलावा समाज कल्याण और अधिकारिता के नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यकारी समूहों ने, विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा अलग–अलग राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का जायजा लिया और समाज कल्याण क्षेत्र के सम्बन्ध में संसाधनों के आबंटन के निमित्त आवश्यक सिफारिशें की। इस प्रकार, मांग–आधारित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण/ कार्यान्वयन, पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अनुश्रवण और मूल्यांकन, नए प्रस्तावों के वास्तविक मूल्यांकन, संसाधन आबंटन आदि के सम्बन्ध में प्रभाग ने समाज कल्याण और अधिकारिता के नोडल मंत्रालय के लिए वर्ष 2000–2001 के सम्बन्ध में परिव्ययों को अन्तिम रूप देने में योजना आयोग के योजना समन्वय प्रभाग की सहायता की।

220. आलोच्य वर्ष में इस प्रभाग को समाज कल्याण क्षेत्र के सम्बन्ध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में भी सक्रिय रूप से सहयोजित किया गया। प्रभाग ने क्षेत्र की समग्र रूप से समीक्षा की तथा विकलांगों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की क्षमताओं और दुर्बलताओं की पहचान की। कुछेक प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा छः राष्ट्रीय संस्थान डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी जनशक्ति के निर्माण की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास तथा राज्यों में सेवाओं के उन्नयन की दिशा में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका अत्यन्त सीमित रही है। लागत प्रभावी सहायक सामग्री और उपकरण तैयार करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इन राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकलापों का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बहुविध बनाया/ संशोधित किया जाए और उन्हें रोज़गार के उपलब्ध अवसरों के प्रति अधिक संगत बनाया जाए तथा उनकी उपयोगिता, कवरेज और लागत प्रभाविता की दृष्टि से उनकी समीक्षा की जाए।

(ii) हाल के वर्षों में कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) ने अपने कार्यचालन में उल्लेखनीय सुधार किया है और निगम 1997–99 के दौरान अपने कारोबार में वृद्धि करने और नकद हानि में बड़ी कमी लाने में सफल हो सका है। तथापि एलिम्को के उत्पाद केवल यही नहीं कि मंहगे हैं बल्कि प्रयोक्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता कम देखी गई है। इसलिए विकलांगों की निर्धन श्रेणियों की मांगों की पूर्ति करने और विभिन्न सहायक सामग्री तथा उपकरणों की उत्पादन लागत को इष्टतम बनाने के प्रयोजन से एलिम्को के कार्यचालन का मूल्यांकन किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

(iii) विकलांगों के रोज़गार/स्थानन सम्बन्धी मांगों की पूर्ति की दृष्टि से सामान्य और विशेष रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रिक्तियां अधिसूचित करने की मौजूदा व्यवस्था असफल सिद्ध हुई है। इसलिए विशेष रोज़गार कार्यालयों की योजना, चाहे उसका नियंत्रण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हाथों में रहे अथवा उसे श्रम मंत्रालय को सौंपा जाए, की समीक्षा की जानी और उसमें संशोधन किए जाने आवश्यक हैं ताकि उसे लक्ष्यों की पूर्ति की दृष्टि से प्रभावी बनाया जा सके।

(iv) लागत प्रभावी सहायक सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यद्यपि एस एण्ड टी के लागू किए जाने से विकलांगता के कारण प्रस्तुत की गई सीमाओं पर काबू पाने और विकलांगता की वैयक्तिक क्षमताओं में सुधार लाने में मदद करने में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त हुआ, फिर भी सहायक सामग्री और उपकरणों के विकास के लिए जैव–इंजीनियरी इलेक्ट्रोनिक्स जैसे नए उभरते हुए क्षेत्रों की खोज किए जाने की आवश्यकता है।

(v) हालांकि पीडी अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की दिशा में राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र भी अपने तंत्रों को सक्रिय बनाने में प्रवृत्त हैं, फिर भी विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्न बहु–क्षेत्रकीय प्रयास शुरू किए गए हैं।

(vi) जेजे अधिनियम, 1986 के अधीन अनिवार्य संस्थान कभी भी समुचित रूप से नहीं रखे जाते और इसका कारण यह नहीं है कि उनकी देखरेख के लिए राज्य उपयुक्त बजट का प्रावधान नहीं करते बल्कि इसके पीछे कारण यह भी है कि इन विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों में तैनाती के लिए पर्याप्त व्यावसायिक स्टाफ सुलभ नहीं हो पाता। अनेक राज्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का लाभ इस कारण नहीं उठा पाते हैं कि वे 50 प्रतिशत का अपना बराबर के हिस्से का योगदान देने में असमर्थ हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन की सहभागितापूर्ण पद्धति भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता उपलब्ध है, उसका लाभ उठाया जा सके।

(vii) राज्य सरकारों ने मादक द्रव्य सेवन निषेध और निवारण की योजना के स्वामित्व की शुरूआत नहीं की है हालांकि मादक द्रव्य सेवन के प्रसार और एचआईवी/एड्स के साथ इसके घातक मिश्रण का राज्यों पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इस उदासीनता के लिए योजना के केन्द्रीकृत कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए, इस योजना को विकेन्द्रीकृत किए जाने की आवश्यकता है तथा गैर–सरकारी संगठनों के चयन, निधियों के भुगतान, निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन के आयोजन जैसे क्रियाकलापों का जिला स्तर पर संस्थायन किया जाना चाहिए।

(viii) वृद्धजन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को कार्यरूप देने और न्यायसंगत कवरेज, लागत प्रभावी कार्यचालन, वृद्धजनों के कार्यक्रमों के बेहतर अभिसरण की दृष्टि से उपलब्ध संस्थानों, सरकारी/अर्द्ध–सरकारी तंत्रों, पंचायती राज संस्थानों तथा स्थानीय निकायों का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। सम्प्रति, वृद्धजनों के कल्याण और उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत थोड़े से गैर–सरकारी संगठन काम कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप गांवों के भीतरी/ पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजन उपेक्षित रह जाते हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर मानवीय और वित्तीय संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है।

(ix) कुछ राज्यों में समाज कल्याण विभाग एकाधिक विभागों द्वारा शासित किए जाते हैं। अनेक राज्यों का प्रशासनिक तंत्र अभी भी उसी पुराने 'कल्याणोन्मुखी' दृष्टिकोण को अपनाए हुए है और वे यहां तक कि उपयुक्त स्कीमें तैयार करने के लिए भी सुसज्जित नहीं हैं। प्रशिक्षित व्यावसायिकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा ग्रासरूट स्तर के कामगारों और संस्थानों के साथ तालमेल किए जाने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही, राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से फीड़बैक की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का कोई भी सार्थक मूल्यांकन आज तक संभव नहीं हो सका है। महिलाओं बच्चों और अन्य सामाजिक सुरक्षा समूहों से सम्बन्धित बढ़ती हुई तथा चुनौतीपूर्ण समस्याओं से निबटने के प्रयोजन से सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को प्रशिक्षित/व्यावसायिक जनशक्ति की भर्ती करने की दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिएं और उन्हें ऐसा केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि उपयोगी और मांग–आधारित दोनों प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने के काम की बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन की भी देखभाल की जाए।

5.23 राज्य योजना प्रभाग

221. राज्य योजना प्रभाग पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने के काम में योजना आयोग की सहायता करने की जिम्मेदारी है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं को तैयार करने से सम्बन्धित सभी कार्रवाइयों का समन्वय करता है, जैसे मार्गनिर्देश जारी करना, योजना के आकार का फैसला करने के लिए आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/ राज्यपालों/ उप–राज्यपालों के बीच बैठकें आयोजित करना और साथ ही राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों

के क्षेत्रकीय परिव्ययों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्य समूहों की बैठकें आयोजित करना। यह प्रभाग विशिष्ट स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मंजूरी से सम्बन्धित मामले और विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं सम्बन्धी प्रस्तावों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संशोधित परिव्ययों के प्रस्तावों के बारे में भी कार्रवाई करता है। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद और प्राकृतिक आपदाओं सम्बन्धी मामलों पर भी इसी प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। यह प्रभाग राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्ययों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी का भण्डार है।

222 वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रभाग ने उपर्युक्त कार्य करने के अलावा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों, व्ययों, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं आदि के बारे में अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों तथा संसद प्रश्नों पर भी कार्रवाई की। प्रभाग ने प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में अन्तःमंत्रालयी समूह और एनसीआर/एनएफसीआर समिति की बैठकों से सम्बन्धित काम किया और सरकारिया आयोग की सिफारिशों तथा अन्तर्राज्यीय परिषदों से सम्बन्धित कार्य का समन्वय भी किया।

वार्षिक योजना 2000–01

223. 2000–2001 की वार्षिक योजना के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के आकार को अन्तिम रूप देने के लिए मई–नवम्बर 2000 में वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार–विमर्श आयोजित किए गए। इन चर्चाओं के दौरान प्रस्तावित वार्षिक योजना की मुख्य विशेषताओं और राज्य के प्रमुख मुद्दों के बारे में राज्य योजना प्रभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां तैयार की गईं और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ आयोग के उपाध्यक्ष की बैठकों के दौरान प्रस्तुत की गईं। इन उच्च स्तरीय बैठकों के बाद, 2000–2001 की वार्षिक योजना के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) के लिए 87295.61 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जबकि उसकी तुलना में वर्ष 1999–2000 के वर्ष के लिए 88741.96 करोड़ रुपए (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

224. वर्ष 2000–2001 के बजट अनुमानों में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के वास्ते केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 36824.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 16,540 करोड़ रुपए सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए तथा शेष राशि अन्य प्राथमिकताप्राप्त श्रेणियों के लिए थी। इसमें 6000 करोड़ रुपए विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में थे। वर्ष 2000–2001 के योजना परिव्यय में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) और गन्दी बस्तियों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए कमशः 5000 करोड़ रुपए और 365.81 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2000–2001 के दौरान उत्तर–पूर्वी परिषद के लिए 450.00 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है।

225. योजना के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने की दृष्टि से चुनिंदा स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए परिव्यय अलग से निर्धारित करने की पद्धति को जारी रखा गया। राज्यों/ संघ शासित

क्षेत्रों को यह विकल्प दिया गया है कि वे पांच सेवाओं के लिए प्रदान की गई राशि को, पीएमजीवाई के प्रत्येक घटक (ग्रामीण सड़कों के लिए आबंटित राशि को छोड़कर) के लिए 15 प्रतिशत के आबंटन के अध्यधीन अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आबंटित कर सकते हैं। राज्यों को अर्थ–व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण चुनिंदा क्षेत्रकों की विभिन्न स्कीमों, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं, पीएमजीवाई के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग कार्यक्रम और कुछ सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित किए गए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

226. नौवीं योजना में संवृद्धि की दर को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे कि रोज़गार के अवसरों में अधिक तेजी से वृद्धि हो, गरीबी का उन्मूलन हो और विकास के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते घरेलू क्षमता में वृद्धि हो। लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में शुरू की गई पीएमजीवाई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, गांवों में आश्रयहीन लोगों के लिए आवास, पोषाहार, गांवों को आपस में जोड़ना शामिल है। कृषि और ग्रामीण विकास तथा इसके अलावा भौतिक बुनियादी ढांचे और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार की ओर विशेष ध्यान देना जारी है। आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नौवीं योजना अवधि में राज्यों को चालू वर्ष सहित नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान योजनाएं तैयार करने में अधिक स्वायत्तता दी गई है।

राज्य योजना प्रभाग द्वारा 2000–01 में की गई नई पहलें

कोर योजना:

227. बेहतर आयोजना और प्राथमिकता निर्धारण के प्रयोजन से राज्य योजनाओं में यथार्थवाद की प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय पहल की गई है। 2000–01 के लिए सभी राज्य परियोजनाएं कोर योजना अवधारणा पर आधारित हैं। राज्यों के साथ परामर्श करके, तथा (क) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य योजना के लिए समग्र वास्तविक संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति, और (ख) योजना के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों के एक यथार्थ और सन्तुलित आकलन को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। बड़े राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस पहल की सराहना की है।

राज्य सलाहकारों द्वारा दौरे

228. राज्य योजना सलाहकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि चर्चा के लिए राज्यों के बहुत सारे अधिकारियों को नई दिल्ली में आमंत्रित करने की बजाय वे सम्बन्धित राज्यों का दौरा करें और राज्यों की

राजधानियों में सरकारी स्तर की चर्चाएं करें। वार्षिक योजना 2001–02 के लिए विषयवस्तु कार्यकारी समूहों की बैठकें भी पहली बार राज्यों की राजधानियों में आयोजित की गई हैं। इन दौरों से योजना आयोग को भी राज्यों को पेश आ रही समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली है।

योजना आयोग : परियोजना निर्माण सुविधा

229. ऐसे अल्पविकसित राज्यों की समस्याओं के मामले में जो कि संस्थानगत और विदेशी वित्तपोषण आकृष्ट करने के निमित्त अपेक्षित स्तर की परियोजनाएं तैयार करने में असमर्थ रहते हैं, योजना आयोग ने एक परियोजना निर्माण सुविधा स्थापित कर दी है जिसके अधीन व्यावसायिक परामर्शदाताओं से ऐसी परियोजना रिपोर्टें तैयार करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें राज्य द्वारा विदेशी वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य विकास रिपोर्टें

230. विकास रूपरेखा के बारे में एक स्तरीय सन्दर्भ दस्तावेज मुहैया कराने और बड़े राज्यों में उन्नति की गति में तेजी लाने के निमित्त कार्यनीतियां तैयार करने के प्रयोजन से योजना आयोग ने तेरह राज्यों के लिए राज्य विकास रिपोर्टें (राज्यों के साथ समन्वय रखते हुए) तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। ये तेरह राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। विख्यात विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा तैयार की जाने वाली ये रिपोर्टें विश्वसनीय, निष्पक्ष दस्तावेज होंगी जिनके चरणबद्ध रूप में अगले दो वर्षों में तैयार हो जाने की आशा है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए अक्षय केन्द्रीय पूल

231. प्रधान मंत्री द्वारा गुवाहाटी में अक्तूबर 1996 में की गई घोषणा के अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए आबंटित करें। कुछ विभागों को इस शर्त से छूट दी गई है। इस लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह जाएगी, उसे संसाधनों के अक्षय केन्द्रीय पूल से पूरा किया जाएगा। केन्द्रीय पूल की निधियां उत्तर–पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लाभार्थ विशिष्ट व्यवहार्य कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के अनुसमर्थन पर पुनः लगा दी जाती हैं। केन्द्रीय पूल वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान प्रचालन में आ गया।

232. अभी तक (5 जनवरी 2001) उत्तर–पूर्व और सिक्किम में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस पूल में से 764.15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष (5 जनवरी 2001 तक) के दौरान केन्द्रीय पूल में से इस सम्बन्ध में 228.28 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई।

5.24 परिवहन प्रभाग

233. परिवहन प्रभाग मुख्यतः देश में यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्रक के आयोजन और विकास की प्रक्रिया में शामिल होता है। इसका सम्बंध परिवहन के नेटवर्क में विभिन्न साधनों के उपयुक्त अन्तर माडल सम्मिश्र की व्यवस्था करने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की समूची बजटीय आयोजना से भी है। जो महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हाथ में लिए गए, उनमें से कुछ ये हैं:

(i) यात्री और माल यातायात के लिए परिवहन सेवाओं की मांग का जायजा लेना;

(ii) विभिन्न साधनों की मौजूदा क्षमता का आकलन और योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना;

(iii) सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए बुनियादी ढांचे और परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका निर्धारित करना;

(iv) देश में परिवहन क्षेत्रक का समूचा आयोजन;

(v) परिवहन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देना;

(vi) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों का जायजा लेना;

(vii) परिवहन से सम्बन्धित मुख्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा; और

(viii) परिवहन क्षेत्रक के लिए राज्य और केन्द्रीय योजना के लिए कार्य दल का विचार–विमर्श।

234. वर्ष के दौरान परिवहन प्रभाग द्वारा हाथों में लिए गए मुख्य कार्यकलाप

(i) संशोधित एकीकृत परिवहन नीति पत्र के भाग के रूप में रेलवे, सड़क और नागरिक उड्डयन के उपक्षेत्रकों से सम्बन्धित मुद्दों पर बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित कार्य बल (टास्क फोर्स) की बैठक में विचार–विमर्श किया गया;

(ii) परिवहन क्षेत्रक की नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया;

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर परिषद के सम्बन्ध में 2000–2001 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर चर्चा की गई और गहराई से जांच करने के बाद सिफारिशें की गईं;

(iv) प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए धनराशि नियत की गई;

(v) 50.00 करोड़ रु. से कम लागत वाली परियोजनाओं के बारे में रेलवे के निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया;

(vi) 15.00 करोड़ रु. और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में रेल, सड़क परिवहन और राजपथ, नौवहन और नागरिक उड्डयन के केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर, व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सरकारी निवेश बोर्ड (पीआईबी) और मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) द्वारा विचार किए जाने से पहले, परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्धन प्रभाग के साथ मिलकर उनका मूल्यांकन किया गया;

(vii) निर्माण उद्योग के गवर्नरों के बोर्ड, विकास परिषद और भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण की बैठकों में भाग लिया;

(viii) सड़क दुर्घटना, चोट निवारण और नियंत्रण सम्बन्धी कार्य दल का गठन किया गया और कार्य दल/उप दल की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया;

(ix) एशियाई परिवहन विकास संस्थान के साथ मिलकर 16–17 नवम्बर, 2000 को ''पाइपलाइन्स'' पर संगोष्ठी प्रायोजित की और ''पाइपलाइन्स एण्ड आप्टीमल इन्टर–मोडल ट्रान्स्पोर्ट मिक्स'' पर एक शोध–पत्र प्रस्तुत किया।

(x) 6–9 दिसम्बर, 2000 को एशियाई परिवहन विकास संस्थान के साथ मिलकर 'परिवहन मूल्य–निर्धारण और संधारणीय विकास के संवर्धन के लिए प्रभार (ट्रान्स्पोर्ट प्राइजिंग एण्ड चार्जेज फार प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डवेलपमेंट)' के बारे में एक संगोष्ठी प्रायोजित की।

(xi) परिवहन के विभिन्न उप–क्षेत्रकों के कार्य–निष्पादन और नीतिगत ढांचे, निवेश सम्बन्धी कार्य–नीति तैयार करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने, निजी क्षेत्रक द्वारा भाग लिए जाने, परिवहन सम्बन्धी मूल्य–निर्धारण आदि के बारे में बैठकें आयोजित की गईं और लेख प्रस्तुत किए गए।

(xii) वार्षिक योजना 2001–2002 के लिए 50 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों का आकलन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ इन उपक्रमों द्वारा चलाई गई यात्री परिवहन सेवाओं के भौतिक और वित्तीय प्राचल शामिल थे। राज्यों के संसाधनों का आकलन करते समय, वित्तीय और भौतिक कार्य–निष्पादन के आंकड़ों, आदि (डाटा) को भी हिसाब में लिया गया। भाग लेने वाले उपक्रमों को सलाह दी गई कि वे अपने घाटों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय करें, मांग प्रबन्धन के तरीकों में सुधार करें

और अन्य उपयुक्त उपाय करें। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के यथा–आकलित निवल लाभ/घाटे की जानकारी संलग्नक 5.6 में और भौतिक कार्य–निष्पादन की जानकारी संलग्नक 5.7 में दी गई हैं।

5.25 पर्यटन प्रकोष्ठ

235 पर्यावरण और वन प्रभाग के पर्यटन कक्ष का सम्बन्ध पर्यटन क्षेत्रक के लिए योजना बनाने से है। यह कक्ष भौतिक और वित्तीय आयोजन की प्रक्रिया में शामिल होने के अलावा, पर्यटन विभाग की स्कीमों और राज्यों की योजनाओं में पर्यटन क्षेत्रक की स्कीमों के क्रियान्वयन को मानीटर करता है। पर्यटन के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाती है और सम्बन्धित विभागों/राज्यों को उपयुक्त नीतिगत उपायों की सिफारिशें की जाती हैं।

236. पर्यटन कक्ष द्वारा इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता रहा:

- रोजगार–सृजन और गरीबी–उपशमन के एक साधन के रूप में पर्यटन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
- उपयुक्त तकनीकी और व्यावसायिक सहायता से तैयार की गई परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के आधार पर, जिनमें पर्यावरणिक प्रभाव अध्ययन, वहन क्षमता अध्ययन, स्थानिक और भूमि–उपयोग के आयोजन के साधन, वास्तुशास्त्रीय नियंत्रण के साधन और स्थानीय लोगों की भागीदारिता के लिए एवं स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए परियोजना के प्रति स्थानीय लोगों की प्रतिबद्धता के लिए जाग्रति उत्पन्न करने के कार्यक्रम शामिल हैं, पर्यटन के विकास पर बल देने के जरिए पर्यटन सम्बन्धी नीति में संधारणीयता के प्ररिप्रेक्ष्य को शामिल करना।
- ग्रामीण पर्यटन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।

237. निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप हाथ में लिए गए:

- पर्यटन क्षेत्रक के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई।
- पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में 2000–2001 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 2000–2001 की वार्षिक योजनाओं के प्रस्तावों पर विचार किया गया और योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए उपयुक्त सिफारिशें की गईं।

- पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया गया और टिप्पणियां दी गईं।
- पेसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पीएटीए) द्वारा "विशेष रूप से रोजगार और सामाजिक लाभों के दृष्टिकोण से पर्यटन के महत्त्व" पर एक प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया।
- "केरल टूरिज्म द्वारा अपनाई गई कार्यनीति" के बारे में सचिव (पर्यटन), केरल सरकार द्वारा एक लेख के प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) तैयार करने के लिए पयर्टन सम्बन्धी कार्य दल और संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति की पहली बैठक की गई है।

5.26 ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग

238. ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक की स्कीमों/कार्यक्रमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की देखरेख करता है। ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक में लघु उद्योग और ग्राम उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत लघु उद्योग और खादी एवं ग्राम उद्योग और नारियल जटा उद्योग; कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत हथकरघा, विद्युत करघा, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन और ऊन विकास; कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे अनाज प्रसंस्करण, उपभोक्ता खाद्य उद्योग, दूध और दूध उत्पाद, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मांस और कुक्कुट उत्पाद प्रसंस्करण और मछली प्रसंस्करण शामिल हैं।

239. ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग ने निम्नलिखित प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों की जांच की है और उनका मूल्यांकन किया है:

- लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण कोष।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित नीति का प्रारूप।
- कपड़ा उद्योगों से सम्बन्धित नई नीति।

240. लघु उद्यमों के विकास सम्बन्धी अध्ययन दल ने, जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य, डा. एस.

पी. गुप्ता हैं, अब तक छः बैठकें की हैं और एक अन्तरिम रिपोर्ट तैयार की है। यह अन्तरिम रिपोर्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष को 6 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत की गई थी और एक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें अध्ययन दल के अध्यक्ष, सचिव (एस.एस.आई.ए. एण्ड आर.आई.), और अध्ययन दल के अन्य सदस्य, अर्थात अध्यक्ष (एफ.ए.एस.एस.आई.आई), अध्यक्ष (आई.सी.एस.आई), आदि उपस्थित थे।

241. अध्ययन दल की सिफरिशों पर मंत्रियों के एक समूह द्वारा विचार किया गया था, जो जुलाई, 2000 में गृह मंत्री, श्री एल.के. आड़वाणी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। मंत्रियों के समूह में अन्य सदस्य इस प्रकार थेः उपाध्यक्ष (योजना आयोग), कपड़ा और उद्योग और वाणिज्य मंत्री और लघु उद्योग और ग्रामोद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

242. मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, प्रधान मंत्री द्वारा 30 सितम्बर, 2000 को बहुत सी नीतिगत घोषणाएं की गई थीं, जिनके अनुसरण में लघु उद्योग और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त घोषणाएं की गई थीं। इस अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे अध्ययन दल के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसके जल्दी ही जारी कर दिए जाने की संभावना है।

243. खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रक को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त सुझाव देने के वास्ते, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री के.सी. पन्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। योजना आयोग के सदस्य, डा. एस.पी. गुप्ता भी इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

244. श्री बी.डी. जेथरा, सलाहकार (आईएण्डएमएण्डवीएसआई) राज्य वित्तीय निगमों के पुनर्गठन सम्बन्धी समिति में, जो श्री जी.पी. गुप्ता, सीएमडी (आईडीबीआई), की अध्यक्षता में गठित की गई है, योजना आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सलाहकार (आईएण्डएमएण्डवीएसआई) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के हथकरघा मंत्रियों के सम्मेलन में भी भाग लिया था, जो 21 और 22 सिंतम्बर, 2000 को गुवाहाटी में हुआ था।

245. श्री एस.जी. राऊत, उप–सलाहकार (वीएसआर) ने मांस और कुक्कुट परियोजनाओं का मूल्यांकन और मानीटरिंग करने वाली समिति में, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (कृषि मंत्रालय) द्वारा गठित की गई है, एक विशेषज्ञ के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया और उसकी अध्यक्षता की।

5.27 जल संसाधन प्रभाग

246. नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन का सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास सम्बन्धी अध्याय तैयार किया गया।

247. विभिन्न राज्यों और जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्याय को अन्तिम रूप दिया गया।

248. विभिन्न राज्यों की वर्ष 2001–2002 की वार्षिक योजना को तैयार करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बारे में जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक योजना प्रस्तावों के बारे में ऐसा ही कार्य हाथ में लिया गया है।

249. पगलादिया बांध परियोजना, असम के सम्बन्ध में "ब्रह्मपुत्र, बारक बेसिन और गंगा बेसिन राज्यों में क्रान्तिक भू–कटाव रोधी कार्यों" से सम्बन्धित ई.एफ.सी. के ज्ञापन और पीआईबी की, जो जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त हुआ था, गहराई से जांच की गई और मंत्रालय को विस्तृत टिप्पणियां भेजी गईं। जल संसाधन प्रभाग के अधिकारियों ने सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहुत से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग की समीक्षा बैठकों में भाग लिया और योजना आयोग के विचार प्रस्तुत किए। अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भेजे गए बहुत से हवालों के बारे में भी उपयुक्त कार्रवाई की गई।

250. सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण और बहुददेशीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा इस क्षेत्रक की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर निवेश सम्बन्धी मंजूरियां जारी की गईं, जिनका ब्यौरा संलग्नक 5.8 में दिया गया है।

251. चुनी हुई सिंचाई और बहुददेशीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 में राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। वार्षिक योजना, 2000–2001 के लिए 1712 करोड़ रु. की व्यवस्था रखी गई है।

252. राज्य सरकारों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई, भू–संरक्षा, वाटरशेड प्रबन्ध, ग्रामीण सड़कें और पुल, आदि शामिल हैं, ऋण देने के वास्ते 1995–96 में ग्रामीण बुनियादी

ढांचा विकास कोष (आर.आई.डी.एफ) स्थापित किया गया था। अब तक आरआईडीएफ–I से आरआईडीएफ-VI (1995–96 से 2000–2001 तक) के अन्तर्गत राज्यों को ऋण देने के लिए 18000 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है, ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को जिनमें सिंचाई और बाढ़–नियंत्रण की परियोजनाएं भी शामिल हैं, तेजी से पूरा किया जा सके। राज्य सरकारें विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए इन धनराशियों का उपयोग कर रही हैं।

253. देश के समूचे जल संसाधनों पर सम्पूर्णतावादी दृष्टि से विचार करने और जल की उपलब्धता और उसके उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, जिसमें जल का अन्तर्बेसिन अन्तरण भी शामिल है, भारत सरकार ने एकीकृत जल संसाधन विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सितम्बर, 1996 में एक उच्च अधिकारप्राप्त आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

254. विकेन्द्रीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा निवेश के लिए स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया गया है। 30.11.2000 को राज्य सरकारों को ऐसी सभी सिंचाई और बाढ़–नियंत्रण स्कीमों के लिए, जिनमें कोई अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल न हो, निवेश की मंजूरी देने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी।

5.28 जल आपूर्ति और सफाई

255. नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के लिए जल आपूर्ति और सफाई सम्बन्धी अध्याय तैयार किया गया। जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वार्षिक योजना, 2000–2001 के लिए जल आपूर्ति और सफाई सम्बन्धी अध्याय को अन्तिम रूप दिया गया।

256. विभिन्न राज्यों की 2001–2002 की वार्षिक योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के 2001–2002 के योजना प्रस्तावों के सम्बन्ध में ऐसा ही कार्य शुरू किया जा चुका है।

257. भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर देश में पांच वर्षों की अवधि में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध के तरीकों में सुधार करने के लिए अगस्त, 1999 में शहरी विकास मंत्रालय में एक प्रौद्योगिकी सलाहकार दल गठित किया था। जल आपूर्ति यूनिट के अधिकारियों ने प्रौद्योगिकी

सलाहकार दल और निजी क्षेत्रक की भागीदारिता से सम्बन्धित कोर दल की बैठकों में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया और उनकी कार्यवाहियों में भाग लिया।

258. ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके दो संघटक हैं, अर्थात ग्रामीण सड़कें, जिसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2500 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नियत की गई है और पांच अन्य कार्यक्रम, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार, जिनके लिए वार्षिक योजना, 2000–2001 में 2500 करोड़ रुपए की एक अन्य राशि नियत की गई है। ग्रामीण जल आपूर्ति से सम्बन्धित दिशा–निर्देश जल आपूर्ति यूनिट के साथ सलाह कर के तय किए गए थे।

259. गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में जल की कमी की सम्भाव्य स्थिति पर चर्चा करने और विशेष रूप से सूखे के आगामी मौसम में स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 2001 में विचार–मंथन का एक सत्र आयोजित किया गया।

5.28 प्रशासन और अन्य सेवा प्रभाग

5.28.1 कैरियर प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाकलाप

260. वित्तीय वर्ष, 1999–2000 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान दो अधिकारियों को तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोलम्बो योजना प्रशिक्षण) के अन्तर्गत दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के लिए यू.के. भेजा गया। 16 अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में योजना आयोग भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अर्न्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व बैंक, आईएमएफ, एपीओ, आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया। इसके अलावा, इस अवधि में इस डेस्क द्वारा उपाध्यक्ष (अपने निजी सचिव सहित) के एक विदेशी दौरे और सदस्यों के नौ विदेशी दौरों को प्रोसेस किया गया।

261. आईईएस, आईएसएस, जीसीएस, सीएसएस, आदि के लगभग 65 अधिकारियों को आर्थिक कार्य विभाग, सांख्यिकी विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यावहारिक जनशक्ति और अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) और विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों/संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए देश के अन्दर विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। उपर्युक्त के अलावा सीएसएसएस और

सीएसएस के लगभग 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को नई दिल्ली में सचिवालयीय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान द्वारा संचालित अनिवार्य (मेंडेटरी) और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

262. इसके अलावा, योजना आयोग ने भी उक्त अवधि में भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (प्रोबेशनर), भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरी सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों, रक्षा सेवाओं (एलडीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (आईडीईएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वियतनाम के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए सुपरिचयन कार्यक्रम आयोजित किए।

5.28.2 हिन्दी अनुभाग

1. अनुवाद
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें
3. कौटिल्य पुरस्कार योजना
4. हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन
5. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण
6. शत–प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभाग
7. तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा
8. राजभाषा विभाग की 'राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' का अनुमोदन
9. विभिन्न कदम

263. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित) की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दस्तावेजों तथा अन्य पत्रादि का अनुवाद करने के अलावा, योजना आयोग के हिन्दी अनुभाग ने नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन, वार्षिक योजना, विभिन्न बैठकों के लिए कार्यसूची मदों, मंत्रिमंडल के लिए नोट आदि से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद भी किया।

264. विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा दिनांक 28.6.2000 तथा 7.12.2000 को हुई योजना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में तथा दिनांक 25.9.2000 को हुई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में की गई।

265. योजना आयोग की 'कौटिल्य पुरस्कार योजना' के अंतर्गत, तीन पुरस्कार, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जो क्रमशः 18000/– रु., 12000/– रु. तथा 8000/– रु. के थे, उन लेखकों को प्रदान किए गए जिन्होंने योजना आयोग से संबंधित तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखी थीं। ये पुरस्कार इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए थे। मूल्यांकन समिति ने वर्ष 1999 के दौरान लिखी/प्रकाशित तीन पुस्तकों को पुरस्कृत करने की

सिफारिश की थी जिनमें से एक पुस्तक प्रकाशित थी और शेष दो पाण्डुलिपियां थीं। प्रकाशित पुस्तक को माननीय योजना राज्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2000 को हुई योजना मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पुनर्गठित संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में पुरस्कार प्रदान किया गया था। शेष दोनों पाण्डुलिपियों के लिए पुरस्कार राशि तभी प्रदान की जाएगी जब 'कौटिल्य पुरस्कार विनियम, 1998' के नियम 6(9) के अनुसार योजना आयोग में उनकी प्रकाशित प्रतियां प्राप्त हो जाएंगी।

266. योजना आयोग ने 'योजना मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति' के नाम से एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन अपने संकल्प सं. ई–11015/1/98–हिन्दी, दिनांक 26 जून, 2000 द्वारा कर दिया था। इसकी प्रथम बैठक योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 25 सितम्बर, 2000 को हुई थी।

267. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने योजना मंत्रालय/योजना आयोग का दिनांक 7.7.2000 को निरीक्षण किया था। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उपसमिति ने दिनांक 19.9.2000 को योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक कार्यालय, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई का भी निरीक्षण किया था। दिनांक 7.7.2000 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के संयोजक, प्रो. रामदेव भण्डारी द्वारा योजना आयोग के प्रथम श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को वर्ष 1999–2000 के दौरान हिन्दी में डिक्टेशन देने की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए नकद पुरस्कार एवं एक प्रमाण–पत्र दिया गया।

268. शत–प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए योजना आयोग का एक और अनुभाग विनिर्दिष्ट किया गया जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे कुल अनुभागों/प्रभागों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई।

269. विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों से प्राप्त हुई हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की भी समय–समय पर समीक्षा की गई और पायी गई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उन्हें संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई।

270. योजना आयोग ने राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा वर्ष 2001–2002 से आरंभ की जाने वाली 'राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना' के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया।

271. उपर्युक्त के अलावा, योजना मंत्रालय/योजना आयोग में तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में राजभाषा नीति की विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करवाने के प्रयोजन से अनेक कदम उठाए गए। इनमें विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन करना, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को त्वरित करने हेतु मार्गदर्शन, संदेश आदि जारी करना शामिल है।

5.28.3 आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक

272. चूंकि योजना आयोग का अपने नित्य–प्रति के कार्यों में आम जनता के साथ सम्पर्क नहीं होता, इसलिए लोगों से शिकायत प्राप्त होने की संभावना बहुत सीमित होती है। लेकिन उसने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना कर रखी है। शिकायतों के समाधान की स्थिति की जानकारी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को मासिक और तिमाही आधार पर दी जाती है। इस अवधि में दिसम्बर, 2000 तक इस एकक को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन दोनों मामलों की जांच की गई और उन्हें निपटाया गया। इसके अलावा, इस एकक ने पिछले वर्ष अर्थात 1999–2000 से सम्बन्धित छः शिकायतों की फिर से जांच की और सम्बन्धित प्रशासनिक प्रभागों को उपचारात्मक कार्रवाई के सुझाव दिए गए।

273. योजना आयोग राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र की सहायता से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई परस्पर सक्रिय वेब–एनेबल्ड लोक शिकायत समाधान और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) अपनी वेबसाइट पर स्थापित करने के प्रबन्ध भी कर रहा है।

5.28.4 पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र

274. योजना आयोग का पुस्तकालय योजना आयोग तथा योजना भवन में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को सन्दर्भ सेवा और पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध करता रहा। पुस्तकालय, योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए अन्य पुस्तकालयों से भी अन्तर्पुस्तकालय ऋण के आधार पर पुस्तकें उधार लेता रहा। इसने भारत सरकार और सरकारी क्षेत्र के अधिकांश पुस्तकालयों को अन्तर्पुस्तकालय ऋण सेवाएं भी मुहैया की हैं। शोधकर्ताओं और अन्य विभागों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को सलाह सेवाएं और सन्दर्भ सेवाएं भी प्रदान की गई।

275. पुस्तकालय ने अपने लगभग सभी क्रियाकलापों, अर्थात परिचालन, प्रलेखन, अभिग्रहण, सन्दर्भ, आदि का कम्प्यूट्रीकरण कर दिया है। ये क्रियाकलाप पेंटियम पर लिबसीज साफ्टवेयर संस्करण 4 द्वारा किए जा रहे हैं, जो अप्रैल, 2000 में प्राप्त और स्थापित किया गया था। यह पुस्तकालय दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क का सदस्य बना हुआ है। इलेक्ट्रानिक मेल सेवा भी उपलब्ध है, जिससे ई. मेल से जुड़े पुस्तकालयों को सन्देश भेजने में सुविधा होती है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आयोग के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

276. पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकाल रहा है, जैसे (i) डाकप्लान : पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली चुनी हुई पत्रिकाओं से निकाले गए चुने हुए लेखों की सूची; (ii) रीसेंट लिस्ट ऑफ एडीशन्ज : पुस्तकालय में शामिल की गई नई पुस्तकों की सूची, अभिटिप्पणियों सहित; (iii) डिवीजनल डाकुमेंट्स लिस्ट : योजना आयोग द्वारा अथवा उसकी ओर से तैयार किए गए दस्तावेजों की सूची; और (iv) योजना आयोग के पुस्तकालय में प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं की वार्षिक सूची। इस वर्ष, पुस्तकालय ने योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के उन दस्तावेजों की एक अनुक्रमणिका भी प्रकाशित की है, जो पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस अनुक्रमणिका की जिल्दबंद प्रतियां योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों में परिचालित की गई हैं। यह अनुक्रमणिका लैन (एलएएन) में भी जोड़ी गई है, जिसे एनआईसी की वेबसाइट http://sangeeta/library पर देखा जा सकता है।

277. रिपोर्टाधीन अवधि में, पुस्तकालय के संग्रह में अंग्रेजी की 1488 और हिन्दी की 409 पुस्तकें/प्रकाशन जोड़े गए हैं। मार्च, 2001 के अंत तक हिंदी और अंग्रेजी की कुछ और पुस्तकें पुस्तकालय में शामिल किए जाने की संभवना है। पुस्तकालय में 267 पत्रिकाएं भी आईं। पुस्तकालय ने सन्दर्भ सम्बन्धी लगभग 18000 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी प्रदान की और लगभग 1200 व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। लगभग 12000 पाठक पुस्तकालय में परामर्श और सन्दर्भ कार्य के लिए आए। रिपोर्टाधीन अवधि में लगभग 35 पुस्तकालयों को अन्तर्पुस्तकालय ऋण सुविधा प्रदान की गई।

278. चूंकि पुस्तकालय में सीडी रोम एकक लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है, इसलिए उसके लिए अपेक्षित उपस्कर रिपोर्टाधीन अवधि में प्राप्त कर लिए गए हैं। एक 28 सीडी–टावर खरीदा गया है और पुस्तकालय में लगा दिया गया है जिसकी सहायता से अधिकारी अपने कम्प्यूटरों पर सीडी

देख सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक सीडी राइटर और स्कैनर भी खरीदा गया है। जैसे ही यह यूनिट काम करना शुरू कर देगा, तब पुस्तकालय योजना आयोग के प्रकाशनों और पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों का सीडी रोम तैयार कर सकेगा।

डाटा बेस

279. एक डाटाबेस : पुस्तकालय द्वारा एनआईसी सर्वर पर सीएमआईई का कैपेक्स (केपिटल एक्सपेंडिचर) लगाया गया है, जिसके जरिए अधिकारी अपने कम्प्यूटरों पर भारतीय औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

280. इस अवधि में पुस्तकालय के मुख्य कार्यकलाप ये रहे हैं:

(i) पुस्तकालय को पुनर्सज्जित किया गया है और उसका दो तलों/भूतल और पहला तल में पुनर्गठन किया गया है, जिन्हें आपस में एक सीडी द्वारा जोड़ा गया है।

(ii) पुस्तकालय में रखे दस्तावेजों के पुनर्रूपान्तरण (रिट्रोकन्वर्शन) का काम हाल में शुरू किया गया है और समूचे संग्रह का डाटा–बेस 2001 तक आन–लाइन उपलब्ध हो जाएगा।

(iii) पुस्तकालय में निर्गम/वापसी की प्रणाली का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि बार–कोड प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके।

शैक्षिक क्रियाकलाप

281. देश और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और सुप्रतिष्ठित संस्थाओं के शोधकर्ता अपनी शोध परियोजनाओं के सिलसिले में सन्दर्भ कार्य के लिए पुस्तकालय में आते रहे। उन सभी को पुस्तकालय द्वारा आवश्यक सन्दर्भ सेवा प्रदान की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) पुस्तकालय के कर्मचारियों ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और मीराबाई पोलीटेकनीक दिल्ली के बेचलर आफ लाइब्रेरी साइंस के कुछ विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ii) कर्मचारियों को भी पुस्तकालय कम्प्यूट्रीकरण की उन्नत तकनीक और सूचना पुनःप्राप्ति प्रक्रिया का इंटरनेट के जरिए प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन

282. पुस्तकालय के कर्मचारियों ने, जिनमें सीएलडीओ भी शामिल हैं राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया और पुस्तकालय विज्ञान तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र के संगत विषयों पर लेख प्रस्तुत किए।

5.28.5 राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, योजना भवन यूनिट

283. योजना आयोग की कम्प्यूट्रीकरण सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति योजना भवन में स्थित एनसीआई–वाईबीयू द्वारा की जा रही है। योजना आयोग के विभिन्न कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है:

बुनियादी ढांचे का विकास

हार्डवेयर

284. सभी पेंटियम प्रणालियों (उन्नत 486) को और उन्नत बनाकर 64 एमबी रैम में और अतिरिक्त 8 जीबी हार्ड डिस्क के रूप में बदल दिया गया है। पिछले छः महीनों के दौरान 32 नई पेंटियम प्रणालियां लगाई गई हैं, जिससे योजना आयोग में पेंटियम आधारित ग्राहक प्रणालियों की कुल संख्या बढ़ कर 500 हो गई है। योजना आयोग के पुस्तकालय में 28 सीडी ड्राइव्ज वाला एक सीडी सर्वर स्थापित किया गया है।

लैन (एलएएन)

285. 400 नोड वाले पहले से मौजूद लैन में 100 नोड वाला एक यूटीपी आधारित स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जोड़ा गया है, जिससे यह 500 नोड वाला एकीकृत लैन बन गया है। लैन को आरएफ लिंक, आईएसडीएन लाइनों और एफटीडीएमए वीएसएटी के द्वारा निकनेट और इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। सारी ग्राहक प्रणालियों का इस नेटवर्क के साथ अनुन्यास किया गया हैं

डाक सुविधा (मेल फेसिलिटी)

286. दो मेल सर्वर, अर्थात 'योजना.निक.इन' और 'योजना.दिल्ली.निक.इन' स्थापित किए गए हैं। दोनों प्रणालियों पर सभी प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता आईडी निर्मित किए गए हैं ताकि यदि एक प्रणाली खराब हो जाए तो दूसरी प्रणाली पर डाक (मेल) आगे भेजी जा सके और उससे संदेशों के खो जाने का खतरा कम हो जाए। दोनों प्रयोक्ता आईडी के लिए सभी ग्राहक प्रणालियों का अनुन्यास माइक्रोसाफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस में किया गया है। योजना आयोग के सभी सदस्यों के लिए संदेशों का प्रसारण करने के लिए प्रयोक्ता समूह निर्मित किए गए हैं, उदाहरणार्थ member@yojna.nic.in।

287. संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकरियों को निकनेट टेली कम्प्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एनआईसी मुख्यालय तक डायल–अप–कनेक्शन के साथ उनके निवास पर कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं।

इंटरनेट पर वेब–आधारित डाटाबेस गैर–सरकारी संगठन

288. गैर–सरकारी संगठन ऐसे साधन हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न मंत्रालय/विभाग गरीबी उपशमन, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों जैसे अपने कार्यक्रम क्रियान्वित करते रहे हैं। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्कीमों के कार्यान्वयन के रूप में, गैर–सरकारी संगठनों के कार्य–निष्पादन की मानीटरिंग करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के सम्बन्ध में एक डाटा–आधार विकसित किया गया है। अभी तक छः मंत्रालयों/विभागों से लगभग 12,000 गैर–सरकारी संगठनों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। इनके अलावा, युक्तिसंगत रूप से अच्छे कार्य–निष्पादन की रिपोर्ट वाले 110 गैर–सरकारी संगठनों के बारे में विश्व बैंक, यूनीसेफ (यूएनआईसीईएफ), डब्लू.डब्लू.एफ., आदि जैसे 25 से अधिक संगठनों से बुनियादी जानकारी इकट्ठी की गई है।

289. यह डाटाबेस योजना आयोग के अधिकारिक वेबसाइट http://planningcommission.nic.in (http://planing/plancomnew आन्तरिक प्रयोग के लिए) पर उपलब्ध है।

290. इस पैकेज से गैर–सरकारी संगठनों और उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए गए धन के बारे में जानकारी मुहैया की जाती है। किसी भी किस्म की तदर्थ पूछताछ की जा सकती है, जैसे:

1. गैर–सरकारी संगठन के नाम/जिले के प्रथम अक्षर द्वारा।

II. मंत्रालय/विभाग का चयन करके।

III. किसी राज्य का चयन करके और उसके बाद किसी एक अथवा सभी जिलों का चयन करके।

IV. किसी मंत्रालय, राज्य का चयन करके और उसके बाद किसी एक अथवा सभी जिलों का चयन करके।

V. एक से अधिक मंत्रालय से धन प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की सूची।

291. समुचित अच्छे कार्य–निष्पादन वाले 1100 गैर–सरकारी संगठनों की सूची में से भी पूछताछ की जा सकती है।

(i) दो आयामीय फार्मेट (राज्य और संगठन) में गैर–सरकारी संगठनों का विभाजन। तदनुरूप संख्या को क्लिक करने से गैर–सरकारी संगठनों की सूची, उनकी बुनियादी जानकारी सहित प्राप्त होगी।

(ii) उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची, जिनकी पहचान विभिन्न संगठनों द्वारा अच्छे गैर–सरकारी संगठनों के रूप में की गई है।

स्कीमों की डायरेक्टरी

292. एनजीओ डाटाबेस से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों की सूचना/उद्देश्यों, पात्रता की कसौटियों, सहायता के स्वरूप (पेटर्न), आवेदन की प्रक्रिया, आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है।

अन्य ऐसे ही डाटा–बेस के साथ संयोजन

293. एनजीओ डाटा–बेस में ब्रिटिश काउंसिल, प्रापर इन्फोटेक, चेरिटीज एण्ड फाउंडेशन (सीएफ) इंडिया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित और अनुरक्षित डाटा–आधारों (डाटाबेस) के साथ संयोजन की व्यवस्था है।

इंटरनेट पर वेब–आधारित डाटाबेस
केन्द्रीय क्षेत्रक योजना सूचना प्रणाली (सीएसपीआईएस)

294. सीएसपीआईएस, जिसे पहले न्यूनतम डाटा रिकार्ड (एमटीआर) के नाम से जाना जाता था, वेब समर्थित प्रणाली है, जिसका क्रियान्वयन 13300 केन्द्रीय और केन्द्र प्रयोजित स्कीमों की मानीटरिंग और उनके विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो सरकारी क्षेत्र के 300 उपक्रमों के माध्यम से और कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे क्रियान्वित की जाती हैं। इस डाटा बेस में वर्ष 1985–86 से 1999–2000 तक के वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना परिव्यय, व्यय, संशोधित अनुमानों और चालू होने की तारीखों के बारे में जानकारी शामिल है। वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी विचार–विमर्शों, पृष्ठभूमि सम्बन्धी टिप्पणियों को तैयार करने और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने में इस डाटा–बेस का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

295. इस प्रणाली से निम्नलिखित शीर्षों का उपयोग करके रिपोर्टों का सृजन किया जाता है:

(क) तदर्थ पूछताछ : वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्षेत्रक–वार, उप क्षेत्रक वार डाटा निकाला जा सकता है।

(ख) स्कीमों के लिए क्षेत्रक–वार खोज : स्कीम के शुरू होने की तारीख से क्षेत्रक/उप–क्षेत्रक के अन्तर्गत सभी स्कीमों की मूल लागत और संशोधित लागत की जानकारी प्रदान की जाती है।

(ग) रिपोर्ट (उपक्रम द्वारा) : क्षेत्रक/उप–क्षेत्रक के अन्तर्गत विभिन्न उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित स्कीमों के बारे में वर्ष–वार सूचना निकालने की सुविधा।

(घ) रिपोर्ट (यूनिट द्वारा) : विभाग/मंत्रालय–वार उपक्रमों के बारे में वर्ष–वार आंकड़े (डाटा)।

(ङ) रिपोर्ट (विभाग–वार) : मंत्रालय के विभागों द्वारा योजना परिव्ययों और व्यय का स्कीम वार और वर्ष–वार ब्यौरा।

राज्य योजना डाटाबेस

296. राज्य योजना (समन्यव) प्रभाग और योजना आयोग के अन्य प्रभागों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने में सुविधा प्रदान के लिए एक क्लाइंट/सर्वर आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। इस प्रणाली में उपाध्यक्ष के प्रारम्भिक कथन, राज्य योजना सम्बन्धी जानकारी (ब्रीफ), वित्तीय संसाधनों सम्बन्धी जानकारी (ब्रीफ) और बैठक का कार्यवृत्त जैसे माडयूल

शामिल हैं। भारत के नक्शे पर सम्बन्धित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह डाटा–बेस वित्तीय परिव्यय, वित्तीय दस्तावेज, बजट और राजस्व प्राप्तियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का डाटाबेस

297. योजना–आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में एक वेब समर्थित डाटाबेस तैयार और क्रियान्वित किया गया है। फिलहाल, इस डाटाबेस में सरकारी क्षेत्र के 620 उपक्रमों के बारे में सामान्य पूंजी (इक्विटी), ऋण, घाटे, मुनाफे, लाभांश और नियोजित पूंजी, आदि के सम्बन्ध में नौ वर्षों के आंकड़ें शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों, जैसे उपक्रम–वार, राज्य–वार, वर्ष–वार और मद–वार सारणीबद्ध किया जा सकता है। यह प्रणाली वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दरों और वार्षिक वृद्धि की सामान्य दरों के परिकलित आंकड़े मुहैया करती है। इसमें आंकड़ों को अद्यतन बनाने और नए डाटा को शामिल करने के लिए व्यवस्था की गई है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन का डाटा बेस

298. राजीव गांधी पेय जल मिशन द्वारा 1992–94 के दौरान एकत्र किए गए बस्ती–वार आंकड़ों की एक वेब–समर्थित प्रणाली शुरू की गई है। इस डाटाबेस से जल की गुणवत्ता और स्रोतों की संख्या के अनुसार जल की उपलब्धता के बारे में ग्राम–वार, खंड (ब्लाक)–वार, अथवा जिला–वार रिपोर्टें तैयार की जा सकती हैं। 8 राज्यों के सम्बन्ध में डाटा तत्काल उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों के बारे में डाटा को प्रणाली में चढ़ाने के लिए उसका रूपान्तरण करने का काम किया जा रहा है।

अन्य डाटाबेस
संसदीय प्रश्नों का डाटाबेस

299. संसदीय प्रश्नों और उनके उत्तरों का, जिनके बारे में योजना आयोग के संसद अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, एक वेब–समर्थित डाटाबेस चालू किया गया है। फिलहाल, इस डाटाबेस में वर्ष 1998–2000 के प्रश्न सत्र–वार और श्रेणी और उप–श्रेणी के अनुसार शामिल हैं। प्रश्नोत्तरों को 10 श्रेणियों और उनकी उप–श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें निकालने में सुविधा हो।

टेलीफोन डायरेक्टरी डाटाबेस

300. योजना आयोग के लिए एक 'प्रयोक्ता अनुकूल टेलीफोन डायरेक्टरी प्रणाली' डाटा की प्रविष्टि, अद्यतीकरण, रिपोर्ट सृजन और आन–लाइन पूछ–ताछ जैसे कमरा–वार, पदनाम–वार और नाम–वार, आदि

पूछताछ के लिए विकसित की गई है। 500 नोड वाले लैन के जरिए इस तक पहुंचा जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है। समेकित टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार करने के लिए जिल्दबंद प्रति तैयार की जा सकती है।

शिकायत मानीटरिंग प्रणाली

301. 'लैन आधारित शिकायत मानीटरिंग प्रणाली' योजना आयोग के सभी कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर/साफ्टवेयर सम्बन्धी शिकायतें दर्ज कराने में सुविधा प्रदान करती है। इससे योजना भवन में तैनात हार्डवेयर इंजीनियरों को शिकायतों की ओर कारगर ढंग से ध्यान देने और शिकायतों को दूर करने में लगने वाले समय को कम करने में सहायता मिलती है। इस प्रणाली से दर्ज कराई गई शिकायतों, दोष की किस्म, और दोष को सुधारने में लगे समय के बारे में एमआईएस रिपोर्टें तैयार करने में सुविधा मिलती है।

योजना आयोग/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के दस्तावेजों का डाटाबेस

302. योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रकाशित/प्राप्त और योजना आयोग के पुस्तकालय द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों/रिपोर्टों के बारे में वेब–आधारित प्रणाली विकसित की गई है। वर्गीकरण कोड, शीर्षक, लेखक और संकेत–शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसी 1100 रिपोर्टों को निकाला जा सकता है।

छुट्टियों के रिकार्ड का डाटाबेस

303 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग के लिए आकस्मिक छुट्टियों, अर्जित छुट्टियों, चिकित्सा छुट्टियों और वैकल्पिक छुट्टियों का रिकार्ड रखने के लिए आंकड़ों को शामिल करने, उन्हें अद्यतन बनाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 'प्रयोक्ता–अनुकूल छुट्टी रिकार्ड प्रणाली' रूपांकित और विकसित की गई है।

बुनियादी न्यूनतम सेवाएं

304. योजना आयोग के बुनियादी न्यूनतम सेवा कक्ष (बीएमएस सैल) के लिए शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य और पेय जल, आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए आंकड़ों को शामिल करने, उन्हें अद्यतन बनाने और रिपोर्टें तैयार करने के लिए मेनु–ड्रिवन साफ्टवेयर विकसित किया गया है।

ग्रामीण सुविधाओं का डाटाबेस

305. एनआईसी हैदराबाद द्वारा वर्ष 1989–90 के सम्बन्ध में ग्रामीण सुविधाओं का जो डाटाबेस विकसित किया गया है, वह योजना भवन लैन पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें ग्राम स्तर पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेय जल, बिजली और संचार, आदि के बारे में बहुमूल्य डाटा शामिल है। किसी सुविधा के उपलब्ध होने अथवा न होने के बारे में ग्राम–वार, खंड–वार, तहसील अथवा जिला–वार रिपोर्टें तैयार करने के लिए इस डाटाबेस से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनुदानों की मांगें और व्यय मानीटरिंग प्रणाली

306. योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का कम्प्यूट्रीकरण किया जा चुका है। अनुदानों की विस्तृत मांगें, उद्देश्य–शीर्ष वार अनुदानों की मांगें और योजना बजट लिंक (द्विभाषी रूप में) रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। इस प्रणाली से मासिक/तिमाही आबंटन, व्यय और अनुमानों (प्रोजेक्शन) के बारे में विभिन्न अन्य रिपोर्टें तैयार करने में सुविधा होती है।

हवाई टिकट बुकिंग प्रणाली

307. प्रोटोकोल अनुभाग के लिए एक डाटाबेस रूपांकित और विकसित किया गया है। प्रोटोकोल अनुभाग इस साफ्टवेयर की सहायता से एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, आदि से टिकटें प्राप्त करने के लिए, बुकिंग के अनुरोधों को समेकित कर सकता है।

बुलेटिन बोर्ड अलर्ट सेवा

308. योजना के लिए एक बुलेटिन बोर्ड सेवा (बीबीएस) रूपांकित और कार्यान्वित की गई है, जो इंटरनेट, अर्थात लैन के सभी 500 नोडों पर उपलब्ध है। बीबीएस के अन्तर्गत निम्नलिखित विभिन्न माड्यूल उपलब्ध हैं:

(i) योजना आयोग के अन्दर सृजित जानकारी और इंटरनेट से उतारी गई जानकारी, विभिन्न प्रभागों की जरूरतों/हितों के लिए छानबीन करके, बीबीएस पर नियमित रूप से उपलब्ध की जाती है।

(ii) सामान्य सूचना माड्यूल योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य हितों की पूर्ति करता है। इसमें आगमन सामग्री (इंडक्शन मेटीरियल), सभी प्रकार के परिपत्र, फार्म, भर्ती नियम, वरिष्ठता सूची, पदस्थ व्यक्तियों की सूची, हकदारियों और सुविधाओं, आदि की सूचना शामिल की गई है।

(iii) आंतरिक टेलीफोन डायरेक्टरी को बुलेटिन बोर्ड सेवा के जरिए जोड़ा गया है।

(iv) योजना आयोग के पुस्तकालय की अनुक्रमणिका और पुस्तकालय में नई शामिल की गई पुस्तकों की सूची बुलेटिन बोर्ड सेवा में शामिल की गई है।

(v) कम्प्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया 'नेटवर्क तक पहुंचने के नुक्ते' माड्यूल में दी गई है।

(vi) बैठकों के माड्यूल में ये चार मदें शामिल हैं

(क) स्थान और सुविधाएं : इसमें समिति कक्षों का ब्यौरा, उनकी क्षमता, उपलब्ध सुविधाओं, यूनिट/सेक्शन के नाम और बुकिंग आदि के लिए इंटरकाम नं. आदि की जानकारी दी गई है।

(ख) बैठकों की अनुसूची : इस माड्यूल में विभिन्न तारीखों को समिति कक्षों की उपलब्धता की जानकारी दी गई है। इसमें पहले से की गई बुकिंग उनके प्रयोजन, तारीख, समय और प्रभाग के नाम की जानकारी भी दी जाती है।

(ग) बुकिंग के लिए अनुरोध : समिति कक्षों की बुकिंग के लिए एक फार्म आन–लाइन भरा जा सकता है और प्रोटोकोल अनुभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है; इस फार्म में बैठक के शीर्ष, बैठक के सभापति, तारीखों, सुविधाओं और अपेक्षित खान–पान, आदि की जानकारी मांगी जाती है।

(घ) बैठकों के लिए तलाश : इस माड्यूल में किसी तारीख विशेष को किसी समिति कक्ष की स्थिति/उपलब्ध/पहले से बुक की जानकारी दी जाती है।

योजना आयोग की वेब–साइट

309. योजना आयोग की वेब–साइट अर्थात http://planningcommission.nic.in का उद्घाटन माननीय उपाध्यक्ष द्वारा जनवरी 2000 में किया गया था। इसका संचालन एनआईसी द्वारा किया जाता है और इसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता रहता है और यह योजनाकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय साइट मानी जाती है। दिलचस्पी वाली अन्य वेबसाइटों के साथ सम्बन्ध होने के अलावा, इस वेब–साइट में निम्नखित जानकारी होती है:

- अध्यक्ष का रेखाचित्र और प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में सूचना
- उपाध्यक्ष के भाषण और उनका रेखाचित्र
- सदस्यों के रेखाचित्र
- सभी पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं और राज्य योजनाएं
- वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न मूल्यांकन अध्ययन
- कार्य पत्र, लेख और दिए गए भाषण
- गैर–सरकारी संगठनों का डाटाबेस

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वेबसाइट

310. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वेबसाइट अर्थात http://populationcommission.nic.in रूपांकित की गई है और जुलाई; 2000 में शुरू की गई है। आयोग द्वारा हाथ में लिए गए कार्य की प्रगति के अनुसार और आगामी घटनाओं की घोषणा करने के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता रहता है। आयोग के सदस्यों और आम जनता द्वारा सूचना के प्रसार और विचारों के आदान–प्रदान के लिए इस वेबसाइट का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

311. इस वेब साइट की जानकारी निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत शामिल की गई है: "पृष्ठभूमि", "ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य", "जनसंख्या नीति", "संरचना", "आगामी घटनाएं", "एनसीपी सम्मेलन", "टास्क फोर्स/कार्य दल", आदि।

इंटरनेट/इंटरनेट पर पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी

312. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित दस्तावेज जानकारी का अद्वितीय भंडार हैं और उनकी भारी मांग रहती है। पहली से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं सम्बन्धी जानकारी का, जो 85000 पृष्ठों में है, रूपान्तरण इलेक्ट्रानिक मीडिया में किया गया है और प्रसार के लिए इंटरनेट पर उतारा गया है जो योजना आयोग में एलएएन (लैन) के जरिए प्राप्त की जा सकती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना सहित इस सारी जानकारी को योजना आयोग की वेबसाइट पर चढ़ाया गया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

313. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, जो योजना आयोग का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाग हैं, वार्षिक रूप से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में तीन अथवा चार देशव्यापी मूल्यांकन अध्ययन उनकी प्रभावकारिता का जायजा लेने के लिए करता है। विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन के तरीकों के बारे में इन अध्ययनों से प्राप्त डाटा का विस्तृत रूप से विश्लेषण उन कार्यक्रमों की सफलता अथवा विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये अध्ययन नैदानिक स्वरूप के होते हैं, इसलिए ये योजना आयोग और कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए फीडबैक का महत्त्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जिससे वे कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में कार्यान्वयन के दौरान ही सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और भावी परियोजनाओं का बेहतर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। एनआईसी–वाईबीयू डाटा (आंकड़ों) को शामिल करने, उनके वैधीकरण और प्रत्येक अध्ययन की 70–80 रिपोर्टें तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

314. इस समय निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन किए जा रहे हैं:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

315. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली करने और देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में उचित मूल्य वाली दूकानों के देशव्यापी जाल (नेटवर्क) के जरिए नियंत्रित कीमतों पर उनकी सप्लाई करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मूल्यांकन अध्ययन में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मदों पर जोर दिया गया:

- गोदामों का निर्माण
- मोबाइल वैनों और ट्रकों की खरीद

316. अठारह राज्यों में निम्नलिखित अनुसूचियों का इस्तेमाल करने, नमूने के आधार पर, आंकड़े एकत्र किए गए थे:

- राज्य अनुसूचियां
- जिला अनुसूचियां
- ब्लाक अनुसूचियां
- ग्राम अनुसूचियां
- उचित मूल्य वाली दूकानों की अनुसूचियां
- घरों की अनुसूचियां

आंकड़ों के इन्दराज और वैधीकरण के बाद विश्लेषण के प्रयोजन से लगभग पचास रिपोर्टें तैयार की गई है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

317. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि संसद सदस्य अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सड़कें और पुल, सिंचाई, पेय जल और सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सामुदायिक निर्माण–कार्य, आदि जैसे क्षेत्रकों में 2 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश जिला कलेक्टरों से कर सकें। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए 25 राज्यों में अध्ययन किया गया है।

318. निम्नलिखत बारह किस्मों की अनुसूचियों के लिए एक्सेस 2000 एन्वायरमेंट में आनलाइन वैधीकरण सुविधा सहित प्रयोक्ता अनुकूल डाटा प्रविष्टि साफ्टवेयर विकसित किया गया है:

- राज्य अनुसूचियां
- संसद सदस्य अनुसूचियां
- जिला कलेक्टर अनुसूचियां
- ग्राम अनुसूचियां
- विकास पदाधिकारी अनुसूचियां
- 7 विभिन्न किस्मों के लाभभोगियों के लिए लाभभोगी अनुसूचियां

राष्ट्रीय जैव गैस विकास परियाजना

319. राष्ट्रीय जैव गैस विकास परियोजना जलाऊ लकड़ी और वाणिज्यिक ईंधन पर बढ़े हुए दबाव को कम करने और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को इष्टतम बनाने के लिए जैव सामग्री के संरक्षण और जैव गैस प्रणाली के जरिए ईंधन और उर्वरकों के रूप में उसका उपयोग करने के व्यापक उद्देश्य से शुरू की गई थी।

320. निम्नलिखित दस अनुसूचियों में डाटा एकत्र करने के लिए 22 राज्यों में मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया गया है:

- राज्य अनुसूचियां – नोडल विभागों के लिए
- जिला अनुसूचियां – नोडल विभागों के लिए
- ब्लाक अनुसूचियां
- ग्राम अनुसूचियां
- जैव गैस संयंत्रों के तीन किस्मों के प्रयोक्ताओं के लिए घरों की अनुसूचियां
- समुदाय – आधारित जैव गैस संयंत्रों के प्रभारियों के लिए अनुसूची
- जिला स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनुसूचियां
- क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय जैव गैस प्रशिक्षण और विकास केन्द्र

इस परियोजना के लिए ग्राहक सर्वर एन्वायरमेंट में साफ्टवेयर विकसित करने के लिए प्रणाली अध्ययन, विश्लेषण और डिजाइन का काम हाथ में लिया गया हैं, जिसमें केन्द्रीकृत एसक्यूएल सर्वर डाटा बेस बैकएंड में होगा और प्रंट एण्ड सार्टिवेर विजुयल बेसिन में विकसित किया जाएगाब

प्रशिक्षण

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

321. योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना भवन में कम्प्यूटर के आधारभूत तत्त्वों, विंडो आधारित अनुप्रयोगों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, ई–मेल, पावर प्वाइंट, हिंदी

साफ्टवेयर और इंटरनेट, आदि के बारे में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री वितरित की जाती है और व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हर वर्ष लगभग 200 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा

322. योजना आयोग के कर्मचारियों के 144 बच्चों के लिए 9 से 29 जून तक 6 समूहों में 3 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, ताकि उनमें कम्प्यूटरों के बारे में जानकारी पैदा की जा सके। बच्चों को कम्प्यूटर की बुनियादी बातों, वर्ड प्रोसेसिंग, ई–मेल, इंटरनेट पर दृष्टिपात (ब्राउसिंग), सीडी ब्राउसिंग, कार्यालय आटोमेशन साधनों, शैक्षणिक, इलेक्ट्रानिक विश्व कोष आदि, विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

लेखे

(क) वेतन बिल रजिस्टर – योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के, जिनकी संख्या लगभग 300 हैं, मासिक वेतन बिल तैयार किए जाते हैं। संवितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, नकदी और चेक विवरण और वेतन चिट्ठा भी तैयार किया जाता हैं। अपेक्षित सूचना बैंक को एक फ्लापी में भेजी जाती है, ताकि वेतन का संवितरण बचत खातों में कर दिया जाए। देय और वसूलियों की राशियों के विवरणों के अलावा निम्नलिखित अनुसूचियां भी तैयार की जाती हैं :

(i) लाइसेंस फीस
(ii) मकान निर्माण अग्रिम
(iii) मोटर कार अग्रिम
(iv) स्कूटर अग्रिम
(v) संवर्ग अधिकारियों के बारे में महालेखाकार–वार भविष्य निधि विवरण
(vi) सीजीईजीआईएस
(vii) पीएलआई

(ख) सामान्य भविष्य निधि – सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि विवरण तैयार किए जाते हैं। सेवा–निवृत होने वाले अथवा तबादले पर जाने वाले कर्मचारियों के बारे में भी ऐसे विवरण तैयार किए जाते हैं।

(ग) बोनस – सभी गैर–राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस के विवरण तैयार किए जाते हैं।

(घ) मंहगाई भत्ते की बकाया राशि – सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का विवरण वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

323. जीआईएस साफ्टवेयर (स्पैन्स, जिसनिक 3.0) का इस्तेमाल 1991 की जनगणना के आधार पर विषयगत नक्शे (राज्य वार/जिला वार) तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार, विषयगत नक्शे तैयार करने के लिए डाटा आधारों (राज्य और जिला–वार) का मान–चित्रण किया जाता है। तब प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण के लिए प्रीजेंटेशन साफ्टवेयर पावर प्वाइंट का इस्तेमाल स्लाइड शो तैयार करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए:

(i) समाज कल्याण प्रभाग : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की राज्य–वार जनसंख्या, उनका अनुपात और उनकी प्रतिशतता।

(ii) ग्रामीण विकास प्रभाग : विभिन्न विशेषताओं, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी, उनके अनुपात और प्रतिशतता के बारे में राज्य, जिला और क्षेत्र–वार नक्शे।

(iii) प्ररिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग : पुरुष और महिला, गरीबी का अनुपात (ग्रामीण और शहरी) और प्रतिशतता जैसी विभिन्न विशेषताओं पर आधारित।

योजना आयोग क्लब

324. योजना आयोग खेल और मनोरंजन क्लब योजना आयोग में विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। उप–सचिव (सामान्य प्रशासन), योजना आयोग इसके मानद अध्यक्ष है। सचिव, योजना आयोग इस क्लब के संरक्षक हैं।

325. योजना आयोग क्लब अपने सदस्यों में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। क्लब द्वारा भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न आन्तरिक खेलकूल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

योजना आयोग अधिकारी संघ

326. योजना आयोग अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने योजना आयोग के जी.एस. अधिकारियों की शिकायों के निवारण के लिए विभिन्न उच्च पदधारियों, प्राधिकारियों और आयोगों से सम्पर्क किया। माननीय प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव, व्यय सुधार आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, आदि को पत्र भेजे गए जिनका

उद्देश्य योजना आयोग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सेवा सम्बन्धी शर्तों, पदोन्नति के पहलुओं, कैरियर के आयोजन में सुधार करना और अन्य सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करना था।

संलग्नक 5.1

वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्ध प्रभाग द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार वितरण

क्र. सं.	क्षेत्रक	1999–2000				2000–2001*			
		परियोजना		लागत करोड़ रु.		परियोजना		लागत करोड़ रु.	
		सं.	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	कृषि तथा सम्बद्ध	36	20.22	3716.04	5.17	12	15.38	2864.99	1.74
2.	ऊर्जा	28	15.73	30316.75	42.22	11	14.10	5860.15	3.56
3.	परिवहन	41	23.03	6568.23	9.15	14	17.95	35022.93	21.28
4.	उद्योग	18	10.11	20673.76	28.79	8	10.26	2102.74	1.28
5.	विज्ञान व तकनीकी	3	1.69	86.75	0.12	6	7.69	438.36	0.27
6.	सामाजिक सेवाएं	34	19.10	8522.80	11.87	12	15.38	114101.86	69.33
7.	संचार +	7	3.93	1029.75	1.43	11	14.10	3183.45	1.93
8.	अन्य ++	11	6.18	897.08	1.25	4	5.13	1002.96	0.61
	जोड़	**178**	**100.00**	**71811.16**	**100.00**	**78**	**100.00**	**164577.44**	**100.00**

* 1.4.2000 से 31.10.2000 तक

\+ इसमें सूचना और प्रसारण, डाक, पर्यावरण और वन, शहरी विकास और ग्रामीण विकास शामिल हैं।

++ इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग (ऐसी एनईसी परियोजनाओं सहित जिन्हें अयन्त्र शामिल नहीं किया गया है), योजना आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, आर्थिक कार्य, पर्यटन और वाणिज्य शामिल हैं।

संलग्नक 5.2

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रकवार वितरण

(लागत करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्रक	1999–2000 (1.4.99 से 31.03.2000)					2000–2001 (1.4.2000 से 31.10.2000)				
		मूल्यांकित परियोजनाएं		पूंजीगत लागत			मूल्यांकित परियोजनाएं		पूंजीगत लागत		
		सं.	प्रतिशत	राशि	क्षेत्रक प्रतिशत	अंतरा. क्षे. प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	राशि	क्षेत्रक प्रतिशत	अंतरा क्षे. प्रतिशत
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र**	36	20.22	3716.04	5.17		12	15.38	2664.99	1.74	
	कुल	28	15.73	30316.75	42.22	100.00	11	14.10	5866.15	3.56	100.00
2.	पावर और कोयला	24		19428.94		64.09	9		1540.35		26.26
3.	पेट्रोलियम और प्रा. गैस	4		10887.81		35.91	2		4319.8		73.71
	परिवहन	41	23.03	6568.23	9.15	96.14	14	17.95	35022.93	21.26	100.00
4.	रेलवे	20		3116.06		47.44	2		3531.55		10.08
5.	भूतल परिवहन	19		3198.74		48.70	12		31491.38		89.92
6.	नागर विमानन	2		253.43		3.86	0		0		0.00
	उद्योग	18	10.11	20673.76	28.79	100.00	8	10.26	2102.74	1.28	100.00
7.	उद्योग और लघु उद्योग	5		6871.88		33.24	2		917.49		43.63
8.	इस्पात और खान	2		1222.8		5.91	1		467		22.21
9.	पेट्रो रसायन और उर्वरक	7		11619.58		56.20	1		449.46		21.27
10.	इलेक्ट्रानिक्स	2		258.05		1.25	2		40.75		1.94
11.	कपड़ा	2		701.45		3.39	2		228.04		10.84
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3	1.69	86.75	0.12	100.00	6	7.69	438.36	0.27	100.00
12.	जैव प्रौद्योगिकी	0		0		0.00	1		49.35		11.26
13.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1		21.00		24.21	2		72.12		16.45
14.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनु	0		0		0.00	2		50.55		11.53
15.	महासागर विकास	2		65.75		75.79	1		266.34		60.76
	सामाजिक सेवाएं	34	19.10	8522.8	11.87	100.00	12	15.38	14101.86	69.33	100.00
16.	मानव संसाधन विकास	14		4852.32		56.93	7		113486.16		99.46
17.	युवा कार्य और खेलकूद	1		83.01		0.97	0		0		0.00
18.	स्वास्थ्य	13		3470.82		40.72	3		479.89		0.42
19.	श्रम	0		0		0.00	2		135.81		0.12
20.	सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और	6		116.65		1.37	0		0		0.00
	ग्रामीण विकास पर्यावरण/शहरी	7	3.93	1029.75	1.43	100.00	11	14.10	3183.45	1.93	100.00
21.	सूचना और प्रसारण	0		0		0.00	0		0		0.00
22.	डाक	3		37.59		3.65	0		0		0.00
23.	पर्यावरण और वन	0		0		0.00	7		634.26		19.92
24.	शहरी विकास	2		34.21		3.32	2		176.18		5.53
25.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार	2		957.95		93.03	2		2373.01		74.54
	अन्य	11	6.18	897.08	1.25	100.00	4	5.13	1002.96	0.61	100.00
26.	गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग	7		746.88		83.26	0		0		0.00
27.	योजना आयोग	0		0		0.00	0		0		0.00
28.	सांख्यिकी	1		48.64		5.42	1		933.55		93.08
29.	आर्थिक कार्य	0		0		0.00	0		0		0.00
30.	पर्यटन	1		61.83		6.87	0		0		0.00
31.	वाणिज्य	2		39.93		4.45	3		69.41		6.92

सलग्नक 5.3

सहायता–अनुदान के लिए सलाहकार ग्रुप का गठन

1.	सदस्य–सचिव/सचिव, योजना प्रयोग	अध्यक्ष
2.	प्रधान सलाहकार (शिक्षा)	सदस्य
3.	प्रधान सलाहकार (प्रशासन)	सदस्य
4.	सलाहकार (परिप्रेक्ष्यगत योजना)	सदस्य
5.	सलाहकार (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन)	सदस्य
6.	वित्तीय सलाहकार (योजना आयोग)	सदस्य
7.	प्रधान सलाहकार/सलाहकार (विषय संबंधित प्रभाग)	सदस्य
8.	प्रधान सलाहकार/प्रभारी–सलाहकार सामाजिक आर्थिक अनुसंधान प्रभाग	संयोजक सदस्य

संलग्नक 5.4

योजना आयोग की सामाजिक आर्थिक अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन करवाने एवं सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करवाने के लिए 2000–2001 (*) के दौरान जारी किया गया सहायता–अनुदान प्राप्त करने वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	अध्ययन शीर्षक	संस्थान का नाम	राशि
1.	स्कूल अवस्था पर अध्यपकों की मांग और पूर्ति 1999–2000	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/04/99 एस.ईआर	0,66,720.00
2.	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की व्यवसायिक शिक्षा स्कीम का मूल्यांकन	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/37/99 एसईआर	1,88,632.00
3.	शैक्षिक विकास पैरामीटर और शैक्षिक विकास अनुक्रमणी तैयार करना	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/40/98 एसईआर	1,05,000.00
4.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन	लघु उद्यम एवं विकास संस्थान कोचीन 15012/24/99 एसआईआर	0,49,980.00
5.	समाजार्थिक विकास कार्यक्रम का प्रभाव हिमाचल प्रदेश का एक केस अध्ययन	एशिया प्रशांत समाजार्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 15012/17/99 एसईआर	0,60,000
6.	उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेक्टर का कार्य निष्पादन	जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद 15012/39/99 एसईआर	1,14,000.00
7.	राजस्थान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभाव	विकास अध्ययन संस्थान जयपुर 15012/15/99 एसईआर	2,89,000.00

8.	आगामी वर्ष पर राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का भारत 20–25 अध्ययन	नीति अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली 15012/58/99 एसईआर	3,15,600.00
9.	सामाजिक विकास मुद्दों पर अनुसंधान कार्य करना	सामाजिक विकास परिषद नई दिल्ली 15012/11/95 एसईआर	3,00,000.00
10.	उड़ीसा के नुआपाडा तथा गंजम जिले में सामाजिक निविष्टियों को मानीटर करना	सामाजिक अध्ययन और क्रियाकलाप केन्द्र, पुणे 15012/32/99 एसईआर	2,17,980.00
11.	सामाजिक सुरक्षा के रूप में अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली	जेबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद 15012/48/99 एसईआर	1,32,000.00
12.	आशाओं का बीज	लोकायन, दिल्ली 15012/51/99 एसईआर	3,42,00.00
13.	भारत सरकार में विभिन्न स्कीमों का ग्राम स्तरीय मूल्यांकन	सनटेक कनसल्टेंट प्रा.लि. नई दिल्ली 15012/51/99 एसईआर	0,76,800.00
14.	भारत में जनसंख्या पूर्व जनसंख्या परियोजना	समाजार्थिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता 15012/16/92 एसईआर	0,24,700.00
15.	9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न जिलों में सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वन का मूल्यांकन	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/26/99 एसईआर	1,74,375.00

16.	वित्तीय भंगुरता, आस्तियों का खोखलापन, पूंजीगत ढांचा तथा वास्तविक वृद्धि दर	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता 15012/1/2000 एसईआर	1,61,600
17.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों के लिए बुक बैंक स्कीम	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई 15012/35/94 एसईआर	0,24,570.00
18.	स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी का वितरण	तकनीकी आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 15012/42/99 एसईआर	4,00,000.00
19.	कर्नाटक में देशांतरीय अध्ययन,	कल्पतरु रिसर्च फाउंडेशन बंगलौर 15012/39/99 एसईआर	1,47,600.00
20.	पंजाब के सीमांत जिले में बेरोजगारी की सीमा	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला 15012/04/2000 एसईआर	0,72,000.00
21.	बृहत आर्थिक गतिशीलता वृद्धि और बाजार मुक्ति	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 15012/38/99 एसईआर	1,27,240.00
22.	उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय	गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ 15012/23/98 एसईआर	0,45,800.00
23.	कर्नाटक और केरल में केन्द्रीय विद्यालय	सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर 15012/35/98 एसईआर	0,47,670.00
24.	उ. प्र. तथा हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को पोषणिक सहायता	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	0.46.830.00

25.	उ.प्र. में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली 15012/14/99 एसईआर	2,93,720.00
26.	मजदूर वाणी	बंधुआ श्रमिक मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली 15012/41/2000 एसईआर	0,62,400.00
27.	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बालिका साक्षरता संबंधी विभिन्न स्कीमों की प्रभावोत्पादकता	बहु–विषयक विकास अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ 15012/37/98 एसईआर	0,46,200.00
28.	म.प्र. राज्यों में विकास स्कीमें और उनकी प्रभावोत्पादकता	पर्यावरण बचाव और ग्रामीण विकास सोसाइटी नई दिल्ली 15012/35/99 एसईआर	1,14,400.00
29.	भारतीय उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण और प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी	एनआईईपीए, नई दिल्ली 15012/05/98 एसईआर	1,25,600.00
30.	शिक्षा पर पारिवारिक व्यय में अंतर स्तर	एनसीएईआर, नई दिल्ली 15012/15/98 एसईआर	0,25,200.00
31.	मन्नार की खाड़ी, दक्षिण भारत में कोरल रीफ, संसाधनों, प्रयोक्ताओं के सनाजार्थिक आंकड़े	मौरई कामरेज विश्व विद्यालय मदुरई 15012/29/98 एसईआर	1,37,516.00
32.	केबीके क्षेत्र के कार्यक्रमो तथा नीतियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन और अंतर्निहित	एग्रागैम्मी, उड़ीसा 15012/37/2000 एसईआर	2,52,400.00

	समस्याओं का समाधान करने के लिए संभावित उपाय		
33.	फार्मेतर अर्थव्यवस्था और विकास	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ 15012/46/95 एसईआर	1,04,000.00
34.	ग्राम अर्थव्यवस्था भूमि विखण्डन और उत्पादकता के लिए विवक्षाएं, कृषि सुधार तथा गरीबी–रोधी नीति	राष्ट्रीय प्रयोगिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली 15012/42/2000 एसईआर	2,80,000.00
35.	ग्रामीण भारतीय गांव में असंगठित क्षेत्र को पुनः आकार देना	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली 15012/59/99 एसईआर	1,78,400.00
36.	हथकरखा सेक्टर का विकास और संभावनाएं	दस्तकार आंध्र, सिकन्दराबाद 15012/55/99 एसईआर	86,800.00
37.	केन्द्रीय और राज्य सरकार की बजटीय आर्थिक सहायता	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली 15012/27/2000 एसईआर	5,40,800.00
38.	ग्रामीण सड़कों और पुलों का आर्थिक मूल्यांकन	परिवहन प्रबंधन संस्थान आंध्र प्रदेश विशाखापटनम 150012/16/2000 एसईआर	1,44,00.00
39.	प्राथमिक शिक्षा संबंधी विभिन्न	मध्य प्रदेश सामाजिक	43,050.00

	स्कीमों का प्रभावः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गिरि साक्षरता का एक तुलनात्मक अध्ययन	विज्ञान अनुसंधान संथान, उज्जैन 15012/28/98 एसईआर	
40.	किसान क्रेडिट कार्ड	ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान, लखनऊ 15012/32/2000 एसईआर	1,86,800.00
41.	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास	आईईजी, दिल्ली 15012/25/90 एसईआर	45,016.00
42.	पंजाब के सीमांत जिले में बेरोजगारी सीमा	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/17/2000 एसईआर	81,200.00
		क का उप जोड़	**62,78,399.00**
ख.	**सेमिनार/कार्यशालाएं**		
1.	जीएनडीयू में इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन का 82 वां वार्षिक सम्मेलन	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर 15018/19/99 एसईआर	50,000.00
2.	सीमित संसाधनों के साथ देश के प्रांतीय क्षेत्रों के विकास की प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय सेमिनार	कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहट जिला अल्मोड़ा उ.प्र. 15018/36/99 एसईआर	25,000.00
3.	आईआईएम, कलकत्ता द्वारा आयोजित परियोजना आयोजन और मूल्यांकन पर 3 दिवसीय कार्यशाला	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता 15018/40/99 एसईआर	2,10,000.00
4.	ऑल उड़ीसा इकोनोमिक एसोसिएशन	उड़ीसा इकोनोमिक	25,000.00

	का 32 वां वार्षिक सम्मेलन	एसोसिएशन मार्फत आईएसआई भवन नई दिल्ली 15018/03/99 एसईआर	
5.	भूमि, खाद्य के लिए संसाधन प्रबंधन, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा पर वार्षिक सम्मेलन	भारतीय मृदा संरक्षण सोसाइटी आईएआरआई भवन, नई दिल्ली 15016/01/2000 एसईआर	50,000.00
6.	भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसाइटी का 41 वां वार्षिक सम्मेलन	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई 15018/03/99 एसईआर	50,000.00
7.	भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी का हीरक ज्यंती सम्मेलन	कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	50,000.00
8.	शहरी क्षेत्रों में गलियों में बिक्री	स्व–रोजगार महिला संस्थान, अहमदाबाद 15018/39/99	50,000.00 एसईआर
9.	सरकार और पीआरआई एनजीओ संबंधों पर राष्ट्रीय सेमिनार	वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली 15018/19/2000 एसईआर	25,000.00
10.	हिमालय का भूगति विज्ञान पर्यावरण प्रबंधन	एचएनबी, गढ़वाल विश्वविद्यालय	25,000.00

		श्रीनगर (उ.प्र.) 15018 / 04 / 2000 एसईआर	
11.	इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन का 83 वां वार्षिक सम्मेलन	जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू 15018 / 05 / 2000	50,000.00 एसईआर
12.	भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसाइटी का 42 वां वार्षिक सम्मेलन	इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनोमिक्स नई दिल्ली 15018 / 06 / 2000 एसईआर	50,000.00
13.	कृषि वानिकी और जेएफएम के जरिए भारत को हरित बनाना	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर 15018 / 13 / 2000 एसईआर	50,000.00
14.	बेंगिया अर्थनीति परिषद का 20 वां वार्षिक सम्मेलन 15018 / 23 / 99 एसईआर	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता	50,000.00
		उप जोड़ ख	**7,12,500.00**
		कुल जोड़ क + ख	**69,90,899.00**

संलग्नक 5.5

31 दिसम्बर, 2000 को योजना आयोग की समाजार्थिक अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत 2000–2001 (*) के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन/सेमिनार पूरे किए गए हैं/आयोजित किए गए हैं

क्रं.सं.	अध्ययन/सेमिनार का शीर्षक	संस्थान का नाम
1.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम–ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत परिवर्तन	निदेशक, लघु उद्यम और विकास संस्थान, कोंचीन फाइल सं. ओ 15012/24/99 एसईआर
2.	समाजार्थिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन हि.प्र. का एक मामला, अध्ययन	निदेशक एशिया प्रशांत समाजार्थिक विकास अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ओ. 15012/17/99 एसईआर
3.	उड़ीसा के नुआपोड़ा और गंजम जिले पर सामाजिक निविष्टियों को मानोटर करना	निदेशक विकास अध्ययन और क्रियाकलाप केन्द्र पुणे सं. ओ 15012/32/99 एसईआर
4.	भारत पर जनगणना पूर्व जनसंख्या परियोजना	समाजार्थिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता 15012/16/92 एसईआर
5.	पंच वर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न जिलों में सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन	आईएएमआर, नई दिल्ली 15012/26/99 एसईआर
6.	कर्नाटक और केरल में केंन्द्रीय विद्यालय	सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर 15012/38/99 एसईआर

7.	उ.प्र. तथा हिमाचल प्रदेश में (दोपहर का भोजन) प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणिक सहायता	गिरि इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ 15012/22/98 एसईआर
8.	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गिरि साक्षरता के प्रति विभिन्न स्कीमों की प्रभावोत्पादकता	बहु–विषयक विकास अनुसंधान केन्द्र धारवाड़ 15012/37/98 एसईआर
9.	कर्नाटक में देशांतरीय अध्ययन	कल्पतरू रिसर्च फाउंडेशन, बंगलौर 15012/34/99 एसईआर
10.	प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न स्कीमों का प्रभाव : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गिरि साक्षरता का एक तुलनात्मक अध्ययन	मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान उज्जैन 15012/28/98 एसईआर
11.	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास	आईईजी, दिल्ली 15012/25/90 एसईआर

संलग्नक 5.6

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का निवल लाभ/हानि
(करोड़ रुपए)

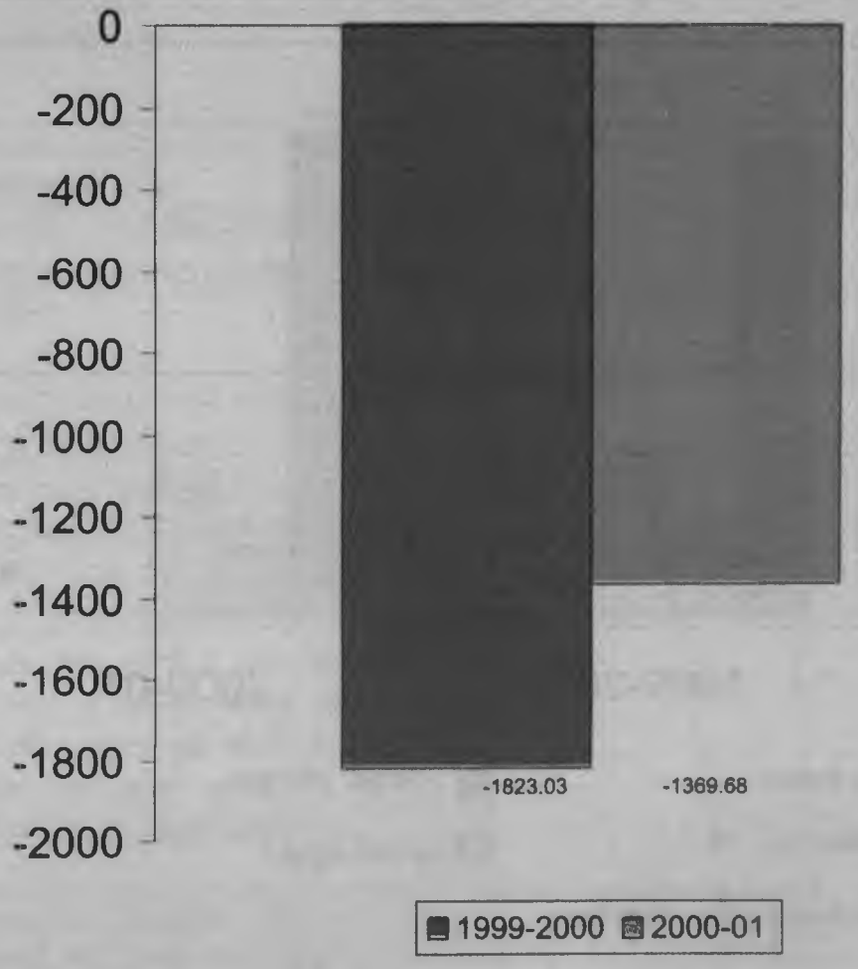

संलग्नक 5.7

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्य निष्पादन

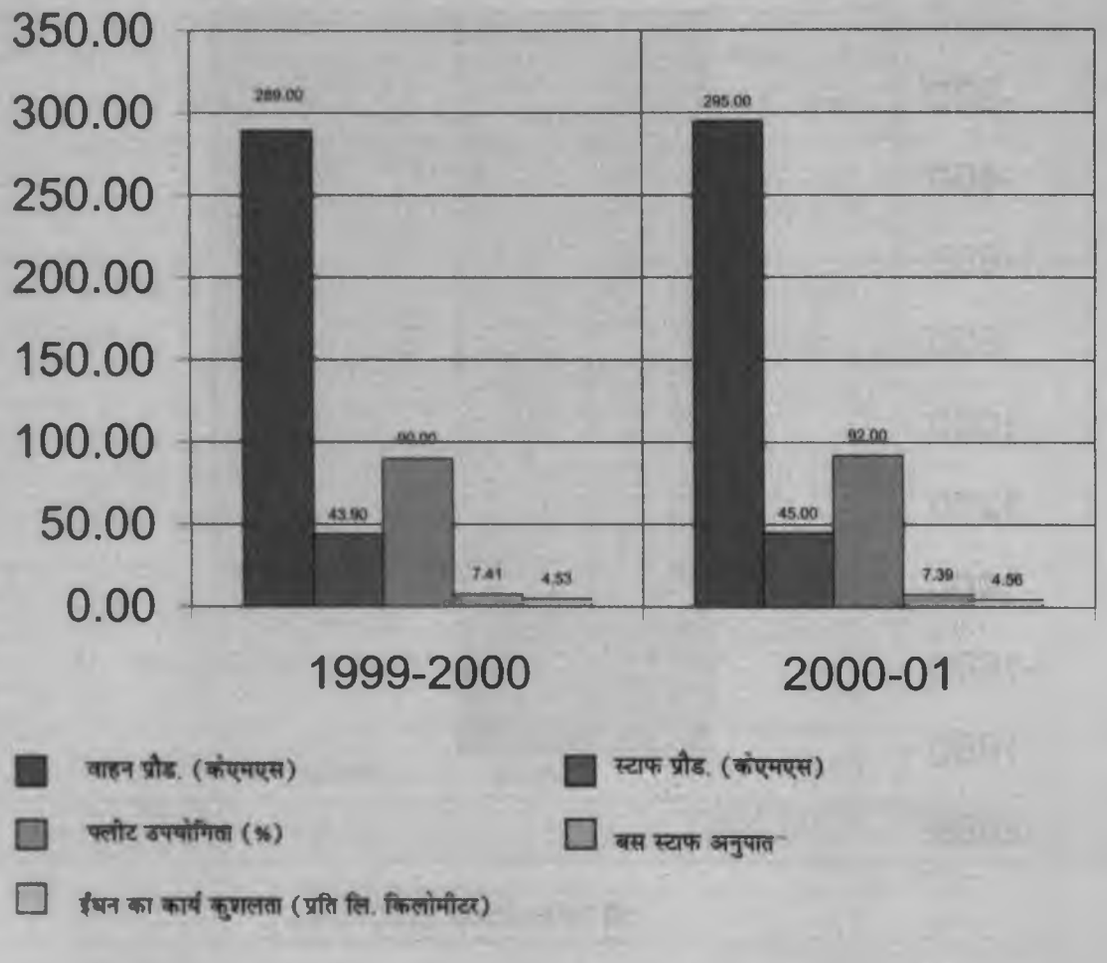

अनुलग्नक 5.8

1 मार्च, 2000 से 2001 तक के दौरान योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाएं

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदन की तारीख
1.	**अरुणाचल प्रदेश** फंगटिप से कटचेप–I गांव तक तिरप नदी के मृदा कटाव–रोधी कार्य संबंधी स्कीम	4.45	5.6.2000
2.	गांव के साथ लगने वाली टाउनशिप तथा लम्बे–चौड़े कृषि भू–क्षेत्र को बचाने के लिए सियांग नदी के नदी–तट पर बाढ़ बचाव–कार्य संबंधी स्कीम	7.49	5.6.2000
3.	आई एण्ड एफसीडी, सब डिवीजन नमसई के अंतर्गत नमसई और लोकांग सर्कल को बचाने के लिए नान–दिहिंग पर कटाव–रोधी निर्माण कार्य संबंधी स्कीम	6.88	5.6.2000
4.	साथ वाली टाउनशिप और डार्का, बेने, पोब्दी तथा काबू में धान के खेतों को बचाने के लिए सिपु और सियोम नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्य संबंधी स्कीम	7.19	5.6.2000
5.	जमोलो में रोइंग गाकी कृषि योग्य क्षेत्र को बचाने के लिए सियोम नदी के बाढ़ नियंत्रण कार्य संबंधी स्कीम	5.47	23.6.2000

6.	दिरांग टाउनशिप और सर्कल को बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य स्कीम	3.23	23.6.2000
7.	डोनी–पोलो गवर्नमेंट कॉलेज, कामकी डेरी फार्म और पेरी, काम्बू तथा रूयी के कामकी तथा डब्लूआरसी खेतों को बचाने के लिए सियोम नदी पर कटाव रोधी–स्कीम	4.14	23.6.2000
8.	बिजारी अनपुम लोकुंग, बांगो तथा पगलाम गांवों को बचाने के लिए सिसिरी तथा दिबांग (डेटंग) पर बाढ़ नियंत्रण कार्य संबंधी स्कीम	7.47	23.6.2000
	असम (बाढ़ नियंत्रण)		
9.	अश्वकलांता पहाड़ी से लेकर दिहिंग सत्रा तक उत्तरी गुवाहटी नगर के विभिन्न रीचों पर ब्रह्मपुत्र नदी तट का कटाव रोकने के लिए कटाव–रोधी उपायों संबंधी स्कीम	4.32	6.12.2000
10.	हरिनगर बीओपी कैम्प से नाथनपुर तक सूर्मा नदी (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा) के दायें तट के साथ हरिनगर पार्ट-III क्षेत्र तथा डाइक के बचाव संबंधी स्कीम	3.71	6.12.2000
11.	स्टोन स्पर से लेकर इसके नीचे की तरफ प्रवाह तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से गोलपाड़ा नगर का बचाव मजबूत करने और बढ़ाने संबंधी स्कीम	3.48	7.12.2000

12.	अरुणाचल प्रदेश के लिए रेल और सड़क संचार मार्ग के वास्ते गैनदी पर काबू पाने संबंधी स्कीम	4.99	3.11.2001
	हिमाचल प्रदेश		
13.	सिधाता मध्यम सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश	33.62	22.2.2000
14.	चेंजर एरिया (नया माध्यम) हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट (उत्थापक) सिंचाई परियोजना	28.37	29.2.2000
15.	हिमाचल प्रदेश के जिला उना में स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन और एकीकृत भूमि विकास प्राजेक्ट फेज-I	102.77	30.3.2000
	कर्नाटक		
16.	अपर कृष्णा स्टेज-II बहु उद्देशीय परियोजना (सिंचाई खण्ड) कर्नाटक	2358.86	13.12.2000
17.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र और गोवा	217.22	31.3.2000
	पंजाब		
18.	अपर बारी दोआब के नाला (नहर) सिस्टम का पुनः मॉडल तैयार करना	177.80	13.12.2000
	राजस्थान		
19.	गंग कैनाल सिस्टम के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम	445.79	29.9.2000
	उत्तर प्रदेश		
20.	हिंडन कृष्णी दोआब उत्तर प्रदेश में खरीफ चैनल प्रदान करने संबंधी स्कीम (संशोधित प्रमुख)	39.24	8.12.2000

अध्याय – 6

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

गरीबी उन्मूलन और जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार लाना, भारत में योजना के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार प्रत्येक क्रमिक पंच वर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्रक विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान करके विभिन्न विकास कार्यक्रम/स्कीमें तैयार और कार्यान्वित करती चली आ रही है। सुधार–पश्चात काल में, बहुत सी नई स्कीमें कार्यान्वित की गई है और कुछ पुरानी स्कीमों को नया रूप दिया गया है ताकि वे उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करें जिन पर बृहत् नीतियों में भारी परिवर्तन किए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। परन्तु योजना के पिछले पैंतालीस वर्षों में किए गए इन सभी प्रयासों के बावजूद आशायित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि योजनागत कार्यक्रमों की योजना बनाने और इसके कार्यान्वयन में अंतर्निहित कमियां हैं। इन विकास कार्यक्रमों की और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इन कमियों का पता लगा कर इन्हे दूर किया जाए। यह उद्देश्य इन कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रख कर और इनका मूल्यांकन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और इन्हें कार्यान्वित करने की कुशलता को बढ़ाने के लिए मानीटर और मूल्यांकन करना दो महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

2. नौवीं योजना दस्तावेज में योजनागत स्कीमों के डिजाइन और कार्यान्वयन की कमजोरियों तथा उनके अल्प कार्य– निष्पादन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। यह जान कर दुःख होता है कि एक व्यापक मानीटरिंग तथा मूल्यांकन सिस्टम तो मौजूद था किन्तु वांछित सुधार लाने के लिए सिस्टम के निष्कर्षों पर पर्याप्त अनुवर्ती कारवाई नहीं की गई है। मूल्यांकन और मानीटरिंग सिस्टम के प्रति इस प्रकार की आम उदासीनता से इसकी प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 73वें तथा 74 वें संविधानिक संशोधनों में यथापरिकल्पित विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा विकास प्रशासन के लिए एक मजबूत मूल्यांकन तंत्र का होना जरूरी है ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही तथा विकास क्रियाकलापों के लिए सरकारी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, संगठन को

नौवीं योजना दस्तावेज में योजनागत स्कीमों के डिजाइन और कार्यान्वयन की कमजोरियों तथा उनके अल्प कार्य– निष्पादन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। यह जान कर दुःख होता है कि एक व्यापक मानीटरिंग तथा मूल्यांकन सिस्टम तो मौजूद था किन्तु वांछित सुधार लाने के लिए सिस्टम के निष्कर्षों पर पर्याप्त अनुवर्ती कारवाई नहीं की गई है।

मजबूत बनाना नौवीं योजना कार्यनीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है ताकि इन्हें योजना प्रक्रिया में प्रभावी बनाया जा सके।

3. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनाधीन चुनिंदा कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन कार्य–निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, वितरण प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये अध्ययन नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल/अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यमार्गी सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन बना कर मौजूदा स्कीमों के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के सबक सीखना भी इनका उद्देश्य है।

4. मोटे तौर पर पीईओ द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया और प्रभाव का वस्तुपरक मूल्यांकन करना, प्रशासन और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में सफलता तथा असफलता के क्षेत्रों का पता लगाना, सफलता या असफलता के कारणों का विश्लेषण करना, विस्तार पद्धतियों तथा लोगों की प्रतिक्रियाओं की जांच करना और नये कार्यक्रमों/स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भविष्य में सुधार करने के लिए सबक सीखना शामिल है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को एक ओर तो प्रगति और समीक्षा से तथा दूसरी ओर स्कीमों तथा निर्माण–कार्यों के निरीक्षण, जांच और संवीक्षा से बिल्कुल भिन्न और अलग माना गया है।

5. पीईओ, प्रशासनिक माध्यमों से स्वतंत्र रह कर सीधे प्रेक्षणों, नमूना सर्वेक्षणों तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान तरीकों द्वारा बाहरी मूल्यांकन करता है। इस प्रकार, पीईओ द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन अध्ययन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रगति सूचित करने या जांच तथा समीक्षा कार्यों से भिन्न होते हैं। परन्तु पीईओ रिपोर्टों को उपयोगी बनाने के लिए मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं पर योजनाकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को इस काम में शामिल करने का प्रयत्न करता है।

संगठनात्मक ढांचा

6. पीईओ मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट हैं जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

7. शीर्षस्थ स्तर पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय है जो उपयुक्त कार्यप्रणालियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिनमें विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए सांख्यिकीय डिजाइन, नमूना सर्वेक्षण आयोजित, निष्पादित तथा मानीटर करना, डाटा प्रासेसिंग, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा फील्ड यूनिट द्वारा तैयार गुणात्मक तथा मात्रात्मक डाटा की व्याख्या करना और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी शमिल है। इस संगठन के अध्यक्ष सलाहाकार (मूल्यांकन) हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त सलाहकार और 5 उप सलाहकार, सलाहकार की सहायता करते हैं। उप सलाहकार मूल्यांकन अध्ययन तैयार और निष्पादित करने और परियोजना निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं।

8. पीईओ की बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय करते हैं जो कलकत्ता, चण्डीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ तथा मुम्बई में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय का अध्यक्ष निदेशक/उप सलाहकार के रैंक का क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी है और 2 अनुसंधान अधिकारी, दो आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-I और एक आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-II उसकी सहायता करते हैं। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय फ़ील्ड कार्य के सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए एकत्र किए गए फील्ड डाटा की समीक्षा और संकलन करने के लिए उत्तदायी हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों का मार्गदर्शन करते हैं। वे राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क रखने और राज्य स्तरीय अध्ययन आयोजित करने में राज्य मूल्यांकन यूनिटों को तकनीकी मार्ग–दर्शन प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

9. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय कहलाने वाले फील्ड यूनिट देश के 8 प्रमुख राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं अर्थात गुवाहाटी, भुवनेश्वर, शिमला, बंगलौर, भोपाल, पटना, त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद। प्रत्येक परियोजना मूल्यांकन कार्यालय का अध्यक्ष वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रैंक का परियोजना मूल्यांकन अधिकारी है और एक अनुसंधान अधिकारी, 2 आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-I तथा दो आर्थिक अन्वेषक, ग्रेड-II उसकी सहायता करते हैं। प्रत्येक पीईओ कार्यालय एक क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठनों में परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के कार्यचालन और उनकी प्रगति की सूचना देने तथा अपने संबंधित क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों के मार्गदर्शन में मूल्यांकन अध्ययन आवश्यक करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

10. पीईओ तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय और परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने वाले इसके फील्ड यूनिटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार व्याप्ति (कवरेज) इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की राज्य/संघराज्य क्षेत्र–वार कवरेज

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय/ क्षेत्र का नाम	सम्बद्ध परियोजना कार्यालय/ फील्ड यूनिट	आरईओ/पीईओ फील्ड यूनिट द्वारा कवर किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
I पूर्वी क्षेत्र0 1. कलकत्ता	1. गुवाहाटी 2. भुवनेश्वर	1. अरूणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिम बंगाल 11.अण्डमान निकोबारद्वीप समूह
II उत्तरी क्षेत्र 2. चण्डीगढ़	3. शिमला	12. हरियाणा 13. हिमाचल प्रदेश 14. जम्मू और कश्मीर 15. पंजाब 16. चण्डीगढ़ 17. दिल्ली
III दक्षिणी क्षेत्र 3. चेन्नई (मद्रास)	4. तिरुवनन्तपुरम	18. केरल 19. तमिलनाडु 20. लक्षद्वीप 21. पांडिचेरी

IV दक्षिणी मध्य क्षेत्र 4. हैदराबाद	5. बंगलौर	22. आंध्र प्रदेश 23. कर्नाटक
V मध्य क्षेत्र 5. जयपुर	6. भोपाल	24. मध्य प्रदेश 25. छत्तीसगढ़ 26. राजस्थान
VI उत्तरी मध्य क्षेत्र 6. लखनऊ	7. पटना	27 बिहार 28. झारखण्ड 29. उत्तर प्रदेश 30. उत्तरांचल
VII पश्चिमी क्षेत्र 7. मुम्बई	8. अहमदाबाद	31. गोवा 32. गुजरात 33. महाराष्ट्र 34. दादरा और नगर हवेली 35. दमन व दीन

मूल्यांकन सलाहकार समिति

11. अनुसंधान क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करने, अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियों और पीईओ और विभिन्न मूल्यांकन, अनुसंधान संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने और मूल्यांकन परिणाम पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए योजना आयोग ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में एक मूल्यांकन सलाहकार समिति (ईएसी) स्थापित की है। इस समिति में योजना आयोग और अन्य गैर–सरकारी संगठनों से विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

बैठकें / सेमिनार (संगोष्ठियां) / कार्यशालाएं / अनुवर्ती कार्रवाई

12. मूल्यांकन रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में उनकी उपयोगिता पर फीड–बैक प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि आयोजकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और शिक्षाविदों के

साथ परस्पर विचार विमर्श किया जाए। इस विचार–विमर्श को सहज बनाने के लिए पीईओ के कार्यक्षेत्रों के प्रासंगिक विषयों पर संगोष्ठियां की जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और जिन लोगों के बारे में जानकारी होती है कि उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य किया है उन्हें तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को इन संगोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2000–2001 के दौरान निम्नलिखित बैठकें/संगोष्ठियां की गईः

जानकारीपूर्ण बहस और मूल्यांकन निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें आयोजक, नीति निर्माता, शिक्षाविद तथा कार्यान्वयन एजेंसियां भाग लेती हैं। रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) पर हाल ही में पूरी की गई रिपोर्टों के निष्कर्ष पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उन पर 2000 – 2001 के दौरान एक कार्यशाला में विचार–विमर्श भी हुआ है। केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

- क्षेत्रीय और परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों की एक बैठक 26 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित की गई जिसमें बायो गैस संबंधी राष्ट्रीय परियोजना पर मूल्यांकन अध्ययन के डिजाइन/साधनों पर चर्चा की जानी थी।

- ईएसी के अध्यक्ष श्री केबी सक्सेना की अध्यक्षता में ईएसी की एक बैठक 15.9.2000 को आयोजित की गई और विभिन्न हस्तगत मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति की समीक्षा की गई और शहरी गरीबी, पीआरआई के कामकाज और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी तीन अध्ययनों को 2001–2002 में शुरू करने के लिए प्राथमिकता दी गई।

- रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए नई कार्यनीति पर मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों पर एक कार्यशाला 23.10.2000 को आयोजित की गई और ईएएस के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों पर विचार–विमर्श ईएसी की अध्यक्षता में किया गया।

- सत्र के दूसरे आधे भाग में गरीबी उपशमन संबधी कार्यक्रमों की कार्यनीतियां पर चर्चा की गई। जिन कार्यनीतियों को आम तौर पर गरीबी उपशमन संबधी विभिन्न कार्यक्रमों में तथा

विशेषकर ईएएस में अपनाने की आवश्यकता है, उन पर विचार–विमर्श करते समय, कार्यक्रमों को मानीटर करने पर भारी जोर दिया गया ताकि उनका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो सके।

पीईओ की इंटरनेट पर रिपोर्ट

13. कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार लाने और विकास कार्यक्रम के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए पीईओ की रिपोर्टों को इंटरनेट में देकर और उन्हें प्रचार माध्यमों प्रमुख अनुसंधान संस्थानों तथा राज्य मूल्यांकन संगठनों को भेज कर इन रिपोर्टों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

नौवीं योजना दस्तावेज में यह कहा गया था कि मूल्यांकन निष्कर्षों के संभावित प्रयोक्ताओं की आम तौर पर मूल्यांकन रिपोर्टों तक पहुंच नहीं होती। इस मसले को हल करने के लिए योजना आयोग ने सभी पीईओ रिपोर्टों को योजना आयोग के वेबसाइट httn://www..planningcommission.nic.in पर प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

14. पीईओ राज्य मूल्यांकन संस्थाओं को भी अपनी रिपोर्टें योजना आयोग के पास भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि इन्हें भी इंटरनेट पर प्रस्तुत किया जा सके। 2000 के दौरान कर्नाटक और राजस्थान से प्राप्त हुई कुछ रिपोर्टें योजना आयोग के वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान मूल्यांकन प्राथमिकताएं

15. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण–पत्र में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन अध्ययन के परिणामों का व्यापक प्रयोग किया गया है और कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ आधारिक संरचना को पक्का करने के लिए और अधिक निधियां आबंटित करना, कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन से जुड़े लोगों को वांछित प्रशिक्षण/पुनःप्रशिक्षण प्रदान करना, मूल्यांकनकर्ताओं और इन निष्कर्षों के प्रयोक्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाना, अनुवर्ती कार्रवाइयों को अधिक महत्त्व देना, मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों का व्यापक प्रचार करना और देश में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में परस्पर सहभागिता के साथ मूल्यांकन करने के तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है।

16. ऊपर प्रस्तावित कार्यनीति निश्चित रूप से संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने और योजनागत कार्यक्रमों का उन्नत प्रदर्शन लाने में योगदान करेगी। इसके लिए मूल्यांकन को एक प्रभावी साधन बनाने के लिए मूल्यांकन संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना होगा, परन्तु इसके लिए, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तथा केन्द्रीय स्तर पर स्थापित किए गए मूल्यांकन संगठनों को और अधिक भौतिक तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। योजना आयोग ने इस संबंध में कदम उठाए हैं।

पीईओ में कार्य की प्रगति

17. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अभी तक 180 अध्ययन किए हैं जिनमें से 17 अध्ययन (मूल्यांकन क्रियाकलापों तथा तकनीकों से संबंधित तीन अन्य दस्तावेजों को छोड़कर) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे किए गए थे और 13 अध्ययन 3½ वर्षों अर्थात नौवीं योजना (1997–2000) की 1997–2000 तक की अवधि में पूरे किए गए हैं।

18. राष्ट्रीय महत्त्व वाले कुछ कार्यक्रमों का हॉल ही में मूल्यांकन किया गया है जैसे (i) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीवी), (ii) अनौपचारिक शिक्षा (एनएफई), (iii) महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावधि आवास गृह (एसएसएच), (iv) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,(v) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (vi) रोजगार आवश्वासन स्कीम और (vii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्यचालन। पहले कार्यान्वित किए गए इसी प्रकार के कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों तक तुरंत पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 1952 में अपनी स्थापना से ले कर नवम्बर 2000 तक पीईओ द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का एक संग्रह (3 खण्डों में) पहले ही तैयार किया जा चुका है और इसे एनआईसी द्वारा इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए दे दिया गया है।

19. (i) आम तौर पर खादी और ग्राम उद्योग तथा गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने में उसके प्रभाव (ii) पीएचसी के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसएनपी), (iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस की आधारिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए गोदामों का निर्माण और वाहनों की खरीद, (iv) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलडीएस), (v) बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एनपीबीडी), (vi) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (vii) महाराष्ट्र के सांविधिक विकास बोर्ड और (viii) गुजरात, नागालैंड और उड़ीसा राज्यों पर मूल्यांकन अध्ययन किए जा रहे हैं। ये अध्ययन वर्ष 2000–2001 के दौरान पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

20. 2000–2001 के दौरान काम की प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	अध्ययन/क्रियाकलाप का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) पर मूल्यांकन अध्ययन	अप्रैल, 2000 में पूरा हो गया
2.	28.7.99 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय तथा राज्य मूल्यांकन संगठनों के सम्मेलन की कार्यवाहियां और उनकी स्थिति संबंधी कागजात	अगस्त 2000
3.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के काम–काज का अध्ययन	सितम्बर 2000 में पूरा हो गया
4.	आम तौर पर खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम का और ग्रामों में रोजगार के अवसर पैदा करने में इसके प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन	2000–2001 के दौरान पूरा किया जाएगा
5.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधारिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए गोदामों का निर्माण और वाहनों/ट्रकों की खरीद	चल रहा है
6.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम पर मूल्यांकन अध्ययन (एमपीएलएडीएस)	चल रहा है
7.	पीएचसी के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच कार्यक्रम (एसएसएनपी) का मूल्यांकन अध्ययन	चल रहा है
8.	एनपीबीडी का मूल्यांकन अध्ययन	चल रहा है
9.	लक्षित पीडीएस का मूल्यांकन अध्ययन	डिजाइन/साधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10.	गुजरात, नागालैंड तथा उड़ीसा राज्यों में एकीकृत डेरी विकास परियोजनाओं के प्रभाव संबंधी अध्ययन	वही

21. मूल्यांकन अध्ययनों से उभर कर सामने आने वाले निष्कर्ष और सुझाव आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों को सूचित किए जाते हैं। यह बात उत्साहवर्धक है कि पीईओ अध्ययनों के कुछ निष्कर्षों (अनौपचारिक शिक्षा, महिला समृद्धि योजना आदि) पर कार्रवाई की गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के लिए मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य दल

22. दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में सामाजिक क्षेत्रक की स्कीमों के लिए मानीटरिंग और मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक कार्य दल गठित किया गया है। यह समूह केन्द्र और राज्यों में मौजूदा मूल्यांकन तंत्र की समीक्षा करेगा और इसे मजबूत बनाने के उपाय बताएगा।

2000–2001 में हाथ में लिए गए अन्य कार्यकलाप: राज्यों के मूल्यांकन संगठनों के साथ सम्पर्क

23. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन क्षेत्रीय और स्थानीय महत्त्व के और अभिनव स्वरूप के मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए राज्यों के मूल्यांकन संगठनों और अन्य अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिल कर काम करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक योजना 200–01 से अपनी वार्षिक योजनाओं में मूल्यांकन अध्ययन शामिल करने की सलाह दी है।

मूल्यांकन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

24. पीईओ समय–समय पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन यूनिट की मदद से अपने अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

पीईओ तथा एसईओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एनआरआईडी, हैदराबाद में मूल्यांकन तकनीकों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर पीईओ तथा एसईओ दोनों के अधिकारियों के मूल्यांकन कौशल बढ़ाने का काम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में एसईओ तथा पीईओ से 12 अधिकारी भाग ले रहे हैं।

25. मूल्यांकन तकनीकों में कौशल उन्नयन के लिए पीईओ (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन) ने 20.11.2000 से 29.11.2000 तक एनआईआरडी, हैदराबाद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा राज्य मूल्यांकन संगठनों के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

संदर्भ ग्रंथ/पीईओ पुस्तकालय

पीईओ में कार्यकुशलता बढ़ाना

यह देखा गया कि यदि पीईओ फील्ड यूनिट कम्प्यूटर से लैस हों तो पीईओ अध्ययन को पूरा करने में लगने वाला समय काफी कम किया जा सकता है। तदनुसार, सभी पीईओ फील्ड यूनिटों को कम्प्यूटर देने की निर्णय किया गया है। 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकरियों को पहले ही पीसी मिल चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप फील्ड यूनिटों के साथ अधिक समन्वय करना संभव हुआ और संगणना के क्षेत्र में अधिक कुशलता प्राप्त की जा सकी है।

26. पीईओ (मुख्यालय) का अपना पुस्तकालय (तकनीकी) है जहां पर विकास कार्यक्रमों/स्कीमों को तैयार करने/साधन प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों पर संदर्भ पुस्तकें और मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टें संदर्भ संबंधी प्रयोजनों के लिए रखी जाती हैं।

संगठनात्मक चार्ट

27. पीईओ (मुख्यालय) और फील्ड यूनिटों (आरईओ/पीईओ) का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है।

आगे किए जाने वाले कार्य

28. राष्ट्रीय मूल्यांकन क्षमता और अच्छे शासन के बीच एक संबंध होता है। अच्छे शासन की आवश्यकता को तो स्वीकार कर लिया गया है परन्तु इसे सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों को उचित स्थान दिया जाना और व्यवहार में लाना अभी बाकी है। एक मजबूत मूल्यांकन प्रणाली के लिए, अनिवार्य रूप से विकसित किए जाने वाले आयाम इस प्रकार हैं: (i) मूल्यांकन के लिए मांग, (ii) मूल्यांकन संगठनों में क्षमता निर्माण, तथा (iii) एक ठोस आधारिक संरचना। इन पहलुओं की पहचान 28 जुलाई 1999 को हुए मूल्यांकन संगठनों के सम्मेलन में की गई थी। शीर्षस्थ मूल्यांकन निकाय होने के कारण, पीईओ यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने की योजना बना रहा है कि देश में मूल्यांकन संगठन अच्छे शासन के लिए योगदान दें।

अध्याय 7

सर्तकता संबंधी क्रियाकलाप

योजना आयोग में सर्तकता कक्ष 'आजीविका प्रबंध और सतर्कता डेस्क' के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस वर्ष के दौरान किए गए सतर्कता संबंधी कार्य इस प्रकार हैं:

सतर्कता संबंधी ढांचा

2. एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन कार्य करने वाला योजना आयोग का सतर्कता यूनिट सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसाकि समूह क, ख और ग के अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा के अभाव संबंधी मामले। यह पदोन्नति के समय सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने, बाहरी नौकरियों/पासपोर्टों के लिए आवेदन पत्र अग्रेषित करने, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति होने पर योजना आयोग से कार्य मुक्त करने और इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनिक मामलों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए भी उत्तरदायी है।

3. योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ वास्ता नहीं पड़ता। इसलिए इसे अप्रैल से दिसंबर 1999 तक की अवधि में जनता से सतर्कता के स्वरूप की कोई शिकायत प्राप्त नहीं, सिवाय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के पदाधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतों के जिन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का योजना आयोग से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्थानातरण होने के बाद, उस मंत्रालय को भेजे दिया गया।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकहित के एक मुकदमें [1992 के डब्लूपी सं. (क्रिमिनल) 666.70] में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, योजना आयोग में यौन उत्पीड़न के बारे में एक शिकायत तंत्र समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षा डा. (श्रीमती) प्रेमा रामचंद्रन हैं और जिसमें दो अन्य सदस्य हैं। इस विषय पर आचरण नियमावली के प्रासंगिक उपबंध योजना आयोग में विस्तृत रूप से परिचालित किए गए। अप्रैल, दिसंबर 1999 की अवधि में समिति को एक भी शिकायत सूचित नहीं की गई है।

योजना आयोग का संगठन चार्ट

भारत सरकार

05.02.2001 की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी:

संकेत:

1. पदनाम

प्र. सलाह	प्रधान सलाहकार
सलाह	सलाहकार
अ. सलाह	अपर सलाहकार
आर्थि. सलाह	आर्थिक सलाहकार
सं. सचिव	संयुक्त सचिव
सं सलाहकार	संयुक्त सलाहकार
वित्त सलाह.	वित्त सलाहकार
उ. सचिव	उपसचिव
कें. वित्त	केन्द्रीय वित्त

2. विषय:

प्रशा.	प्रशासन
कृ.	कृषि
कृ.यो.अ.	कृषि योजना अध्ययन
सी.क्षे.वि.का.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
पि.वर्ग.	पिछड़ा वर्ग
सं.एवं सू.	संचार एवं सूचना
उप.उद्योग.	उपभोक्ता उद्योग
वि.यो.प्रभाग	विकेन्द्रित योजना प्रभाग
वि.नी.अनुसंधान	विकास नीति अनुसंधान
शि.	शिक्षा
मूल्यां	मूल्यांकन
वन. एवं पर्या.	वन एवं पर्यावरण

सारांश:

उपाध्यक्ष	1	सलाहकार	12
राज्य मंत्री	1	आर्थिक सलाहकार	1
सदस्य	8	अपर सलाहकार	4
सचिव	1	संयुक्त सचिव	1
निदेशक (ज.अ.संस्था)	1	वित्तीय सलाहकार	1
प्रधान सलाहकार	7	संयुक्त सलाहकार	14
		कुल	52